

NATIONAL INSTITUTE OF FOOD TECHNOLOGY ENTREPRENEURSHIP AND MANAGEMENT

An Institute of National Importance (INI) under Ministry of Food Processing Industries, GOI Plot No 97, Sector-56, HSIIDC Industrial Estate, Kundli-131028, District-Sonepat (Haryana)

Ref. No. N/PiP/PP/2022/21/14

NOTICE INVITING EXPRESSION OF INTEREST (EOI)

Online/Offline EOI is invited in Two Bid System from interested entrepreneurs, industry persons, food processors, farmers, self help groups, farmer producer organisations, start-ups, MSME units etc. for running of Pilot Plant for Meat or using facility on license basis for research, product development and commercialization "as is where is basis" in NIFTEM Campus, Plot No.97, Sector-56, Phase-IV, HSIIDC, Industrial Estate, Kundli-131028, Sonepat (Haryana). The EOI document along with the term of reference (TOR), terms and conditions etc can be accessed/ downloaded from CPP procurement portal website http://eprocure.gov.in/eprocure/app and also from NIFTEM website www.niftem.ac.in.

EOI No.	Name of the Work
N/PiP/PP/2022/21/14	EOI for running of Meat and Poultry or using facilities on
	monthly license basis in NIFTEM Campus

Important dates

PARTICULARS	DATE	TIME	Remarks
Issue / Publish/Upload of EOI Documents	27.01.2023	06.00 PM	
Pre-bid Meeting Date & Time	03.02.2023	11.30 AM	
Bid submission Start Date & Time	07.02.2023	04.00 PM	
Bid Submission End Date & Time	16.02.2023	02.00 PM	All the applicants
Technical Bid Opening Date & Time	17.02.2023	03.00 PM	are eligible for
Date of Presentation	Date & Tin	ne will be intimated	presentation round.
Financial Bid Opening Date & Time	The date & time will be communicated to		
	eligible bidders through email only. No		
	other mode will b	e adopted.	

EOI FEE DETAILS

FEE PARTICULARS	AMOUNT
EOI Processing Fees (non-refundable)	Rs. 1,180/- (Inclusive of GST)
Earnest Money Deposit (EMD)(Refundable)	Rs. 1,00,000/- (Mandatory for all)

Online Mode: Interested bidders may submit their online bid through **www.eprocure.gov.in** on CPP Portal but the technical details along with EOI fee, EMD & other documents must be sent through Speed Post/Courier, so as to reach us on or before last date. Financial bid should not be enclosed and only uploaded at CPP Portal.

All the interested bidders are advised that the Pilot Plant/facility is available "as is where is basis" and

Dated: 27.01.2023

therefore, they are advised to visit the Institute on any working day to see the plant and other facilities before submitting their bids. In this regards, they may contact Shri Aditya Sharma, Manager (Pilot Plant) on his Mobile No.7015504639 or email id <aditya.sharma@niftem.ac.in>.

Intending bidders may also obtain copy of EOI document containing commercial conditions along with details by downloading EOI document from the website www.niftem.ac.in or www.eprocure.gov.in. The Pre-bid meeting will be held at NIFTEM to clarify doubts (if any), as per above schedule, Corrigendum/addendum, if any, to these would only be appear on the www.niftem.ac.in or www.niftem.ac.in</a

1. ABOUT NIFTEM

National Institute of Food Technology Entrepreneurship and Management (NIFTEM) is a deemed to be University under Section 3 of the UGC Act, 1956 and an autonomous institute under Ministry of Food Processing Industries, GOI. NIFTEM functions as a centre for integrated education, research, enterprise incubation and outreach in area of Food Science, Food Technology & Business Management. NIFTEM has been set up on a 100 Acre campus near Delhi Singhu Border at Kundli, Distt-Sonepat, Haryana, at a cost of approx Rs. 500 Crores.

2. MANDATE OF NIFTEM

NIFTEM is working as –'Sector Promotion Organization' & 'Business Promotion Organization' of the food processing sector. It is a prime academic institution and offers B.Tech, M.Tech, Ph.D. and MBA Programmes in the areas of Food Technology and Management. The Institute has been granted Deemed to be University under De-novo category under Section 3 of the UGC Act, 1956.

MAJOR OBJECTIVES OF NIFTEM

NIFTEM has major objective which are as under:-

- One Stop Solution Provider for food sector
- Skill & Entrepreneurship Development
- Facilitating business incubation services with its ultra modern pilot plants.
- Conducting Frontier Area Research
- Developing world class managerial talent
- Knowledge repository
- Up-gradation of SME Clusters
- Promoting cooperation and networking

3. TERMS OF REFERENCE:

1. NIFTEM shall license the operation and maintenance of the Meat & Poultry Pilot Plant to a person/firm on competitive technical & financial bid basis. The bidder shall give a presentation before the committee designated by the institute about the experience, financial viability and vision about the operation and improvement of all these pilot plant. The Institute shall issue Letter of Award to the successful bidder and the bidder shall take the possession of all these pilot plants within21 days from the award of LoA. No extension shall be allowed to the licensee to delay the possession/operation.

- 2. The successful bidder/processor shall be designated as "Licensee" who should obtain the license as a food business operator from FSSAI to carry on Food Business at pilot plant. NIFTEM will charge license fee on monthly basis. The monthly license fees shall be paid by the licensee along with the applicable taxes before 10th of every month. No part payment shall be accepted by the NIFTEM. If the licensee fails to pay the license fee and other charges, the penalty @ 2.0% per month will be levied on balance payment and will be added in next moth billing. In no case the pending payment should be due for more than 03 months & if this happens the additional penalty @ 10% will be imposed on pending dues and stoppage of electricity and utility services will be done and if still the dues are not cleared the contract termination notice will be served and the amount will be deducted from Performance security and advance license fee.
- 3. During the presentation before the committee the bidder shall provide the detail of any equipment not in place or other accessories or structural modification required, the same shall be procured and installed by the licensee at his cost and risk which can be taken away after the termination of the agreement. However, any further requirement is observed later on the same will be communicated to the designated committee/ person. No structural modification shall be allowed without the pre approval from the NIFTEM.
- 4. The processor shall deposit advance licensing fee for 3 months at the prescribed rate and also security deposit equivalent to the 3 months in the form of bank guarantee/DD shall be obtained for the security of equipment. Such amount shall be deposited with the institute before taking the possession for operation. No extension shall be allowed for this purpose. The security deposit will be either adjusted or refunded after expiry of license agreement but in case of any outstanding at the time of termination of license, the same will be adjusted
- 5. Licensee will not be allowed to display the name of his/ her organization in the premises of NIFTEM pilot plants except one at the main gate of pilot plant allotted to the licensee. The Licensee shall not be allowed to sub-license any facility of the Pilot plant.
- 6. Initially the license will be given for a period of one year which may be renewed for additional 04 year as may be mutually decided by both the parties @ 10% increase in the prevailing license fee every year.
- 7. For the insurance of the plant and machinery in the name of NIFTEM for the amount equivalent to the cost of installed machinery, licensee will deposit the insurance premium amount to the institute to obtain the insurance policy.
- 8. The Institute is of the opinion that atleast 8% of the cost of plant and machinery should be the base value for the financial bid per year.
- 9. The licensee should pay all the applicable taxes.
- 10. The Licensee shall be responsible to comply with the labour laws. Staffs/ labours appointed by the licensee would not be having any right to make any claim from NIFTEM.

11. The expenses of the operation and maintenance of ETP should be divided among of all the five pilot plants in following proportion and should be levied from the licensee.

a)	Ready to eat products	-	10%
b)	Indian tradition food products	-	7.5%
c)	Milk processing line and dairy products	-	30%
d)	Fruits and vegetables processing products	-	20%
e)	Meat and poultry processing	-	25%
f)	Bakery Plant	-	7.5%

The above is non negotiable.

- 12. Licensee shall allow the students and faculty to use the processing facilities as per their requirements. The licensee will be informed well in advance for the same.
- 13. There will be no restriction for the official visitors of NIFTEM to visit the premise even during the license agreement. However NIFTEM will follow all the guidelines of safety and hygiene as per the systems established by the licensee.
- 14. The licensee will be responsible for ensuring the supply of requisite essentials such as fuel, refrigerant, packaging material and other necessary needs for producing the products. However, the Institute will arrange the supply of electricity, water and gas on the actual cost basis. However, if there is any failure to supply the electricity, water and gas which is beyond the control of institute, the licensee shall not claim any damages from the institute for such failure.
- 15. For operation and maintenance, the licensee shall use genuine consumables and spare parts as mentioned in the manuals supplied by the manufacturer. The parts should be changed in the presence of NIFTEM staff.
- 16. The spare parts that are available with NIFTEM can be purchased from NIFTEM.
- 17. The institute shall enter into an **agreement** with the licensee and incorporate appropriate clause of General Condition of Contract and all other conditions in line with GFR guidelines as envisaged Purchase Manual 2017 or latest applicable. In order to bring more clarity, the agreement can be added more clause other then this EOI to safeguard the interest of both.
- 18. The licensee shall comply with all laws applicable to the operation, maintenance and management of the facility and the performance of the service including GMP and GHP(for cleanliness). Licensee shall apply for and obtain, and NIFTEM shall assist in applying for and obtaining all necessary permits, licenses and approval required to allow licensee to do business. Licensee should also file such reports, notices and other communications as may be required by any government agency regarding the project to NIFTEM.
- 19. The Licensee shall be responsible for disposal and management of all waste and effluent as per the Pollution Control Board's regulation and inform NIFTEM about the same. The licensee shall be liable for any penalty or fine is levied by any authority for such violation and the institute shall recover the penalty, fine, damages, and cost, if any, paid by the institute for waste disposal. The licensee will do the pre treatment of the effluent on his own if the parameters are out of the operational range of ETP.

- 20. The licensee shall maintain at a location acceptable to NIFTEM, the pilot plant operating logs, records, reports, document the operation and maintenance of the facility in all forms and substance sufficient to meet NIFTEM reporting requirement under this agreement.
- 21. The licensee shall be working within the demarcated floor area only. The licensee may approach to the institute for additional floor area which shall be given by NIFTEM on payment of the approved charges.
- 22. NIFTEM shall provide all vendor available manuals, spare part list, project data books and drawings which are provided to NIFTEM by the OEM or licensee responsible for construction, installation, repair or maintenance of the Pilot Plant or a part thereof.
- 23. The licensee shall give an undertaking of making only good quality products safe for human consumption.
- 24. The license may be terminated by either side after giving due notice in writing of 30 days.
- 25. After completion of the tenure, the licensee will hand over all the assets and belongings of NIFTEM in the good working condition and shall compensate the institute for any damage or loss of the equipment of the pilot plants.
- 26. In the event of any dispute in the interpretation of the terms of the agreement or difference in opinion on any point in the agreement, the parties hereto shall use their best efforts to settle amicably by mutual negotiations.
- 27. If the dispute cannot be resolved through negotiations, it may be referred to arbitration of a sole arbitration to be appointed by the Vice Chancellor, NIFTEM. The award of the said arbitrator shall be binding on both the parties. The venue and seat of arbitration shall be NIFTEM at Kundli only.
- 28. The agency will have to get registered as lease/rent deeds with the office of the Sub-Registrar, Rai Sonipat as per the govt. Regulation.

4. BRIEF DETAILS OF PILOT PLANTS:

OBJECTIVES

- 1. Serve as Business incubation center for budding entrepreneurs from both large scale industries as well as medium, small and micro enterprises.
- 2. Provide a vital source for food companies that are just starting up or evaluating new process or product lines
- 3. Process lines of varying capacities to cater to the needs of the different sectors of the food industry (large, medium, small and micro enterprises).

- 4. Provide research facilities to the food industry for development of novel and innovative products and processes and modification of existing products and processes.
- 5. Used for evaluation of new ingredients, formulations and processes on a small and medium scale production and demonstration
- 6. Deliver product quality as best as possible as expected from a full scale production line
- 7. Provide training to the students and the industry personnel and the facility to work and conduct research in an operating production facility

A. MEAT & POULTRY PILOT PLANT

Process/Production facilities available:

- 1 Cured Meat Product
- 2 Comminuted/Emulsified Meat Product
- 3 Traditional Meat products
- 4 Coated Meat Products
- 5 Roasted Meat Products
- 6 Reconstructed Products

Utilities available:

- 1 RO Plant
- 2 Air compressor
- 3 Ice making machine
- 4 Cold Storage
- 5 Blast Freezer
- 6 Chiller

List of Equipment is enclosed at Annexure-IV

Contact Person for further quarries: Dr. Prarabdh Badgujar, Assistant Professor, Department of Food Sicence & Technology, NIFTEM, Kundli, Sonepat.

Email: prarabdh.niftem@gmail.com

5. SCOPE OF WORK:

- 1) The Institute will provide the shop floor of particular pilot plant or any specific standalone equipment/machine with working space on "as is where is basis" on quoted monthly license fee or as mutually agreed but not less than 8%.
- 2) The Institute can also extend storage, office space etc on requirement and subject to availability at prescribed rates. If any modification/addition of facility which is not the necessary part of

existing line is done, the charges for the area as per prescribed rates will be applied. The rates shall be decided by the Institute. The charges for electricity, power back up and water shall be the same, as being charged by NIFTEM on other vendors. Presently, The bill made will be inclusive of Actual Fixed load & other charges i.e.

- a) Tariff/SOP = Rs. 6.30/KWH
- b) Fixed Load Charges= Rs. 160/KW
- c) Electricity Duty = Rs. 0.10/KWH
- d) FSA = 0.00
- e) Municipal Taxes= 2% of (SOP+ FSA+ Fixed load charges)

Rate may be revised time to time when the rate changes made by UHBVN and Rs.24/-for DG Back up which can be changed time to time depending upon market price of fuel. Water charges shall be the same as being charged either by HSIIDC or Jal Nigam.

- 3) Trial run has already been carried out, therefore, further trial-run on license request will not be considered. However, if licensee wants trial run, has to borne all the cost at their own.
- 4) If there is any addition of equipment or line by NIFTEM, agency is expected to pay the rent for the same on existing rates on mutual consent.
- 5) The Institute can also provide incubation facility, technical support, NABL accredited lab testing, product study, research, process-technique development and standardization through consultancy or faculty & students involvement.
- 6) The institute is also able to provide housekeeping, security etc through outsourced agency on payment basis.
- 7) The Institute is also having ETP, RO Water, and STP facility on chargeable basis. The Institute can also provide students to extend support under industrial training programme. The agency will have to hire few students every year for industrial training if there is a request for the same.
- 8) The Institute has provided commercial PNG Gas connection/supply. The cost towards pipeline, connectors, burners etc or any other modification in the existing line or from the common point will be borne by the Licensee itself. In case, Institute has already deposited any security deposit for such connection, the licensee has to pay the Institute as security of the same, which will be returned after closing of the contract. Besides, the agency has to assure/undertake that they will make timely payment of PNG use against the bills, otherwise, same will be recovered from their security and PNG connections will be disconnected.
- 9) All kind of licenses or compliances as required for product development, bulk production and commercialization, will be obtained by the license and Institute has no relation to the same. However, Institute will provide such documents, which may be available and helpful in such compliances.
- 10) All kind of testing, microbial testing, CIP etc. will be ensured by the licensee at their cost.

6. ELIGIBILITY CRITERIA:

- a. The individual/agency may have preferably legal entity or should be registered with relevant authority as MSME Unit/ Start-ups/ Company/ Proprietorship firm/ Farmer's Producer organization/ Self Help Groups/ Entrepreneurs etc.
- b. The individual/agency should be financially sound to take the pilot plant or facilities. They have to submit either details of financial status duly signed by Bank or Chartered Accountant or self

certified declaration with a photocopy of passbook for last six months. Those, who are having balance sheet, may enclose balance sheet etc for last 3 financial years, ending 31st March, 2022 (F.Y. 2019-20, 2020-21 & 2021-2022) **OR** those, who have not formed any company or legal entity and want to start their own venture has to enclose an undertaking that they are capable to invest minimum Rs. 10 lakh for such venture, along with a certificate issued by bank as they are having deposited such amount in their accounts, along with copy of passbook with six months transactions.

- c. The individual/agency should have concrete idea as to what product they want to develop or produce. In this regards, they have to submit details of the brief idea.
- d. The individual/agency may have qualified or experienced person to work on their idea. The biodata of such person(s) may be included.
- e. The individual/agency should have PAN, AADHAR CARD, and Address proof.
- f. EOI Fee and EMD are essential requirement for pre-qualification.

7. EMD:-

The individual/Agency is required to submit a EMD of Rs.1,00,000/- (Rupees One Lakh only) with EOI (Refundable) for running of Pilot Plant/facilities in the form of demand draft in favour of NIFTEM, payable at SBI, Kundli, Sonepat (Bank IFSC SBIN0015479).

If the bidder changes or alters any of the bid/clauses or shows unwilling at any stage after submitting EOI, their EMD will be forfeited.

8. EOI DOCUMENT FEE:-

Rs 1180/- (Non-refundable) including GST is required to submit along with technical documents in the form of demand draft in favour of NIFTEM, payable at SBI, Kundli, Sonepat (Bank IFSC SBIN0015479), which will be non refundable. The EOI fee as well as EMD will only be accepted in the form of demand draft and not any other mode. Bids without EOI fee and EMD will be rejected summarily.

9. **PRE-BID MEETING:-**

In case, after pre-bid meeting (wherever applicable) any modification(s)/ addition(s)/deletion(s) or any alternation in the requirement(s)/specification(s)/ condition(s) etc is considered by the Institute, the same will be placed only on NIFTEM's website- www.niftem.ac.in and shall not be advertised in the newspapers. Therefore all the bidders are advised to visit our website before filling their EOI. All the prospective bidders are advised to keep themselves updated for such corrigendum before submitting their bid. In this regard, the Institute will not be responsible in any manner.

10. IMPORTANT INFORMATION:

All the interested bidders are advised that the Pilot Plants facilities are "as is where is basis", therefore, they are advised to visit the Institute on any working day to see the plants and other

facilities before submitting their bid. In this regards, they may also contact with Shri Aditya Sharma, Pilot Plant Manager on his email ID<aditya.sharma@niftem.ac.in>or his Mobile No. 7015504639. The agencies can install add on equipments compatible to the available equipments. Small modifications/add on/changes can be allowed without major alterations, compatible to the existing equipment/facilities. In no case, modifications will be permitted to make NIFTEM's equipment idle.

11. CORRIGENDUM/ADDENDUM:

12. BIDDING PROCEDURE FOR ONLINE EOIING:-

a) REGISTRATION

- 1. Bidders are required to enrol on the e-procurement website of the Central Public Procurement Portal (URL: https://eprocure.gov.in/eprocure/app) by clicking on the link "Online bidder Enrolment" on the CPP Portal which is free of charge.
- 2. As part of the enrolment process, the bidders will be required to choose a unique username and assign a password for their accounts.
- 3. Bidders are advised to register their valid email address and mobile numbers as part of the registration process. These would be used for any future communication from the CPP Portal.
- 4. After enrolment, the bidders will be required to register their valid Digital Signature Certificate(DSC) (Class II or Class III Certificates with signing key usage) issued by any Certifying Authority recognized by CCA India (e.g. Sify / nCode / eMudhra etc.), with their profile.
- 5. Only one valid DSC should be registered by a bidder. Please note that the bidders to ensure that they do not lend their DSC to others which may lead to misuse.
- 6. Bidder then login to the site through the secured login user ID / password and the password of the DSC/e-Token.
- 7. The EOI documents and other terms and conditions of the EOI can be downloaded from NIFTEM's website www.niftem.ac.in and www.eprocure.gov.in.

b) SEARCHING FOR EOI DOCUMENTS.

- 1. There are various search options built in the CPP Portal to facilitate bidders to search active EOIs by several parameters. These parameters could include EOI ID, Organization Name, Location, Date, Value etc. There is also an option of advanced search for EOIs, wherein the bidders may combine a number of search parameters such as Organization Name, Form of Contract, Location, Date, Other keywords etc. to search for aEOI published on the CPP Portal.
- 2. Once the bidders have selected the EOIs they are interested in, may download the required documents / EOI schedules. These EOIs can be moved to the respective 'My EOIs' folder. This would enable the CPP Portal to intimate the bidders through SMS / e-mail in case there is any corrigendum issued to the EOI document.
- 3. The bidder should make a note of the unique EOI ID assigned to each licensee, in case they want to obtain any clarification / help form the Helpdesk.

c) PREPARATION OF BIDS

- 1. Bidder should take into account any corrigendum published on the EOI document before submitting their bids.
- 2. Please go through the EOI advertisement and the EOI document carefully to understand the documents required to be submitted as part of the bid. Please note that number of covers in which the bid documents have to be submitted, the number of documents including the names and content of each of the document that need to be submitted. Any deviations from these may lead to rejection of the bid.
- 3. Bidder, in advance, should get ready the bid documents to be submitted as indicated in the EOI document / schedule and generally, they can be in PDF / XLS/ RAR / DWF / JPG formats. Bid documents may be scanned with 100dpi in black and white option which helps in reducing size of scanned document.
- 4. To avoid the time and efforts required in uploading the same set of standard documents which are required to be submitted as a part of every bid, a provision of uploading such standard documents (e.g. PAN card copy, Annual reports, Auditor certificates etc.) has been provided to the bidders. Bidders can use "My Space" or "Other Important Documents" area available to them to upload such documents. These documents may be directly submitted from the "My Space" area, and need not be uploaded again and again. This will lead to a saving in the time required for bid submission process.

d) SUBMISSION OF BIDS

- 1. Bidder should login the site well in advance for bid submission so that they can upload the bid in time i.e. on or before the bid submission time.
- 2. The bidder has to digitally sign and upload the required bid documents one by one as indicated in the EOI document.
- 3. Bidder has to select the payment option as "offline" to pay the EOI fee / EMD as applicable and enter details of the instrument.
- 4. The details of Demand Draft should tally with the details available in the scanned copy and the data entered during bid submission in time. Otherwise the uploaded bid will be rejected.
- 5. The server time (which is displayed by the bidders' dashboard) will be considered as the standard time for referencing the deadlines for submission of the bids by the bidders, opening of bids etc. The bidders should follow this time during bid submission.
- 6. All the documents being submitted by the bidders would be encrypted using PKI encryption techniques to ensure the secrecy of the data. The data entered cannot be viewed by unauthorized persons until the time of bid opening. The confidentiality of the bids is maintained using the secured Socket Layer 128 bit encryption technology. Data storage encryption of sensitive fields is done. Any bid document that is uploaded to the server is subjected to asymmetric encryption using a system generated symmetric key. Further this key is subjected to asymmetric encryption using buyers / bid openers public keys. Overall, the uploaded EOI documents become readable only after the EOI opening by the authorized bid openers.
- 7. The uploaded EOI documents become readable only after the EOI opening by the authorized bid openers.
- 8. After the successful and timely submission of bids (i.e. after clicking "Freeze Bid Submission" in the portal), the portal will give a successful bid submission message & a bid summary will be displayed with the bid no. and date & time of submission of the bid with all other relevant details.
- 9. The bid summary has to be printed and kept as an acknowledgment of the submission of the bid. This acknowledgment may be used as an entry pass for any bid opening meetings.

e) ASSISTANCE TO BIDDERS

1. Any queries relating to the EOI document and the terms and conditions contained therein should

- be addressed to the EOI Inviting Authority for aEOI or the relevant contact person indicated in the EOI.
- 2. Any queries relating to process of online bid submission or queries relating to CPPP Portal in general may be directed to the 24x7 CPP Portal Helpdesk.

f) BIDDING APPLICATION MUST BE ACCOMPANIED WITH THE FOLLOWING:-

Technical Bid on the EOI document appearing at <u>Annexure- I</u> duly filled in, should be signed and stamped along with following documents:-

- i. Earnest Money Deposit (EMD) & EOI document Fee (non-refundable) as specified in the form of Bank Demand Drafts (cheques are not accepted) drawn in favor of NIFTEM payable at SBI Kundli, Sonepat(Bank IFSC SBIN0015479).
- ii. ID Proof
- iii. Proof of permanent address.
- iv. Details of Bank Account i.e Account No., IFSC Code, MICR No., Bank Name and address.
- v. Copy of PAN Card, Aadhar Card, Voter Card
- vi. Copies of Balance Sheet, Profit & Loss and Annual Income Tax Return of immediate last 3 financial years ending 31st March, 2021 (only for those who are having such documents). Others may enclosed CA certificate or Bank certificate regarding financial soundness, alongwith copy of pass book with six months transactions.
- vii. Details of Regn.of Firm/ PAN/Service Tax Registration number/GST/ ESI & EPF No, as applicable.
- viii. An authorization letter in favor of the person signing the EOI documents, should be signed by the Proprietor/Partner/Director. (Annexure-III).
- ix. Details of past experience/business of the Bidder.
- x. An attested copy of the certificate of registration/incorporation (with MoA/AoA) pertaining to the legal status of the bidder.
- xi. EOI document with all annexure should be duly signed and stamped on each page as acceptance of the terms and conditions.
- xii. In addition to e-EOI, a hard copy of EOI documents along with EOI Fee, EMD and duly signed and stamp annexure may also be sent through Regd. Post or be dropped in the EOI Box or submitted to the NIFTEM, Reception before last date and time. Only one EOI should be included in one cover. Incomplete EOI will not be entertained and summarily rejected.
- xiii. Agency has to provide their financial quotes of license fee in **Annexure** –**IV**.
- xiv. In any case, if EOIs are not opened due to any reason, the EOI documents & EMD shall be returned to all the bidders.
- xv. The EOI will be valid up to 180 days from the date of its publishing.

13. EVALUATION PROCEDURE:

1) All the individual/ agencies that are fulfilling the eligibility criteria are invited for a technical presentation before the Tender Evaluation Committee (TEC) on the date and time, as indicated above. The technical presentation will be assessed on following parameters:

Proper legal entity (Registration/ MOA/ MSME Regn./ (Enclose documentary evidence)	for each year)	marks, 11-20 lakh, 10 marks, 21-50 lakh-15 marks, 51-50 lakh & above-20 marks (Balance sheet/CA Certificate/ Bank certificate	PAN, TAN, GST, PF, Labour, FSSAI, Addhar Card etc (2 marks for each but maximum 10 marks)	Technology	Strategy for production, marketing and sustainability	
Please enclose documentary evidence with Technical Bid to support your These marks will be allotted on						
		the basis of	presentation.			
10	20	20	10	20	20	

- 2) The technical presentation should be consisting of individual/agency bio-data/credential, professional qualification of individual/team, financial strength, product idea, manpower deployment and strategy for production and marketing etc.
- 3) The financial bid shall only be opened of those agencies, which are technically qualified and secured minimum 50% marks out of above 100 marks in the above assessment. In case sufficient agencies have not scored minimum 50% marks during assessment, the criteria can be relaxed further and marks obtained up to 40%, will also be treated as qualified for opening of financial bids. In this regards, decision of Committee or Institute shall be final and binding.
- 4) Allotment of Pilot Plant/Facility: The Pilot Plant/equipment/machine/facility will only be allotted to those individual/agencies, who will quote highest license fee in the pilot plant/equipment and assessed capable to run the Pilot plant not less than for one year, as the case may be or as decided by the Committee on the basis of their concept of product and strategy of production and marketing. There will be endeavor to allot complete pilot plant shop floor to a single agency/individual but in case of non availability of suitable single agency, standalone equipment including process line will be allotted, but in this regards, the decision of the Institute shall be final. In case of quitting before allotted period or minimum locking period of six months, their performance security will be forfeited or any other action as deemed proper in the circumstances by the Institute.
- 5) In case of tie between qualified agencies, who have quoted equal license fee for the concerned Pilot Plant/equipment/facility, the work will be allotted to that agency, which scored highest marks or have the highest turnover during the (i) technical assessment or (ii) having more experience in running of similar business. Even, if there is any problem, the license will be given to that agency, which financial turnover is higher. However, in this regard, the Institute's decision will be binding upon all the agencies.
- 6) In case existing agency has also applied and its bid is lower than the new applicant/bidder existing agency will be offered to revise the bid as per the "Right to First Refuse" clause and if there is tie between existing and new agency, the preference will be given to existing agency.

14. GENERAL TERM & CONDITIONS:-

1. Acceptance of the EOI will be intimated to the successful agency through a Letter of Intent (LOI)/Work Order duly signed by the authorized signatory of the Institute

- 2. No agency will be allowed to alter or revoke the bid after opening of the bids and during the validity of EOI. The EMD of agency can be forfeited, if the agency withdraws or amends or deviates from the EOI in any respect.
- 3. The name and address of the Licensee with rubber stamp shall be clearly written in the space provided and no overwriting, corrections, insertion shall be permitted in any part of the EOI unless duly countersigned by the Licensee. The EOI should be filled in and submitted in strict accordance with the instructions laid down herein otherwise the EOI is liable to be rejected.
- 4. Person signing the bid or other documents connected with EOI must clearly write his/her name and specify the capacity in which signing.
- 5. Individual signing the EOI or other documents connected with the EOI must specify whether one signs as (a) A sole proprietor of the concern or constituted attorney of such sole proprietor (b) A partner of the firm if it is a partnership firm, in such case he must have authority to execute contracts on behalf of the firm by virtue of partnership agreement or by a power of attorney duly executed by the partners of the firms.
- 6. Telegraphic/fax or conditional EOI will not be considered. The EOI have to be submitted on-line only.
- 7. The Agency have to enclose EMD accordingly as mentioned above, failing which EOI will not be accepted.
- 8. The Institute reserves the right to reject any or all the EOIs without assigning any reason. Besides, all kind of rights about these Pilot Plants are also vested with NIFTEM authorities.
- 9. If at any time during the period of contract, it comes to the notice of the NIFTEM that the bidder has mislead the NIFTEM be way of giving incorrect/false information, which has been material in the award of Contract to him/her, the contract shall be liable for termination besides other legal action which may be initiated against the Agency or the owner/partners/directors or any person responsible for the affairs of the Agency under law.
- 10. The licensee will have to provide a list of workers who will be working at the pilot plant and provide complete details about them. The licensee will also provide police verification of all his/her workers.
- 11. Firms submitting EOI would be considered to have read & accepted all terms & conditions. No enquiries verbal or written shall be entertained in respect of acceptance or rejection of the EOI. The bidder shall in a separate sheet disclose the details of the partners/directors etc. which shall be enclosed with technical bid.
- 12.NIFTEM will deduct Tax at source/TDS under section 194-C of the Income Tax Act, 1961 from the bills of the contractor.
- 13. The Agency has to ensure to deposit the due taxes to the Govt. timely.

- 14. Acceptance: It is understood that the licensee accepts the terms and conditions enclosed in the EOI form.
- 15. **Period of Contract:** The initial contract shall be for a period of one year from the date of award but it can be extended further up to maximum 04 more years on annual basis, as the case may be, based on satisfactory performance, by mutual consent. The contract once awarded, can be terminated by either party by serving 30 days notice. Nevertheless, NIFTEM can terminate the contract of the licensee without any notice in case the licensee fails to deliver satisfactory services or having continuous & repeated complaints or fails to submit performance security within reasonable period or fails to pay license fee and electricity charges timely or commits a breach of any of the terms of the contract. In case of breach, NIFTEM's decision shall be final and accepted without demur by the contractor. The security deposit shall be forfeited in such cases. In case, licensee quite before awarded period or minimum locking period of one year, their security can be forfeited besides any other action as deemed proper in the circumstances by the Institute.
- 16. License Fee for Pilot Plant/machine: Successful agency/bidder have to deposit a monthly license fee as quoted in the financial bid & E&W charges before 10th of each but it shall not be less than at the rate of 8%.
- 17. The license fee for the first 3 months shall be deposited in advance along with GST, which will be returned after the expiry of contract without interest. If license fee is not deposited within prescribed time, penalty as indicated in TOR, shall be recovered on due amount/outstanding amount until clearance or it will be deducted from their security. The license fee shall be deposited either through cheque/DD/NEFT.
- 18. If any equipment/utilities/facilities available in the processing line, which has not been included in the list but required for processing and given to the agency, will also be charged at the same quoted rates of license fee.
- 19. GST on license fee & others shall be applicable over and above the mentioned amount.
- 20. **Add-On:** No extra time will be given for the purchase as well as installation of add-on equipments or any other modification, as required for compatibility with the present plant & machinery.
- 21. **Lead Time:** The lead time to run the Pilot Plants is 45 days from the issue of LoA or as decided by the Competent Authority. The Agency has to provide their acceptance within 07 days from the issue of LoA. During the lead time, all kind of maintenance charges including electricity etc will be borne by the Agency/Licensee. The lead time will be provided only to new agency and not for the existing or continuing agency.
- 22. **Handing Over of Plant:** The Plant will be handed over to the agency/licensee within 07 days, after acceptance and submission of performance security equivalent to three months' license fee and 03 months advance to the NIFTEM. The Agency will also be given further 30 days time for testing, trial run, compatibility etc. at their own expenses and during this period, no license fee will be charges. However, in case of back out, the license fee for 3 months and performance

security will be forfeited or any other decision as decided by the Institute. In case the plant goes to current agency, no handing over exercise will be done as the plant is already in their custody.

- 23. **Revision in License Fee:** In case of extension beyond 01 year, license fee will be increased by 10% of the prevailing license fee on every extension.
- 24. **Electricity Charges:** Successful agency/bidder is required to pay actual Electricity Charges with GST towards actual consumption of electricity meter by10th of each month failing which appropriate penalty as indicated TOR on due amount shall be charged until clearance. The bill will be inclusive of Actual Fixed load & other charges i.e.
 - f) Tariff/SOP = Rs. 6.30/KWH
 - g) Fixed Load Charges= Rs. 160/KW
 - h) Electricity Duty = Rs. 0.10/KWH
 - i) FSA = 0.00
 - j) Municipal Taxes= 2% of (SOP+ FSA+ Fixed load charges)

And rate may be revised any time when the rate changes made by UHBVN and Rs.24/- for DG Back up which can be changed time to time depending upon market price of fuel.

25. **Training/job practical to NIFTEM students/trainees/participants:** The agency will have to extend training/practical exposure to the students, trainees, participants as per mutual agreement and convenient to both. The students will be given training/practical exposure on a day fixed in a week as per mutual agreement. Also the agency will have to provide the basic training to new entrepreneur/start up if there is any request for the same. The agency is free not to share their recipe or other company confidentiality. Further Agency will have to allow students & Faculty to use processing facility as per their requirement like R & D work etc. The requirement of the same will be informed to agency well in advance.

26. Quality & Hygiene To Be Maintained By The Contractor: -

- The agency will obtain proper FSSAI License for each product as requirement.
- The licensee shall procure food articles and raw-material of good quality as per the standard specified by FSSAI.
- The Licensee shall ensure daily removal of garbage from the premises to designated area. However, before the garbage is taken out for disposal, the Security Supervisor is required to check it physically in order to ensure that the material being disposed does not contain any useful items.
- It shall be compulsory for the Licensee to take the following hygiene and cleaning measures : (a) Cleaning the pilot plant including the store-room twice a day, (b) soaking the vessels in hot water at the end of the day, (c) Pot & utensils (d) thorough cleaning of refrigerators, water coolers once a week, (e) Periodic spraying of insecticides, (f) To ensure good food quality &maintain latest standards of health & hygiene (as specified by FSSAI) (h)Thorough cleaning of wash basins with detergent at the end of the day. In case of failure, the licensee will be liable for legal actions as per the various Act(s), applicable in this respect.

- 27. The licensee shall not engage the services of any sub-license or transfer the contract to any other person. If, it is found at any time, the NIFTEM has right to terminate the contract and to forfeit all security deposits.
- 28. NIFTEM shall be entitled to take over possession of the premises after expiry of 24 hrs notice with no further correspondence. However, any case of default will be pointed out in writing to the licensee as and when it comes to the notice to enable the licensee to correct and rectify his mistake.
- 29. The licensee will only occupy the earmarked area in the institute.
- 30. The licensee shall make the property good to all damage/loss which may be caused by any act or default of the contractor, his agents or servants or workers to any property of the Institute. NIFTEM reserves the right to make the property good for the damage or loss by charging all the expenses from licensee with the expenses.
- 31. The staff should be issued Identity Cards bearing photographs. The licensee shall also provide Uniforms and shoes to their employees and shall ensure that they wear them all times and maintain them properly. The staff working in plant shall wear separate footwear, while working to maintain safety standards.
- 32. The Licensee shall not use the allotted place/premises for any other activity except for the purpose for which it has been provided for.
- 33. The Institute will not be responsible for any loss to the agencies due to any reasons including power failure, natural calamity, fire, earth quake, flood, heavy rain or any other act of nature. The agency has to make their own arrangements to recover or minimize the loss.
- 34. Insurance of the plants and machinery etc shall be at the cost of licensee.
- 35. NIFTEM shall not provide any consumable or non-consumable items including raw materials at the pilot plant for the purpose of product development.
- 36. Licensee shall maintain all the equipments provided by the NIFTEM in good working condition and would be responsible for damages caused. He will carry out the repair & maintenance along with spares if any, without any delay to avoid interruption in services and cost of repairs shall be borne fully by the licensee. While operation, if any spare parts is damaged, the same will be replaced by the agency with the same specifications at their cost. On termination of agreement, licensee will hand over all such equipments / articles in good working condition to NIFTEM.
- 37. The charges towards AMC/CAMC will be borne by the agency itself. In case NIFTEM has done the AMC, the charges for the same on monthly basis will have to be paid by the agency every month along with the license fee. In case the agency fails to do so penalty as applicable for License fee will be levied.

- 38. Use of cigarette, bidi, pan, alcohol etc. is banned in the pilot plant and in the NIFTEM premises, if anyone is found indulged in these activities, the person shall be asked to leave the campus immediately and the Licensee shall be liable to lose the contract for breach of this condition. The Licensee shall undertake that any act of omission or commission including theft, by his/her staff shall be his/her sole responsibility and further that he/she would compensate the Institute immediately for any loss or damage or theft occurring on account of his/her staff individually or collectively.
- 39. The licensee shall ensure to take all safety measures (including fire) in the Pilot Plant. He will also keep a First-Aid Box for the persons deployed in Plant.
- 40. If at any stage, it has been found that electricity, water or other resources have been misused, the agency will be fined appropriately.
- 41. The Agency has to make its own arrangement for stay of the workforce at nearby area as the Institute is not having any such facility.
- 42. The bidders have to arrange their own emergency lights, loader, rat trapper, gas cylinders, fuel and any other recurring items.
- 43. NIFTEM reserves the right to call upon the Agency to remove any person employed working in the NIFTEM, if found unsuitable for services because of hygiene or health or conduct or any other administrative reasons. NIFTEM reserves the rights to disallow the person not having the identity card
- 44. In case of interpretation, modification and any alteration with respect to terms & conditions, the licensee & NIFTEM will jointly look into such aspect and the decision of the NIFTEM will be final and binding to licensee.
- 45. The agency will, prior to the commencement of the operation of contract, make available to NIFTEM the particulars of all the employees who will be deployed at the Institute's premises for running the plant. Such particulars, inter alia should include age/date of birth, Photo, fingerprint, permanent address, police verification report and profile of the health status of the employees.
- 46. The agency shall ensure proper discipline among its workers and further ensure that they do not indulge in any unlawful activity.
- 47. Employment of child labour is strictly prohibited under the law. Therefore, the agency will not employ any child in the plant.
- 48. The Licensee shall be personally responsible for conduct and behavior of its staff and any loss or damage to Institute's moveable or immoveable property due to the conduct of the agency's staff shall be made good by the Licensee.

- 49. NIFTEM management will have 24-hour access to inspect the premises at any time for ensuring the cleanliness and hygienic conditions. Any defect pointed out by such officials during their visits shall be properly attended to by the Licensee.
- 50. Storing/Supply/Sale and consumption of drugs, alcoholic drinks, cigarettes or any other items of intoxication are strictly prohibited in the Institute's campus. Any breach of such restrictions by them will attract deterrent action against the Licensee as per statutory norms
- 51. The workers employed by the agency shall be directly under the supervision, control and employment of the Licensee and they shall have no connection what so ever with NIFTEM. NIFTEM shall have no obligation to control or supervise such workers or to take any action against them except as permissible under the law. Such workers shall also not have any claim against NIFTEM for employment or regularization of their services by virtue of being employed by the Licensee against any temporary or permanent posts in NIFTEM.
- 52. The cleaning of outside Shop floor area, Stores, Staff Toilet, pilot plants Room shall be responsibility of the Licensee. Besides, the Licensee will ensure that proper disposal of food waste and will not be thrown in the campus or nearby area in any manner. In case, Licenseefails to maintain the required cleanliness all around the premises, the same will be ensured by deploying a dedicated housekeeping staff NIFTEM at their cost and for that Rs. 13,290/- per month (lump sum) will be charged/ recovered. In case of partial, the partial charges will be charged. These rates will be the same, as being prescribed by Central Labour Commissioner.
- 53. Canvassing in any form will be viewed seriously and if any Agency is found to be resorting to such practices, the EOI of such firm will be rejected.

15. PERFORMANCE SECURITY:-

- i) The successful agency has to submit a Performance Security equivalent to 3 month's License fees in the form of DD and also 03 months License fee in form of Bank Guarantee separately. Until submission of Performance Security, the EMD amount will be retained, but in case of delay beyond one month, the EMD amount will be forfeited or adjusted against the performance security, as the case may be. However, in this regard, decision of the Competent Authority shall be final & binding.
- ii) Within 15 days of receipt of LoA, the licensee shall furnish performance security as specified in bidding document. The proceeds of the performance security shall be payable to the Institute as compensation for any loss resulting from the Licensee failure to complete its obligations under the Contract. Performance security shall be in one of the following forms of Bank guarantee issued by a Nationalized/Scheduled bank located in India or An Account Payee demand draft in favor of NIFTEM payable at Kundli, Sonepat.
- iii) **Release of performance Security/Security Deposit-** The Performance Security/Security Deposit equivalent to three months' license fee in form of DD and BG will be taken within 30 days from the issue of LoA or will be deducted from EMD. The PNG security will be taken separately. The

Performance Security/Security Deposit will be returned without interest, after 60 days on the completion of all contract obligations and handing over of all the equipments & plants in good & working condition.

iv) Handing over of Plants after completion of contract: the licensee has to hand over the concerned Pilot Plants/Equipments, along with utilities, in working condition on the expiry of contract period to the designated Officer/Faculty or team. In case of any damage, suitable amount as decided will be deducted from the performance security. The other space including stores, office etc would require to be vacating within 07 days from the handing over of the Plants.

16. PENALTY CLAUSE:-

- 1) If agency or their employee found quarrelling, misbehaving with any officer, employee, students, visitors or involved in any anti social activity, besides penalty, appropriate action will be also taken against the agency.
- 2) The agency will ensure that their employees do not shout/ abuse /play loudly music on mobile or tape or radio or FM failing which attract penalty provisions.
- 3) In the case of repetition of any act, misconduct, heavy penalty and any other action as deemed proper will be taken against the Agency or guilty.
- 4) In case of submission of late license fee beyond the stipulated time, penalty @ 2.0 % per month shall be imposed on balance amount and will be added in next month billing. In no case the pending payment should be due for more than 03 months & if this happens the additional penalty @ 10% will be imposed on pending dues and stoppage of electricity and utility services will be done and if still the dues are not cleared the contract termination notice will be served and the amount will be deducted from Performance security and advance license fee.

17. COMPLIANCE OF MINIMUM WAGES ACT/INSURANCE ACT/EPF ACT etc:-

- 1. The Licensee will ensure the compliance of minimum wages to their staff, besides timely deduction/submission of ESI, EPF etc. contributions to the respective authority.
- 2. The Licensee shall be wholly responsible to provide all the benefits viz PF, ESI, Bonus, Gratuity, Leaves etc, to eligible personnel engaged and deployed by the Contractor.
- 3. Strict adherence of various applicable labour laws like Minimum Wages Act, Labour Act, ESI Act, EPF Act, Payment of Wages Act, The Workman Compensation Act, Contract Labour (Regulation and Abolition) Act 1970 or any other application Acts/Rules and all other statutory requirements as amended from time to time to the entire satisfaction of Central/State Govt. Authorities, shall be the responsibility of the Licensee and he shall have to good loss, if any, suffered by NIFTEM on account of default in this regard by the agency. EPF/ESI contributions will be deposited by the agency in his EPF/ESI code No. in the respective account of workers.

- 4. In the event of violation of any contractual or statutory obligations by the licensee, he/she shall be responsible for the same. Further, in the event of any action, claim, damages, suit initiated against the Institute by any individual or government authority due to the acts of the licensee, he/she shall be liable to make good /compensate such claims for damages to any individual, agency or government authority.
- 5. Licensee shall abide by all laws of the land including labour laws (ESI, PF, Bonus, Income Tax, Service Tax or any other extra taxes levied by the Govt.) companies Act, Tax deduction liabilities, welfare measures of its employees and all other obligations of this region and also those Laws which are not essentially enumerated and defined herein. Any such claims at a later stage shall be the exclusive responsibility of the Licensee and it shall not involve NIFTEM in any way whatsoever.

18. INSURANCE OF WORKERS:-

The Licensee will be solely responsible for any liability for his manpower in respect of any accident, injury arising out and in course of firm's deployment. To meet out the aforesaid obligation under the workmen Compensation Act, the agency may obtain W.C. Policy from the Insurance Company for the person employed by him for carrying out the work. The premium payable for the foresaid insurance policy shall be borne by the Licensee.

19. SAFETY RULES:-

- a. The Licensee shall have to comply with all the provisions of safety rules. The Institute may impose penalty, if any employee found working carelessly without proper protective equipment in unsafe condition. Against violation of any other clause, penalty per violation shall be levied. In case of repeated violation of serious nature resulting in serious accident or direct loss to the NIFTEM/threatens to cause severe consequences, heavy penalty will be imposed including termination of contract.
- b. The Licensee will ensure that all safety measure precautions are taken while running any electrical or mechanical equipment. The Licensee shall be responsible for any loss or damage due to carelessness.
- c. The Licensee shall be responsible for safety of their staff while on the job and the Institute shall not be responsible for payment of compensation for any accident occurring during the work. The licensee is required to equip their workman with all required safety equipment etc. The Institute will not be responsible for any injury partial or permanent, or any mis-happening or death at site due to accident or malfunctioning of the equipment or by negligence of the staff.
- d. No compensation shall be payable to the Licensee for any damage caused by natural calamity (Rains, storms, earthquakes and other calamity) during the execution of the work.
- e. The licensee shall be responsible for all NOCs like Electricity, Fire and others as applicable.

20. NO CONDITIONAL BIDS SHALL BE ACCEPTED.

21. NO COUNTER CONDITIONS BY THE BIDDERS/AGENCIES SHALL NOT BE ACCEPTABLE

22. RIGHT OF ACCEPTANCE OF OFFER:-

NIFTEM reserves the right to accept partly or reject any offer without assigning any reason thereof. NIFTEM does not pledge itself to accept the lowest or any other EOI and reserves to itself the right of acceptance of the whole or any part of the EOI or portion of the quantity offered and the licensee shall supply the same at the rate quoted.

23. CANCELLATION/TERMINATION OF CONTRACT:-

- a) The contract can be terminated either side by serving by 30 days notice.
- b) The Institute shall have the right to terminate the Contract, arising out of finalization of this EOI, in part or in full in any of the following circumstance:
 - i) The Licensee is declared bankrupt or becomes insolvent.
 - ii) As per decision of Arbitration/Tribunal.
 - iii) When both parties mutually agree to terminate the contract.
 - iv) If Licensee failed to clear outstanding amount within 30 days.
 - v) The Institute reserves the right to cancel/short close the contract at any time by serving notice, in case of unsatisfactory performance, without assigning any reasons.

24. FORCE MAJEURE:-

Should any force majeure circumstances arise, each of the contracting party shall be excused for the non-fulfillment or for the delayed fulfillment of any of its contractual obligations, if the affected party within 30 days of its occurrence informs in a written form the other party. Force majeure shall mean fires, floods, natural disasters or other acts such as war, turmoil, strikes, sabotage, explosions, and quarantine restriction beyond the control of either party.

25. STATUORY DEDUCTIONS:-

Statutory deductions on account of Income Tax, Work Tax, GST, TDS etc. including surcharge shall be made at source from the bills of the agency at prevailing rates.

26. **RISK & COST:-**

In case of the Licensee fails to full fill the contractual obligations, it shall be without prejudice to the right of NIFTEM to recover any further amount or any liquidated and/or other damages.

27. ARBITRATION CLAUSE:-

a) In case of any dispute between Agency and NIFTEM, arising out of or in relation to the contract or agreement, firstly both the parties will try to settle down amicably, failing which, it shall be referred to the arbitration of a sole arbitration to be appointed by the Vice Chancellor, NIFTEM. The award of the said arbitrator shall be binding on both the parties. The seat of the arbitration shall be at Haryana territory. Without prejudice to right under any other clause of the contract, the NIFTEM, in the event of any breach of the conditions on the part of the licensee, shall cancel the contract and charge the licensee with any loss arising from such cancellation.

- b) Dispute if any, arising out of the contract shall be settled by mutual discussion or arbitration by sole arbitrator as appointed, as per the provisions of the Indian Arbitration and Conciliation Act, 1996 and the rules framed there under.
- c) All legal disputes shall be subject to jurisdiction of Sonepat / Chandigarh court only.
- 28. **IN ADDITIONS TO CLAUSES ABOVE:-** Other terms & conditions, which have not been mentioned in the EOI, can be added and the same will be mentioned in the LoA & Agreement. If the licensee is not agreed with any terms, which has been included at later date, they may communicate in writing before accepting the offer. After acceptance, no protest will be considered.

(Registrar, NIFTEM)

ANNEXURE-I

EOI FORM (TECHNICAL BID)

(To be submitted by the Agency on its letter-head)
All information should be filled and specified by page no. Proof to be attached

All information should be filled and specified by page no. Proof to be attached	
Name of the Agency	
Address	

Sl. No.	Particulars	Status (Yes enclosed)	Page No.
1.	Year of Incorporation ©copy to be enclosed)		
2.	Address of Registered Office(Copy to be enclosed):-		
3.	Name of Proprietor/Authorized Person:-		
4.	Mobile No.:		
5.	Email ID:-		
6.	Type of Pilot Plant applied for :		
7.	Work Registration No.:-(Copy to be enclosed)		
8.	No. of Works:		
9.	Past Experience(In years)		
10.	Details of work carried out by the Bidders during last 03 years		
10.	PAN No. ©Copy to be enclosed)		
11.	TAN No⊗Copy to be enclosed)		
12.	GST Registration No(Copy to be enclosed)		
13.	No. of Staff on Roll		
14.	No. of Branch Offices		
15.	ESI Registration No.:-		
	(Copy to be enclosed)		
16.	EPF Registration No.:-(Copy to be enclosed)		
17.	License No. under Contract Labour (R&A) Act ©Copy to be enclosed)		
18.	Income Tax Return (ITR) for F.Y. 2019-20, 2020-21 and 2021-22		
	(Copy to be enclosed)		
19.	Annual Turnover for F.Y.: -2019-2020:-Rs		
	2020-2021:-Rs		
	2021-2022:-Rs		
20.	Balance Sheet & Profit & Loss A/c for F.Y. 2019-20, 2020-21 and		
	2021-22:- (Copy to be enclosed)		
21.	FSSAI Certificate No.:-		
22	(Copy to be enclosed)		
22.	Proposal to use Pilot Plant/equipment and other		
	accessories/utilities and details of products to be prepared. Name of major raw material/finish goods. Approximate quantity and		
	of major raw material/imish goods. Approximate qualitity and		

	other details.		
	(Please use separate sheet)		
23.	Bank Details: Account Name:		
	Name of the Account Holder(as printed at Bank):		
	Bank Account No.:		
	Bank's name:		
	Bank Branch address:		
	MICR No.: IFSC Code:		
24.	Addhar Card No.		
	Enclose photocopy		
25.	Voter Card		
	(Enclose Photocopy)		
			<u>'</u>
EOI	I Fee: Demand Drafts No. amounting Rs.	dated	
	I Fee: Demand Drafts No amounting Rs D: Demand Draft No. amounting Rs.		
EMI	D: Demand Draft Noamounting Rs		
EMI			
EMI	D: Demand Draft Noamounting Rs		
EMI	D: Demand Draft Noamounting Rs		
EMI	D: Demand Draft Noamounting Rsamounting Rsare enclosed with Technical bid.		
EMI on _	D: Demand Draft Noamounting Rsare enclosed with Technical bid. ed: -		
EMI on _	D: Demand Draft Noamounting Rsamounting Rsare enclosed with Technical bid.		
EMI on _ Date Sign	D: Demand Draft Noamounting Rsare enclosed with Technical bid. ed: -	dated	
EMI on _ Date Sign	D: Demand Draft Noamounting Rsare enclosed with Technical bid. ed: -	dated	Drawn
Date Sign Nam	D: Demand Draft No amounting Rs are enclosed with Technical bid. ed: - nature ne in Block letters	dated	Drawn
Date Sign Nam	D: Demand Draft Noamounting Rsare enclosed with Technical bid. ed: - nature ne in Block letters ne of the Agency	dated	Drawn

ANNEXURE-II

ACCEPTANCE OF THE BIDDER

Name of the Licensee
All the clauses of EOI document and terms and conditions enumerated in this form have been read by me/us and are acceptable to me/us.
Dated: -
Signature
Name in Block letters
Name of the bidder
Address with stamp:

UNDERTAKING

To,

Registrar, National Institute Of Food Technology Entrepreneurship and Management Plot no 97, sector-56, HSIIDC Industrial Estate, Kundli-131028, District-Sonepat (Haryana)

Sir,

- 1 I/we the undersigned, certify that I/we have gone through the terms and conditions mentioned in the EOI documents and undertake to comply with them.
- 2. It is further certified that our firm has not been blacklisted by any agency in India or abroad.

Dated:

SIGNATURE OF THE BIDDER WITH SEAL

NAME OF THE BIDDER WITH ADDRESS

NOTE: Certificate as per above must be submitted only on non-judicial stamp paper of Rs. 100/- (Rs One Hundred Only)

ANNEXURE-IV

LIST OF EQUIPMENTS & UTILITIES

A. Meat & Poultry Pilot Plant

S. No.	Description of Equipment	Unit	Qty	Total Cost (In Rs.)
1	Automatic Mixer Grinder/Mixer	No.	1	2878451
2	Hydraulic Filler, Stuffer (Vacuum)	No.	1	3196769
3	LINK CUTTER	No.	1	289213
4	Forming Line, Portioning Machine	No.	1	1316281
5	Heavy Duty Automatic Slicer (Food slicer Model G330 A)	No.	1	509501
6	Injector (CURING MACHINE PR 8)	No.	1	1429798
7	Tumbler (MPR 300 High Tech Tumbler 400v-50 Hz)	No.	1	4840643
8	Ham Cooker	No.	1	351308
9	Ice Maker	No.	1	1092952
10	Gas Flushing Machine	No.	1	2971446
11	Stewing, Cooking Range, Broiling, Frying, Roasting Machine	No.	1	1078550
12	Metal Detector	No.	1	588300
13	Trolley Stainless steel (2)	No.	2	59856
14	Trolley Stainless steel (2)	No.	2	196854
15	Landing Table Satinless steel	No.	1	33992
16	Boining Table (2)	No.	2	67983
17	Packing Table (2)	No.	2	67983

340466	1	No.	Band Saw ST320 (With Table)	18
1517	1	No.	Digital Thermometer Probe for temperature	19
14882	1	Set	Broning Knife, Serrated knife, Sharpening steels	20
1388063	1	No.	Chiller 2 MT Capacity for Meat	
1388063	1	No.	Cold Store (For 8 MT capacity)	22
1832243	1	No.	Blast Freezer (Capacity 500 Kg)	23
2831955	1	No.	Bowl Cutter	24
226100	1	No.	Meat Skewer Machine	25
44418	1	No.	Compressed Air Supply system of Suitable Size	26
99941	1	No.	Raw and Soft water supply Suitable Size & Capacity as Required	27
373660	1	No.	Water Drainage system including floor traps & piping up to existing ETP PIT	28
1351183	1.0	Set	Electrical section shall consist of motor control centre including capacitor panel for power improvement up to 0.95, interconnecting cables, cable trays from MMC panel to motors.	29
37396	1	No.	RO soft water Valves & Fittings	30
14958.20		No.	Compressed air pipes, valves & fittings	31
30914725	1		Total	

FINANCIAL BID

Name of Agency	 	 	
Address	 	 	

S.No.	Name of Pilot Plant	Equipment name or Complete Pilot Plant	Minimum reserved rate of license fee of pilot Plant /equipments' cost of the line	Yearly license fee in INR (to be paid 12 equal monthly installments) for Pilot Plant/equipment (to be quoted by bidder in %)
01	Meat & Poultry Pilot Plant		8 % per annum	

Note:

- 1. Same is provided along with the tender document in .xls format. Bidder have to advised to download the price bid in that format, quote your rates in % for Pilot Plant/ Equipment and upload it along with the bid on to the portal.
- 2. GST on above license fee shall be payable extra as per applicable rate. GST shall also be payable on security amount and advance license fee.
- 3. The cost of equipments is tentative and in case of any inadvertent mistake, the actual cost will be taken for calculation of license fee.
- 4. The agency has to take all the equipment of concerned processing line.

Signature of the bidder with Stamp

License Agreement

This licence agreement is executed on this day of, 2023 for and on behalf of National
Institute of Food Technology Entrepreneurship and Management (NIFTEM), a Society registered under
Indian Society Act and a Deemed to be University under Section 3 of the UGC Act, 1956 and an
autonomous institute under Ministry of Food Processing Industries, GOI (herein after called the Institute)
through its Registrar on the first part;

	ANL)	
(please men	ntion particulars of	of the licensee)	
hereinafter called the licensee, on the s	second part;		

Whereas the Institute has set up pilot plants for training to the students and entrepreneurs and these are ready to use.

And whereas the Institute has invited bid from the prospective licensees to operate the pilot plants.

And whereas the licensee has been found successful bidder and it has been decided by the institute to give him the license for operation and maintenance of the pilot plants as per schedule annexed hereto called as "Equipments".

And whereas the licensee agrees to take license from the Institute subject to terms of this license agreement,

Now, therefore, this license agreement witnesses as under: -

1. SCOPE OF WORK:-

- 1) The Institute has agreed to provide the shop floor of particular pilot plant or specific equipment/machine on the requirement on monthly license fee as specified hereunder.
- 2) Beside above pilot plant facilities, the Institute has warehouse, office space, water availability, electricity with power backup, steam, refrigeration, road, parking etc facilities on chargeable basis.
- 3) The Institute may also provide incubation facility, technical support, reliable testing, product study, research, process-technique development and standardization through consultancy or faculty & students involvement.
- 4) The Institute has housekeeping, security etc through outsourced agency.
- 5) The Institute is also having ETP, RO Water, and STP facility which shall be provided on chargeable basis.
- 6) The Institute may also provide students to extend support under industrial training programme or part of their curriculum.
- 7) The Institute has commercial PNG Gas connection/supply
- **2. PERIOD:** The Institute shall take the equipment for its use. Initially the license will be given for a period of one year. The period of license may be renewed for additional one year on such terms and conditions as may be agreed upon by and between the parties hereto.

3. LICENSE FEE: In consideration of the above, the Licensee" who is a successful bidder/processor is hereby granted the license as a food business operator by the "Institute" on a monthly license fee of Rs ------.

The Licensee shall deposit advance licensing fee for 3 months at the prescribed rate and also security deposit equivalent to the 3 months licensing fee in the form of bank guarantee/DD towards security of the equipment. Such amount shall be deposited with the institute before taking the possession of the Pilot Plants for operation. No extension shall be allowed for this purpose.

The security deposit will be refunded after expiry of license agreement but in case of any outstanding at the time of termination of license, the same will be adjusted.

The monthly license fees shall be paid by the licensee along with the applicable taxes before 10th of the month. No part payment shall be accepted by INSTITUTE. The licensee shall be liable to pay a penalty @ 2.0 % per month on balance amount, if paid after 10th but before 20th of the month and under no circumstances it can be delayed beyond the 20th of the month. It will be treated as violation of the license agreement and can lead to termination of the license agreement.

The license fee including GST or any other levy of the Government shall be deposited either through cheque/DD/NEFT.

In case of extension beyond 1 year, license fee can be increased appropriately with mutual consent. In this regard, decision of the Institute shall be final.

1) The electricity, water, and PNG charges shall be applicable over and above the amount of license fee. The charges for electricity, power back up and water shall be the same, as being charged by Institute on other vendors. Presently, electricity charges as per Govt. rates and Rs. 24.00 per unit for DG backup. Water charges shall be same as being charged by HSIIDC. GST will also be charged as applicable.

The Licensee will be responsible for ensuring the supply of requisite essentials such as fuel, refrigerant, packaging material and other necessary needs for producing the products. However, the Institute will arrange the supply of electricity, water and CNG on the actual cost and applicable taxes basis. However, if there is any failure to supply the electricity, water and gas which is beyond the control of institute, the Licensee shall not claim any damages from the Institute for such failure.

It is expressly understood by the parties hereto that time shall be the essence of this Agreement, in so far as it relates to the obligations or commitments of the Licensee.

- 4. **WARRANTIES:** The Institute shall not be responsible for any repairs, service or defects in the Equipment or the operation thereof. However, the Institute agrees that Licensee shall be entitled to the benefits of the manufacturer's warranties in respect of the Equipment.
- 5. TITLE, IDENTIFICATION, and INSTITUTESHIP OF EQUIPMENT: No right, title or interest in the Equipment shall pass to Licensee by virtue of these presents. Conditioned upon Licensee's compliance with and fulfillment of the term of conditions of this Agreement, the Licensee shall have the right to have and retain possession and use of the Equipment for the full term of license including the

extended term if agreed to. Institute may require plates or makings to be affixed to or placed on the Equipment, indicating Licensee's interests therein. Institute and Licensee hereby confirm that their intent is that the Equipment shall at all times remain the property of the Institute.

Licensee also agrees and undertakes not to sell, assign, sublet, pledge, hypothecate or otherwise encumber or suffer a lien upon or against any interest in this Agreement or the Equipment, or to remove except for the purposes of repairs with prior intimation to the Institute the Equipment from the factory or office site where originally put to use or allow any third person to use the equipment without the prior consent of the Institute in writing.

- INDEMNITY: Licensee agrees to comply with all laws, regulations and orders relating to the 6. possession, operation, and use of the Equipment and assumes all risks and liabilities arising from or pertaining to the possession, operation or use of the Equipment. Licensee does hereby agree to indemnify and keep indemnified and hold safe and harmless the Institute from and covenants and undertakes to defend Institute against any and all claims, costs, expenses, damages and liabilities whether civil or criminal, of any nature whatsoever, arising from or pertaining to the use, possession, operation or transportation of the Equipment. Any fees, taxes or other lawful charges paid by Institute upon failure of Licensee to make such payments, shall become immediately due from Licensee to make such payments, shall become immediately due from Licensee to Institute. Licensee further covenants and undertakes to indemnify and keep indemnified the Institute against loss of Equipment by seizure by any person other than the Institute for any reason whatsoever, or resulting from any form of legal process initiated by any person other than the Institute, provided that such indemnity shall not cover such loss as arises out of any neglect or default on the part of the Institute. Licensee further agrees to indemnify and keep indemnified the Institute against all risks and liabilities whether civil or criminal, arising from the possession, use, operation or storage of the Equipment and for injuries or deaths of persons or damage to property arising from the above.
- 7. USE, INSPECTION: Licensee will cause the Equipment to be operated in accordance with manufacturers' manuals or instructions, if any, and in so far as applicable by competent and duly qualified personnel only and in accordance with applicable Government regulations, if any, and for business purposes only. Institute shall have the right from time to time during the normal business hours on any working day to enter upon Licensee's premises or elsewhere after prior notice for the purpose of confirming the existence, condition and proper maintenance of the Equipment.

License shall allow the students and faculty to use the processing facilities as per their requirements. The Institute shall have the right to conduct skill Development Trainings on the Equipments under License as per their requirement. There will be no restriction for the official visitors of the institute to visit the premise even during the license period.

8. REPAIRS, LOSS AND DAMAGE: During the term of the License and any renewal thereof, Licensee, at its own cost and expenses will keep all Equipments in good repair, condition and working order and shall furnish all parts, mechanisms, devices and servicing required thereof. All such parts, mechanisms and devices shall immediately be deemed part of the Equipment for all purposes hereof and shall become the property of the Institute. In the event, any item of Equipment is lost, stolen or destroyed or damaged beyond repair for any reason, Licensee shall promptly pay the cost of the equipment to

Institute, whereupon Institute will transfer to Licensee, without recourse of warranty, all of Institute's right, title and interest, if any, in such items.

9. INSURANCE: Licensee shall obtain and maintain for the entire term of this Agreement at its own expense, comprehensive insurance against loss or destruction or damage to the Equipment including without limitations destruction or loss by fire, theft and such other risks or loss as are customarily insured against on the type of Equipment licensed hereunder and by businesses in which Licensee is engaged and in such amounts as shall be satisfactory to Institute, provided however that the amount of insurance against loss or destruction or damage to the Equipment shall not be less than the greater of the full replacement value of the Equipment or the installments of license fee then remaining unpaid hereunder plus any renewal options entered into pursuant to this Agreement.

For the insurance of the plant and machinery in the name of INSTITUTE for the amount equivalent to the cost of installed machinery, Licensee will deposit the insurance premium amount to the institute to obtain the insurance policy. Each insurance policy will name Licensee as insured and note Institute's (and its Bankers') interests as loss payee. Licensee shall furnish to Institute a certificate of insurance or other satisfactory evidence that such insurance coverage is in effect.

10. Quality & Hygiene To Be Maintained By The Licensee:-

- The Licensee will obtain proper FSSAI License or FSSAI Registration, whatever applicable for each product as requirement.
- The licensee shall procure food articles raw-material & print packaging material of good quality as per the standard specified by FSSAI.
- The Licensee shall ensure daily removal of garbage from the premises to designated area. However, before the garbage is taken out for disposal, the Institute's Security Supervisor is required to check it physically in order to ensure that the material being disposed does not contain any useful items.
- It shall be compulsory for the Licensee to take the following hygiene and cleaning measures:
 - (a) Cleaning the pilot plant including the store-room twice a day,
 - (b) Soaking the vessels in hot water at the end of the day,
 - (c) Pot & utensils
 - (d) Thorough cleaning of refrigerators, water coolers once a week,
 - (e) Periodic spraying of insecticides,
 - (f) To ensure good food quality & maintain latest standards of health & hygiene (as specified under schedule IV by FSSAI)
 - (h) Thorough cleaning of wash basins with detergent at the end of the day. In case of failure, the licensee will be liable for legal actions as per the various Act(s), applicable in this respect.

11. FURTHER ASSURANCE:

- i. Licensee will not be allowed to display the name of his/her organization in the premises on INSTITUTE pilot plants. The Licensee shall not be allowed to sub-license any facility of the Pilot Plants.
- **ii.** The licensee shall not engage the services of any sub-licensee or transfer the agreement to any other person. If, it is found at any time, the INSTITUTE has right to terminate the agreement and to forfeit all security deposits.
- **iii.** INSTITUTE shall be entitled to take over possession of the premises after expiry of _____. Notice with no further correspondence. However, any case of default will be pointed out in

- writing to the licensee as and when it comes to the notice to enable the licensee to correct and rectify the mistake.
- iv. The licensee will only occupy the earmarked area in the institute.
- **v.** The licensee shall make good property for all damage/loss which may be caused by any act or default of the Licensee, his agents or servants or workers to any property of the Institute. INSTITUTE reserves the right to make the property good for the damage or loss by charging all the expenses from licensee with the expenses.
- **vi.** The staff should be issued Identity Cards bearing photographs. The licensee shall also provide Uniforms and shoes to their employees and shall ensure that they wear them all times and maintain them properly. The staff working in plant shall wear separate footwear, while working to maintain safety standards.
- **vii.** The Licensee shall not use the allotted place/premises for any other activity except for the purpose for which it has been provided for.
- **viii.** INSTITUTE shall not provide any consumable or non-consumable items including raw materials at the pilot plant for the purpose of product development.
- ix. Licensee shall maintain the equipments provided by the INSTITUTE in good working condition and would be responsible for damages caused. He will carry out the repairs without any delay to avoid interruption in services and cost of repairs shall be borne fully by the licensee. On termination of agreement, licensee will hand over all such equipments/articles in good working condition to INSTITUTE.
- x. Use of cigarette, bidi, pan, alcohol etc. is banned in the pilot plant and in the INSTITUTE premises, if anyone is found indulged in these activities, the person shall be asked to leave the campus immediately and the Licensee shall be liable to lose the agreement for breach of this condition. The Licensee shall undertake that any act of omission or commission including theft, by his/her staff shall be his/her sole responsibility and further that he//she would compensate the loss thereof.
- **xi.** Inform the Institute immediately for any loss or damage or theft occurring on account of his/her staff individually or collectively.
- **xii.** The licensee shall ensure and take all safety measures (including fire) in the Pilot Plant. He will also keep a First-Aid Box for the persons deployed in Plant.
- **xiii.** If at any stage, it has been found that electricity, water or other resources have been misused, the Licensee will be fined appropriately.
- **xiv.** The Licensee has to make its own arrangement for stay of the workforce at nearby area as the Institute is not having any such facility.
- **xv.** The bidders have to arrange their own emergency lights, loader, rat trapper, gas cylinders, fuel and any other recurring items.
- **xvi.** INSTITUTE reserves the right to call upon the Licensee to remove any person employed working in the INSTITUTE, if found unsuitable for services because of hygiene or health or conduct or any other administrative reasons. INSTITUTE reserves the rights to disallow the person not having the identity card.
- **xvii.** In case of interpretation, modification and any alteration with respect to terms & conditions, the licensee &INSTITUTE will jointly look into such aspect and the decision of the INSTITUTE will be final and binding on licensee.
- **xviii.** The Licensee will, prior to the commencement of the operation of agreement, make available to INSTITUTE the particulars of all the employees who will be deployed at the Institute's premises for running the plant. Such particulars, inter alia should include age/date of birth, photo, fingerprint, permanent address, police verification report and profile of the health status of the employees.
- **xix.** The Licensee shall ensure proper discipline among its workers and further ensure that they do not indulge in any unlawful activity.
- **xx.** Employment of child labour is strictly prohibited under the law. Therefore, the Licensee will not employ any child in the mess.

- **xxi.** The Licensee shall be personally responsible for conduct and behavior of its staff and any loss or damage to Institute's moveable or immoveable property due to the conduct of the Licensee is staff shall be made good by the Licensee.
- **xxii.** INSTITUTE management will have 24-hour access to inspect the premises at any time for ensuring the cleanliness and hygienic conditions. Any defect pointed out by such officials during their visits shall be properly attended to by the Licensee.
- **xxiii.** Storing/Supply/Sale and consumption of drugs, alcoholic drinks, cigarettes or any other items of intoxication are strictly prohibited in the Institute's campus. Any breach of such restrictions by them will attract deterrent action against the Licensee as per statutory norms.
- **xxiv.** The workers employed by the Licensee shall be directly under the supervision, control and employment of the Licensee and they shall have no connection whatsoever with INSTITUTE. INSTITUTE shall have no obligation to control or supervise such workers or to take any action against them except as permissible under the law. Such workers shall also not have any claim against INSTITUTE for employment or regularization of their services by virtue of being employed by Licensee against any temporary or permanent posts in INSTITUTE.
- **xxv.** The cleaning of Stores, staff Toilet, pilot plants Room shall be responsibility of the Licensee. Besides, the Licensee will ensure proper disposal of food waste and not be thrown in the campus or nearby area in any manner. In case, Licensee has not deployed a dedicated housekeeping staff, the same will carried out by INSTITUTE housekeeping staff and for that minimum Rs. 13,290/-pm will be charged/recovered from the licensee. This will be revised from time to time.
- **xxvi.** During the term of this Agreement, Licensee shall provide if so asked for by Institute annual audited accounts of the Licensee.
- **xxvii.** Licensee further irrevocably stipulates that at no time during the period of this license agreement will the Licensee attempt to capitalize the licensed asset on Licensee's balance sheet and Licensee and Institute irrevocably agree that ownership of the Equipment during the tenure of the license as specified herein and inclusive of any renewal options that the parties hereto may concur to indisputably vests with the Institute..

12.Penalty Clause:-

- 1) If Licensee or their employee found quarrelling, misbehaving with any officer, employee, students, visitors or involved in any anti social activity, besides penalty, appropriate action will be also taken against the Licensee.
- 2) The Licensee will ensure that their employees do not shout/abuse/play loudly music on mobile or tape of radio or FM failing which attract penalty provisions.
- 3) In the case of repetition of any act, misconduct, heavy penalty and any other action as deemed proper will be taken against the Licensee for guilty.
- 4) In case of submission of late license fee beyond the stipulated time, penalty @ 2.0 % per month shall be imposed on balance amount until the clearance.

13. Compliance of Minimum Wages Act/Insurance Act/EPF Act etc:-

- 1. The Licensee will ensure the compliance of minimum wages to their staff, besides timely deduction/submission of ESI, EPF etc. contributions to the respective authority.
- 2. The Licensee shall be wholly responsible to provide all the benefits viz PF, ESI, Bonus, Gratuity, Leave etc, to eligible personnel engaged and deployed by the Agreementor.
- 3. Strict adherence of various applicable labour laws like Minimum Wages Act, Labour Act, ESI Act, EPF Act, Payment of wages Act, The Workman Compensation Act, Agreement Labour (Regulation and Abolition) Act 1970 or any other application Acts/Rules and all other statutory requirements as amended from time to time to the entire satisfaction of Central/State Govt. Authorities. Shall be the responsibility of the Licensee and he shall have to make good loss, if any, suffered by INSTITUTE on account of default in this regard by the agency. EPF/ESI contributions will be deposited by the Licensee in his EPF/ESI code No. in the respective account of workers.

4. In the event of violation of any agreement or statutory obligations by the licensee, he/she shall be responsible for the same. Further, in the event of any action, claim, damages, suit initiated against the Institute by any individual or government authority due to the acts of the licensee, he/she shall be liable to make good/compensate such claims for damages to any individual, Licensee or government authority.

14. Insurance of Workers:-

The Licensee will be solely responsible for any liability for his manpower in respect of any accident, injury arising out and in course of firm's deployment. To meet out the aforesaid obligation under the workmen Compensation Act, the Licensee may obtain W.C. Policy from the Insurance Company for the person employed by him for carrying out the work. The premium payable for the foresaid insurance policy shall be borne by the Licensee.

15. Safety Rules:-

- a. The Licensee shall have to comply with all the provisions of safety rules. The Institute may impose penalty, if any employee found working carelessly without proper protective equipment in unsafe condition. Against violation of any other clause, penalty per violation shall be levied. In case of repeated violation of serious nature resulting in serious accident or direct loss to the INSTITUTE/threatens to cause severe consequences, heavy penalty will be imposed including termination of agreement.
- b. The Licensee will ensure that all safety measure precautions are taken while running any electrical or mechanical equipment. The Licensee shall be responsible for any loss or damage due to carelessness.
- c. The Licensee shall be responsible for safety of their staff while on the job and the Institute shall not be responsible for payment of compensation for any accident occurring during the work. The licensee is required to equip their workman with all required safety equipment etc. The Institute will not be responsible for any injury partial or permanent, or any mis-happening or death at site due to accident or malfunctioning of the equipment or by negligence of the staff.
- d. No compensation shall be payable to the Licensee for any damage caused by natural calamity (Rains, storms, earthquakes and other calamity) during the execution of the work.

16. Cancellation/Termination of Agreement:-

- a) The agreement can be terminated either side by serving a days' notice.
- b) The Institute shall have the right to terminate the Agreement, arising out of finalization of this EOI, in part or in full in any of the following circumstance:
 - i) The Licensee is declared bankrupt or becomes insolvent.
 - ii) As per decision of Arbitration/Tribunal.
 - iii) When both parties mutually agree to terminate the agreement.
 - iv) If Licensee failed to clear outstanding amount within 30 days.
 - v) In the event of any breach of the conditions on the part of the licensee, the Institute may cancel the agreement and charge the licensee with any loss arising from such cancellation.
 - vi) The Institute reserves the right to cancel/short close the agreement at any time by serving notice, in case of unsatisfactory performance, without assigning any reasons.

17. Force Majeure:-

Should any force majeure circumstances arise, each of the agreementing party shall be excused for the non-fulfillment or for the delayed fulfillment of any of its agreement obligations, if the affected party within 30 days of its occurrence informs in a written form to the other party. Force majeure shall mean fires, floods, natural disasters or other acts such as war, turmoil, strikes, sabotage, explosions, and quarantine restriction beyond the control of either party.

18. Statutory Deductions:-

Statutory deductions on account of Income Tax, Work Tax, Goods &Service Tax, TDS etc. including surcharge shall be made at source from the bills of the Licensee at prevailing rates.

19. Risk & Cost:-

In case of the Licensee fails to full fill the agreement obligations, it shall be without prejudice to the right of INSTITUTE to recover any further amount or any liquidated and/or other damages.

20. Arbitration:-

- a) In case of any dispute between Licensee and INSTITUTE, arising out of or in relation to the agreement, effort shall be made by the parties to settle the dispute by mutual discussion failing which the dispute shall be referred to a sole arbitrator to be appointed by the Vice Chancellor of the INSTITUTE. The award of the said arbitrator shall be final and binding on both the parties. The seat of the arbitration shall be at Haryana territory.
- b) Dispute between the parties, as noted above shall be decided in terms of the provisions of the Indian Arbitration and Conciliation Act, 1996 as amended up to date and rules framed there under.
- c) All legal disputes shall be subject to jurisdiction of Sonepat/Chandigarh courts only.
- 21. SURRENDER: Upon expiration or earlier termination of the license, Licensee will hand over all the assets and belongings of INSTITUTE in the good working condition and shall compensate the institute for any damage or loss of the equipments of the Pilot Plants.

22. EVENTS OF DEFAULT: An event of default shall occur hereunder if Licensee:

- a. fails to pay any installment of license fee or part thereof or other payment required hereunder when due and such failure continues for a period of 10 days after written notice is sent from Institute; or
- b. fails to perform or observe any other covenant condition or agreement to be performed or observed by it hereunder or breaches any representation or provision contained herein or in any other document furnished to the Institute in connection herewith and such failure or breach continues unremedied for a period of ten days (if such breach is capable of being remedied within ten days) after written notice is sent from the Institute; or
- c. without Institute's consent, attempts to remove (except for repairs), sell, transfer, encumber, part with possession or sublet any item of Equipment; or
- d. hall commit an act of bankruptcy or become insolvent or bankrupt or make an assignment for the benefit of creditors, or consent to the appointment of a Trustee or Receiver or either shall be appointed for Licensee or for substantial part of its property without its consent, or bankruptcy, reorganization or insolvency proceedings shall be instituted by or against Licensee; or
- e. shall suffer an adverse material change in the financial condition from the date hereof, and as a result thereof Institute deems itself or any of its equipment to be insecure; or
- f. shall be in default under any other agreement at any time executed with Institute.

- **23. WAIVER:** Any expressed or implied waiver by the Institute of any default shall not constitute a waiver of any other default by Licensee or a waiver of any of Institute's right. All original rights and powers of the Institute under this Agreement will remain in full force, notwithstanding any neglect, forbearance or delay in the enforcement thereof, by the Licensee of this Agreement shall not be deemed as waiver of any continuing or recurring breach by the Licensee of this Agreement.
- **24. NOTICES:** Any notices or demands required to be given herein shall be given to the parties hereto in writing and by registered/speed post or by hand delivery at the address herein set forth or to such other addresses as the parties hereto may hereafter substitute by written notice given in the manner prescribed herein above.
- 25. This Agreement and other agreements executed between the parties hereto pursuant to this Agreement cannot be cancelled or terminated except as expressly provided herein. Licensee hereby agrees that Licensee's obligations to pay all license fee and any other amounts owing hereunder shall be absolute and unconditional.
- **26.** This Agreement cannot be amended except in writing by mutual consent and shall be binding upon and to the benefit of the parties hereto, their permitted successors and assigns. The notice inviting EOI, bid document, award of work and any other communication between the parties herein before the award of the documents shall be deemed to be part and parcel of this agreement.
- **27.** This Agreement will be effective from .
- **28.** The captions in this Agreement are for convenience only and shall not define or limit any of the terms hereof.
- **29.** By execution hereof, the signatory hereby certifies that he has read this Agreement, including the Schedule hereto and that he is duly authorized to execute this Agreement on behalf of the Licensee/Institute, as the case may be

IN WITNESS WHEREOF each of the parties hereto has caused this agreement to be executed in duplicate on the date mentioned here in above by its duly authorized officers.

Signed for and on behalf of:	
	For
In the presence of:	
Witness No. 1	
Witness No. 2	
Signed for and on behalf of:	
	For
In the presence of:	
Witness No. 1	
Witness No. 2	



राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता और प्रबंधन संस्थान

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन राष्ट्रीय महत्व का संस्थान) आईएनआई प्लॉट सं97 ., सेक्टर-56, औद्योगिक क्षेत्र, कुंडली-131028, जिला-सोनीपत) हरियाणा

संदर्भ सं .N/PiP/PP/2022/21/14

दिनांक: 27.01.2023

रूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित करने वाला नोटिस) ईओआई (

निफ्टेम परिसर, प्लॉट सं97 ., सेक्टर-56, फेज-IV, एचएसआईआईडीसी, औद्योगिक क्षेत्र, कुंडली-131028, सोनीपत) हरियाणा (में अनुसंधान, उत्पाद विकास और व्ये वसायीकरण "जैसा है जहां है आधार" के लिए चल रहे मीट के प्रायोगिक संयंत्र या लाइसेंस आधार पर सुविधा का उपयोग करने के लिए इच्छुक उद्यमियों, उद्योग व्यक्तियों, खाद्य प्रसंस्करणकर्ताओं, किसानों, स्वयं सहायता समूहों, किसान उत्पादक संगठनों, स्टार्ट-अप, एमएसएमई इकाइयों आदि से टू-बिड सिस्टम में ऑनलाइन/ऑफलाइन ईओआई आमंत्रित किए गए है। अनुसंधान, उत्पाद विकास ईओआई दस्तावेज़ के साथ संदर्भ की शर्तें) टीओआर (, नियम और शर्तें आदि को सीपीपी खरीद पोर्टल वेबसाइट http://eprocure.gov.in/eprocure/app और निफ्टेम वेबसाइट <www.niftem ac.in> पर भी प्राप्त/डाउनलोड की जा सकती हैं।

ईओआई संख्या	कार्य का नाम
N/PiP/PP/2022/21/14	मीट और पोल्ट्री प्रसंस्करण संयत्र में मासिक लाइसेंस के आधार पर सुविधाओं का उपयोग करने के लिए ईओआई

महत्वपूर्ण तिथियाँ

विवरण	दिनांक	समय	टिप्पणी
ईओआई दस्तावेजों को जारी /प्रकाशित/अपलोड करना	27.01.2023	06.00 PM	सभी आवेदक प्रस्तुति चरण के लिए पात्र हैं।
प्री-बिड मीटिंग दिनांक और समय	03.02.2023	11.30 AM	1
बोली प्रस्तुत करने की प्रारंभ तिथि और समय	07.02.2023	04.00 PM	
बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि और समय	16.02.2023	02.00 PM	
तकनीकी बोली शुरूआत की तिथि और समय	17.02.2023	03.00 PM	
प्रस्तुति की तिथि	दिनांक और समय सूचित वि	त्या जाएगा	
वित्तीय बोली खोलने की तिथि और समय		त ईमेल के माध्यम से तारीख और ा जाएगा। कोई और तरीका नहीं	
	अपनाया जाएगा।		

ईओआई शुल्क विवरण

शुल्क विवरण	राशि
ईओआई प्रसंस्करण शुल्क (अप्रतिदेय)	1,180/ रु. (जीएसटी सहित)
बयाना जमा राशि (ईएमडी) (वापसी योग्य)	1,00,000/ रु. (सभी के लिए अनिवार्य)

ऑनलाइन मोडः इच्छुक बोलीदाता सीपीपी पोर्टल पर www.eprocure.gov.in के माध्यम से अपनी ऑनलाइन बोली प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन ईओआई शुल्क, ईएमडी और अन्य दस्तावेजों के साथ तकनीकी विवरण स्पीड पोस्ट /कोरियर के माध्यम से अंतिम तिथि से पहले भेजे जाने चाहिए। वित्तीय बोली संलग्न नहीं की जानी चाहिए और केवल सीपीपी पोर्टल पर अपलोड की जानी चाहिए। सभी इच्छुक बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि प्रायोगिक संयंत्र /सुविधा "जैसा है जहां है आधार "के आधार पर उपलब्ध है और इसलिए उन्हें सलाह दी जाती है कि वे अपनी बोलियां जमा करने से पहले संयंत्र और अन्य सुविधाओं को देखने के लिए किसी भी कार्यकारी दिनों के दौरान संस्थान का दौरा करें। इस संबंध में, वे श्री आदित्य शर्मा, प्रबंधक) प्रायोगिक संयंत्र (से उनके मोबाइल नंबर 7015504639या ईमेल आईडी <aditya.sharma@niftem.ac.in> पर संपर्क कर सकते हैं।

इच्छुक बोलीकर्ता वेबसाइट www.niftem.ac.in या www.eprocure.gov.in से ईओआई दस्तावेज़ डाउनलोड करके विवरण के साथ वाणिज्यिक शर्तों वाले ईओआई दस्तावेज़ की प्रति भी प्राप्त कर सकते हैं। उपर्युक्त कार्यक्रम के अनुसार संदेह) यदि कोई हो तो (को स्पष्ट करने के लिए निफ्टेम में प्री-बिड मीटिंग आयोजित की जाएगी, शुद्धिपत्र/परिशिष्ट, यदि कोई हो, केवल www.niftem.ac.in या www.eprocure.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध होगा।

1. निफ्टेम के बारे में

राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान) निफ्टेम (यूजीसी अधिनियम, 1956की धारा 3के तहत एक डीम्ड विश्वविद्यालय है और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त संस्थान है। निफ्टेम खाद्य विज्ञान, खाद्य प्रौद्योगिकी और व्यवसाय प्रबंधन के क्षेत्र में एकीकृत शिक्षा, अनुसंधान, उद्यम ऊष्मायन और आउटरीच के केंद्र के रूप में कार्य करता है। निफ्टेम की स्थापना कुंडली, जिला∸सोनीपत, हरियाणा में दिल्ली सिंघू वॉर्डर के निकट 100एकड़ के परिसर में लगभग 500करोड़ रु.की लागत से की गई है।

2. निफ्टेम का अधिदेश

निफ्टेम खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के – 'क्षेत्र संवर्धन संगठन' और 'व्यापार संवर्धन संगठन' के रूप में काम कर रहा है। यह एक प्रमुख शैक्षणिक संस्थान है और खाद्य प्रौद्योगिकी और प्रबंधन के क्षेत्रों में बी . टेक, एम . टेक, पीएचडी, एमबीए प्रोग्राम प्रदान करता है। संस्थान को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा प्रदान किया गया है।

निफ्टेम के प्रमुख उद्देश्य

निफ्टेम के प्रमुख उद्देश्य निम्नानुसार हैं- :

- खाद्य क्षेत्र के लिए एकल समाधान प्रदाता
- कौशल और उद्यमिता विकास
- अपने अति आधनिक प्रायोगिक संयंत्रों के माध्यम से व्यवसाय उष्मायान सेवाओं को सुगम बनाना।
- फ्रंटीयर एरिया रिसर्च करना
- विश्व स्तरीय प्रबंधकीय प्रतिभा का विकास करना
- ज्ञान भंडार
- एसएमई क्लस्टरों का उन्नयन
- सहयोग और नेटवर्किंग को बढ़ावा देना

3 . विचारार्थ विषय:

- 1. निफ्टेम प्रतिस्पर्धी तकनीकी और वित्तीय बोली के आधार पर किसी व्यक्ति/फर्म को मीट और पोल्ट्री प्रायोगिक संयंत्र के संचालन और रखरखाव का लाइसेंस देगा। बोली लगाने वाले को इन सभी प्रायोगिक संयंत्रों के संचालन और सुधार के बारे में अनुभव, वित्तीय व्यवहार्यता और दृष्टि के बारे में संस्थान द्वारा नामित समिति के समक्ष एक प्रस्तुति देनी होगी। संस्थान सफल बोली लगाने वाले को लेटर ऑफ अवॉर्ड जारी करेगा और बोली लगाने वाले को एलओए मिलने के 21दिनों में इन सभी प्रायोगिक संयंत्रों का कब्जा लेना होगा। अधिकार/संचालन में विलम्ब करने के लिए लाइसेंसधारी को किसी देरी की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- 2. सफल बोलीदाता/प्रोसेसर को "लाइसेंसधारी "के रूप में नामित किया जाएगा, जिसे प्रायोगिक संयंत्र में खाद्य व्यवसाय करने के लिए एफएसएसएआई से खाद्य व्यवसाय ऑपरेटर के रूप में लाइसेंस प्राप्त करना होगा। निफ्टेम मासिक आधार पर लाइसेंस शुल्क लेगा। लाइसेंसधारी द्वारा मासिक लाइसेंस शुल्क का भुगतान प्रत्येक माह की 10तारीख से पहले लागू करों के साथ किया जाएगा। निफ्टेम द्वारा कोई आंशिक भुगतान

स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि लाइसेंसधारी लाइसेंस शुल्क और अन्य शुल्कों का भुगतान करने में विफल रहता है, तो शेष भुगतान पर 2.0% प्रति माह की दर से जुर्माना लगाया जाएगा और अगले महीने की बिलिंग में जोड़ा जाएगा। किसी भी स्थिति में 03माह से अधिक का बकाया नहीं होना चाहिए और यदि ऐसा होता है तो लंबित बकाया राशि पर 10% अतिरिक्त जुर्माना लगाया जाएगा और बिजली और उपयोगिता सेवाओं को बंद कर दिया जाएगा और यदि अभी भी बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो अनुबंध समापन नोटिस दिया जाएगा और प्रदर्शन सुरक्षा और अग्रिम लाइसेंस शुल्क से राशि काट ली जाएगी।

- 3. समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण के दौरान बोलीदाता किसी ऐसे उपकरण का विवरण प्रदान करेगा जो जगह पर नहीं है या अन्य सहायक उपकरण या संरचनात्मक संशोधन की आवश्यकता है, उसे लाइसेंसधारी द्वारा अपनी लागत और जोखिम पर खरीदा और स्थापित किया जाएगा जिसे समझौते की समाप्ति के बाद में हटाया जा सकता है। हालाँकि, बाद में कोई और आवश्यकता देखी जाती है, उसी के बारे में नामित समिति / व्यक्ति को सुचित किया जाएगा। निफ्टेम से पूर्व अनुमोदन के बिना किसी संरचनात्मक संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- 4. प्रसंस्करणकर्ता को निर्धारित दर पर अमाह के लिए अग्रिम लाइसेंसिंग शुल्क जमा करना होगा तथा उपकरण की सुरक्षा के लिए बैंक गारंटी/डीडी के रूप में अमाह के समतुल्य जमानत राशि देनी होगी। ऐसी राशि संचालन के लिए अधिकार में लेने से पहले संस्थान के पास जमा की जाएगी। इस प्रयोजन की अवधि आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। सिक्यूरीटी डिपोजिट को या तो समायोजित किया जाएगा या लाइसेंस समझौते की समाप्ति के बाद वापस कर दिया जाएगा, लेकिन लाइसेंस की समाप्ति के समय कोई बकाया होने की स्थिति में, उसे समायोजित किया जाएगा।
- 5. लाइसेंसधारी को आवंटित प्रायोगिक संयंत्र के मुख्य द्वार को छोड़कर निफ्टेम प्रायोगिक संयंत्रों के परिसर में अपने संगठन का नाम प्रदर्शित करने की अनुमति नहीं होगी। लाइसेंसधारी को प्रायोगिक संयंत्र की किसी भी सुविधा का उप–लाइसेंस देने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- 6. प्रारंभ में लाइसेंस एक वर्ष की अवधि के लिए दिया जाएगा, जिसे प्रत्येक वर्ष प्रचलित लाइसेंस शुल्क में 10% की वृद्धि की दर से दोनों पक्षों द्वारा पारस्परिक रूप से तय किए गए अतिरिक्त 04वर्ष के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है।
- 7. स्थापित मशीनरी की लागत के बराबर राशि के लिए निफ्टेम के नाम से संयंत्र और मशीनरी के बीमा के लिए, लाइसेंसधारी बीमा पॉलिसी प्राप्त करने के लिए बीमा प्रीमियम राशि संस्थान को जमा करेगा।
- संस्थान की राय है कि प्रति वर्ष वित्तीय बोली के लिए संयंत्र और मशीनरी की लागत का कम से कम 8% आधार मुल्य होना चाहिए।
- 9. लाइसेंसधारी को सभी लागू करों का भुगतान करना चाहिए।
- 10. लाइसेंसधारी श्रम कानूनों के अनुपालन के लिए उत्तरदायी होगा। लाइसेंसधारी द्वारा नियुक्त कर्मचारियों/श्रमिकों को निफ्टेम से कोई दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।
- 11. ईटीपी के संचालन एवं रखरखाव के व्यय को सभी पांच प्रायोगिक संयंत्रों में निम्नलिखित अनुपात में विभाजित किया जाना चाहिए तथा लाइसेंसधारी से वसूल किया जाना चाहिए।

 क (खाने के लिए तैयार उत्पाद
 -10%

 बी (भारतीय पारंपरिक खाद्य उत्पाद
 - 7.5%

 सी (दूध प्रसंस्करण लाइन और डेयरी उत्पाद
 -30%

 घ (फल और सब्जी प्रसंस्करण उत्पाद
 - 20%

 ई (मीट एवं पोल्ट्री प्रसंस्करण 25%

 च (बेकरी संयंत्र 7.5%

उपरोक्त गैर परक्राम्य है

- 12. लाइसेंसधारी छात्रों और शिक्षकों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार प्रसंस्करण सुविधाओं का उपयोग करने की अनुमति देगा। इसके लिए लाइसेंसधारी को पहले ही सूचित कर दिया जाएगा।
- 13. लाइसेंस समझौते के दौरान भी निफ्टेम के आधिकारिक आगंतुकों के परिसर में आने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। हालांकि निफ्टेम लाइसेंसधारी द्वारा स्थापित प्रणालियों के अनुसार सुरक्षा और स्वच्छता के सभी दिशानिर्देशों का पालन करेगा।
- 14. लाइसेंसधारी आवश्यक वस्तुओं जैसे ईंधन, प्रशीतक, पैकेजिंग सामग्री तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन के लिए उत्पादों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा। हालांकि, संस्थान वास्तविक लागत के आधार पर बिजली, पानी और गैस की आपूर्ति की व्यवस्था करेगा। हालांकि, अगर बिजली, पानी और गैस की आपूर्ति में कोई विफलता है जो संस्थान के नियंत्रण से बाहर है, तो लाइसेंसधारी ऐसी विफलता के लिए संस्थान से किसी भी नुकसान का दावा नहीं करेगा।
- 15. संचालन और रखरखाव के लिए, लाइसेंसधारी वास्तविक उपभोग्य सामग्रियों और अतिरिक्त पुर्जों का उपयोग करेगा जैसा कि निर्माता द्वारा आपूर्ति की गई नियमावली में वर्णित है। अंशों को निफ्टेम के कर्मचारियों की उपस्थिति में बदला जाना चाहिए।

- 16. निफ्टेम के पास उपलब्ध स्पेयर पार्ट्स को निफ्टेम से खरीदा जा सकता है।
- 17. संस्थान लाइसेंसधारी के साथ एक समझौते में प्रवेश करेगा और अनुबंध की सामान्य शर्त के उचित खंड और अन्य सभी शर्तों को जीएफआर दिशानिर्देशों के अनुसार परिकल्पित खरीद नियमावली 2017 या लागू नवीनतम में शामिल करेगा। अधिक स्पष्टता लाने के लिए, दोनों के हितों की रक्षा के लिए इस ईओआई के अलावा समझौते में और अंश जोड़ा जा सकता है।
- 18. लाइसेंसधारी जीएमपी और जीएचपी (स्वच्छता के लिए) सहित सुविधा के संचालन, रखरखाव और सुरक्षा प्रबंधन और सेवा के प्रदर्शन पर लागू सभी कानूनों का पालन करेगा। लाइसेंसधारी सभी आवश्यक परिमट एवं लाईसेंस के लिए आवेदन करेगा। निफ्टेम लाइसेंसधारी को व्यवसाय करने की अनुमित देने के लिए आवश्यक सभी आवश्यक परिमट, लाइसेंस और अनुमोदन के लिए आवेदन करने और प्राप्त करने में सहायता करेगा। लाइसेंसधारी को परियोजना के संबंध में किसी भी सरकारी एजेंसी को सौंपी गई रिपोर्ट, नोटिस और अन्य संचार निफ्टेम को भी जमा करानी होगी।
- 19. लाइसेंसधारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के विनियमों के अनुसार सभी अपशिष्ट और बहिस्राव के निपटान और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होगा और इसके बारे में निफ्टेम को सूचित करेगा। लाइसेंसधारी इस तरह के उल्लंघन के लिए किसी भी प्राधिकरण द्वारा लगाए गए किसी भी दंड या जुर्माना के लिए उत्तरदायी होगा और संस्थान द्वारा अपशिष्ट निपटान के लिए संस्थान द्वारा भुगतान किए गए दंड, जुर्माना, हर्जाना और लागत, यदि कोई हो, वसल करेगा। यदि पैरामीटर ईटीपी की परिचालन सीमा से बाहर हैं, तो लाइसेंसधारी अपने दम पर बहि:स्राव का पूर्व उपचार करेगा।
- 20. लाइसेंसधारी प्रायोगिक संयंत्र संचालन लॉग, रिकॉर्ड, रिपोर्ट, इस समझौते के तहत निफ्टेम रिपोर्टिंग आवश्यकता को पूरा करने के लिए सभी रूपों और सामग्री में सुविधा के संचालन और रखरखाव दस्तावेज निफ्टेम को स्वीकार्य स्थान पर बनाए रखेगा।
- 21. लाइसेंसधारी केवल सीमांकित तल क्षेत्र में ही कार्य करेगा। लाइसेंसधारी अतिरिक्त फ्लोर एरिया के लिए संस्थान से संपर्क कर सकता है जो निफ्टेम द्वारा अनुमोदित शुल्कों के भुगतान पर दिया जाएगा।
- 22. निफ्टेम सभी वेंडर को उपलब्ध मैनुअल, स्पेयर पार्ट लिस्ट, प्रोजेक्ट डेटा बुक्स और ड्रॉइंग उपलब्ध कराएगा जो निफ्टेम को ओईएम या प्रायोगिक संयंत्र या उसके हिस्से के निर्माण, स्थापना, मरम्मत या रखरखाव के लिए जिम्मेदार लाइसेंसधारी द्वारा प्रदान किए गए हैं।
- 23. लाइसेंसधारी केवल अच्छी गुणवत्ता वाले मानव उपभोग के लिए सुरक्षित उत्पाद बनाने का वचन देगा।
- 24. किसी भी पक्ष द्वारा 30 दिन का लिखित नोटिस देकर लाइसेंस को समाप्त किया जा सकता है।
- 25. कार्यकाल पूरा होने के बाद, लाइसेंसधारी निफ्टेम की सभी संपत्तियों और सामानों को अच्छी कामकाजी स्थिति में सौंप देगा और संस्थान को प्रायोगिक संयंत्रों के उपकरणों के किसी भी नुकसान या हानि के लिए क्षतिपूर्ति करेगा।
- 26. समझौते की शर्तों की व्याख्या में किसी भी विवाद की स्थिति या समझौते में किसी भी बिंदु पर मतभेद होने की स्थिति में, इसके पक्षकार आपसी बातचीत से सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए अपने सर्वोत्तम प्रयासों का उपयोग करेंगे।
- 27. यदि विवाद को बातचीत के माध्यम से हल नहीं किया जा सकता है, तो इसे निफ्टेम के कुलपित द्वारा नियुक्त एकमात्र पंच-निर्णय की मध्यस्थता के लिए भेजा जा सकता है। उक्त मध्यस्थ का निर्णय दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगा। पंच-निर्णय का स्थान और सीट केवल निफ्टेम कंडली में होगा।
- 28. एजेंसी को उप कुलसचिव, राय सोनीपत सरकारी नियमानुसार, के कार्यालय में पट्टा/किराया विलेख के रूप में पंजीकृत कराना होगा।

4. प्रायोगिक संयंत्रों का संक्षिप्त विवरण:

उद्देश्य

- 1. बड़े पैमाने के उद्योगों के साथ-साथ मध्यम, लघु और सूक्ष्म उद्यमों दोनों के नवोदित उद्यमियों के लिए व्यापार ऊष्मायन केंद्र के रूप में सेवा प्रदान करना।
- 2. खाद्य कंपनियों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत प्रदान करना जो अभी नई प्रक्रिया या उत्पाद शृंखला शुरू या उनका मूल्यांकन कर रहे हैं।
- 3. खाद्य उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों) बड़े, मध्यम, छोटे और सूक्ष्म उद्यमों (की जरूरतों को पूरा करने के लिए अलग-अलग क्षमताओं की प्रक्रिया लाइनें।
- 4. नए और अभिनव उत्पादों और प्रक्रियाओं के विकास और मौजूदा उत्पादों और प्रक्रियाओं के संशोधन के लिए खाद्य उद्योग को अनुसंधान सुविधाएं प्रदान करना।
- छोटे और मध्यम स्तर के उत्पादन और प्रदर्शन पर नई सामग्री, नियमन और प्रक्रियाओं के मूल्यांकन के लिए उपयोग।
- 6. पूर्ण पैमाने पर उत्पादन लाइन से यथासंभव सर्वोत्तम उत्पाद गुणवत्ता प्रदान करना।

7. छात्रों और उद्योग कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान करें और एक ऑपरेटिंग उत्पादन सुविधा में काम करने और शोध करने की सुविधा प्रदान करना।

ए . मीट एंड पोल्ट्री प्रायोगिक संयंत्र

उपलब्ध प्रक्रिया/उत्पादन सुविधाएं:

1क्योर्ड मीट उत्पाद
2िवखंडित / पायसीकृत मीट उत्पाद
3पारंपरिक मीट उत्पाद
4कोटेड मीट उत्पाद
5रोस्टेड मीट उत्पाद
6पुनर्निर्मत उत्पाद

उपयोगिताएँ उपलब्ध हैं:

1आरओ प्लांट 2एयर कंप्रेसर 3आइस मेकिंग मशीन 4कोल्ड स्टोरेज 5ब्लास्ट फ्रीजर 6चिलर

उपकरणों की सूची अनुबंध-। भें संलग्न है

अन्य प्रश्न के लिए संपर्क व्यक्ति :डॉ .प्रारब्ध बडगुजर, सहायक प्राध्यापक, खाद्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, निफ्टेम, कुंडली, सोनीपत।

ईमेल :prarabdh.niftem@gmail.com

- 5. कार्य का दायरा:
- 1) संस्थान किसी विशेष प्रायोगिक संयंत्र या किसी विशिष्ट स्टैंडअलोन उपकरण/मशीन के वर्किंग स्पेस के साथ **"जैसा है जहां है** आधार "पर उद्धृत मासिक लाइसेंस शुल्क पर देगा, लेकिन किसी भी सूरत में मासिक शुल्क 8% से कम नहीं होगा।
- 2) संस्थान उपलब्धतानुसार आवश्यकता होने पर भंडारण, कार्यालय स्थान आदि का विस्तार निर्धारित दरों पर भी कर सकता है। यदि सुविधा में कोई संशोधन/परिवर्धन किया जाता है जो मौजूदा लाइन का आवश्यक हिस्सा नहीं है, तो क्षेत्र के लिए निर्धारित दरों के अनुसार शुल्क लागू किया जाएगा। दरें स्थानीय प्राधिकरणों के आधार पर संस्थान द्वारा तय की जाएंगी। बिजली, पावर बैक अप और पानी के लिए शुल्क वही होगा जो निफ्टेम द्वारा अन्य विक्रेताओं पर लगाया जाता है। वर्तमान में, किए गए बिल में वास्तविक निश्चित भार और अन्य शुल्क शामिल होंगे अर्थात
 - क (टैरिफ/एसओपी =रु .6.30/केडब्ल्यूएच
 - बी (फिक्स्ड लोड चार्ज =रु .160/किलोवाट
 - ग (विद्युत शुल्क =रु .0.10/केडब्ल्यूएच
 - घ (एफएसए =0.00
 - ई (नगरपालिका कर) = एसओपी + एफएसए + फिक्स्ड लोड शुल्क (का 2%

यूएचबीवीएन द्वारा दर में परिवर्तन होने पर समय-समय पर दर में संशोधन किया जा सकता है और डीजी बैक अप के लिए $\sqrt{2}$ -/जो ईंधन के बाजार मूल्य के आधार पर समय-समय पर बदला जा सकता है। जल शुल्क वही होगा जो HSIIDC या जल निगम द्वारा लिया जा रहा है।

- 3) ट्रायल रन पहले ही किया जा चुका है, इसलिए लाइसेंस अनुरोध पर आगे ट्रायल रन पर विचार नहीं किया जाएगा। तथापि, यदि लाइसेंसधारी ट्रायल रन चाहता है, तो उसे सारा खर्चा स्वयं वहन करना होगा।
- 4) यदि निफ्टेम द्वारा कोई उपकरण या लाइन जोड़ी जाती है, तो एजेंसी से आपसी सहमति पर मौजूदा दरों पर किराए का भुगतान करने की अपेक्षा की जाती है।
- 5) संस्थान परामर्श या संकाय और छात्रों की भागीदारी के माध्यम से ऊष्मायन सुविधा, तकनीकी सहायता, एनएबीएल मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला परीक्षण, उत्पाद अध्ययन, अनुसंधान, प्रक्रिया-तकनीक विकास और मानकीकरण भी प्रदान कर सकता है।
- 6) संस्थान भुगतान के आधार पर आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से हाउसकीपिंग, सुरक्षा आदि प्रदान करने में भी सक्षम है।
- 7) संस्थान में शुल्क के आधार पर ईटीपी, आरओ वाटर और एसटीपी सुविधा भी है। संस्थान छात्रों को औद्योगिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत सहायता प्रदान करने के लिए भी प्रदान कर सकता है। यदि इसके लिए अनुरोध किया जाता है तो एजेंसी को हर साल कुछ छात्रों को औद्योगिक प्रशिक्षण के लिए नियक्त करना होगा।
- 8) संस्थान ने वाणिज्यिक पीएनजी गैस कनेक्शन/आपूर्ति प्रदान की है। लागत को पाइपलाइन, कनेक्टर्स, बर्नर आदि या किसी अन्य संशोधन मौजूदा लाइन में या सामान्य बिंदु से लाइसेंसधारी द्वारा ही वहन किया जाएगा। यदि संस्थान ने इस तरह के कनेक्शन के लिए पहले से ही कोई सुरक्षा राशि जमा कर दी है, तो लाइसेंसधारी को संस्थान को उसकी सुरक्षा के रूप में भुगतान करना होगा, जो अनुबंध की समाप्ति के बाद वापस कर दिया जाएगा। इसके अलावा, एजेंसी को यह आश्वासन/वचन देना होगा कि वे उपयोग किए गए पीएनजी के बिल का समय पर भुगतान करेंगे, अन्यथा उनकी सिक्यूरीटी डिपोजिट से वसूली की जाएगी और पीएनजी कनेक्शन काट दिए जाएंगे।
- 9) उत्पाद विकास, थोक उत्पादन और व्यावसायीकरण के लिए आवश्यक सभी प्रकार के लाइसेंस या अनुपालन लाइसेंस द्वारा प्राप्त किए जाएंगे और संस्थान का इससे कोई संबंध नहीं होगा। हालांकि, संस्थान ऐसे दस्तावेज उपलब्ध कराएगा, जो ऐसे अनुपालन में उपलब्ध और सहायक हो सकते हैं।
- 10) सभी प्रकार के परीक्षण, माइक्रोबियल परीक्षण, सीआईपी आदि लाइसेंसधारी द्वारा स्वयं खर्च पर सुनिश्चित किये जायेंगे।

6. पात्रता मानदंड:

- अ. व्यक्तिगत / एजेंसी के पास अधिमानतः कानूनी इकाई हो सकती है या एमएसएमई यूनिट /स्टार्ट-अप /कंपनी /स्वामित्व फर्म /किसान उत्पादक संगठन /स्वयं सहायता समूह /उद्यमी आदि के रूप में प्रासंगिक प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होना चाहिए।
- ब .प्रायोगिक संयंत्र या सुविधाएं लेने के लिए व्यक्तिगत/एजेंसी को आर्थिक रूप से मजबूत होना चाहिए। उन्हें या तो पिछले छह महीनों के पासबुक की फोटोकॉपी के साथ बैंक या चार्टर्ड एकाउंटेंट या स्व-प्रमाणित घोषणा द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित वित्तीय स्थिति का विवरण प्रस्तुत करनी होगी। जिनके पास बैलेंस शीट है, वे 31मार्च, 2021 (वित्तीय वर्ष2019 -20, 2020- 21और 2021-2022) को समाप्त होने वाले पिछले 3वित्तीय वर्षों के लिए बैलेंस शीट आदि संलग्न कर सकते हैं या जिन्होंने कोई कंपनी या कानूनी इकाई नहीं स्थापित की और अपना स्वयं का उद्यम शुरू करना चाहते हैं, उन्हें एक उपक्रम संलग्न करना होगा कि वे इस तरह के उद्यम के लिए न्यूनतम 10 लाख रुपये का निवेश करने में सक्षम हैं , बैंक द्वारा जारी एक प्रमाण पत्र के साथ कि उन्होंने छह महीने के लेनदेन के साथ पासबुक की प्रति के साथ ऐसी राशि अपने खातों में जमा की है।
- स .व्यक्तिगत / एजेंसी के पास ठोस विचार होना चाहिए कि वे किस उत्पाद का विकास या उत्पादन करना चाहते हैं। इस संबंध में उन्हें संक्षिप्त विचार का विवरण प्रस्तुत करना होगा।
- द .व्यक्तिगत / एजेंसी के पास अपने विचार पर काम करने के लिए योग्य या अनुभवी व्यक्ति हो सकते हैं। ऐसे व्यक्ति) व्यक्तियों (का बायोडाटा शामिल किया जा सकता है।
- य . व्यक्तिगत/एजेंसी के पास पैन, आधार कार्ड और एड्रेस प्रूफ होना चाहिए।
- र .पूर्व योग्यता के लिए ईओआई शुल्क और ईएमडी अनिवार्य आवश्यकता है।

7. ईएमडी-:

व्यक्तिगत/एजेंसी को निफ्टेम के पक्ष में एसबीआई, कुंडली, सोनीपत) बैंक IFSC SBIN0015479) में देय डिमांड ड्राफ्ट के रूप में प्रायोगिक संयंत्र /सुविधाओं को चलाने के लिए ईओआई) वापसी योग्य (के साथ 1,00,000/- रु). केवल एक लाख रुपये (की ईएमडी जमा करना आवश्यक है।

यदि बोलीदाता ईओआई जमा करने के बाद किसी भी बोली/खंड को बदलता या परिवर्तित करता है या किसी भी स्तर पर अनिच्छुक दिखाता है, तो उनकी ईएमडी जब्त कर ली जाएगी।

8. ईओआई दस्तावेज़ शुल्क-:

निफ्टेम के एसबीआई, कुंडली, सोनीपत) बैंक आईएफएससी एसबीआईएन0015479) में देय डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जीएसटी सहित 1180/- रुपयें) गैर-वापसी योग्य (तकनीकी दस्तावेजों के साथ जमा करना आवश्यक है, जो गैर-वापसी योग्य होगा। ईओआई शुल्क और ईएमडी केवल डिमांड ड्राफ्ट के रूप में ही स्वीकार किए जाएंगे और किसी अन्य तरीके से नहीं। ईओआई शुल्क और ईएमडी के बिना बोलियों को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।

9. प्री-बिड मीटिंग-:

यदि, संस्थान द्वारा प्री-बिड मीटिंग के बाद) जहाँ भी लागू हो (किसी संशोधन/परिवर्धन/विलोपन या किसी आवश्यकता / विनिर्देश /शर्त आदि में किसी भी परिवर्तन पर विचार किया जाता है, इसे केवल निफ्टेम की वेबसाइट -www.niftem.ac.in पर अपलोड किया जाएगा और समाचार पत्रों में विज्ञापित नहीं किया जाएगा। इसलिए सभी बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे अपना ईओआई भरने से पहले हमारी वेबसाइट देखें। सभी संभावित बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे अपनी बोली जमा करने से पहले इस तरह के शुद्धिपत्र के लिए स्वयं को अपडेट रखें। इस संबंध में संस्थान किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा।

10. महत्वपूर्ण जानकारी:

सभी इच्छुक बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि प्रायोगिक संयंत्र सुविधाएं "जैसा है जहां है आधार "हैं, इसलिए, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे अपनी बोली जमा करने से पहले संयंत्रों और अन्य सुविधाओं को देखने के लिए किसी भी कार्यकारी दिनों में संस्थान का दौरा करें। इस संबंध में, श्री आदित्य शर्मा, प्रायोगिक संयंत्र प्रबंधक से उनकी ईमेल आईडी <aditya.sharma@niftem.ac.in>या उनके मोबाइल नंबर 7015504639 पर भी संपर्क कर सकते हैं। एजेंसियां उपलब्ध उपकरणों के अनुकूल उपकरण को स्थापित कर सकती हैं। मौजूदा उपकरणों/सुविधाओं के अनुकूल, बड़े बदलाव के बिना छोटे संशोधन/ऐड ऑन/बदलाव की अनुमति दी जा सकती है। किसी भी स्थिति में, निफ्टेम के उपकरणों को निष्क्रिय बनाने के लिए संशोधनों की अनुमति नहीं दी जाएगी।

11. शुद्धिपत्र/परिशिष्ट:

शुद्धिपत्र / परिशिष्ट, यदि कोई हो, केवल वेबसाइट www.niftem.ac.in या www.eprocure.gov.in पर दिखाई देगा और किसी अन्य तरीके से नहीं, इसलिए, सभी बोलीदाताओं को नियमित रूप से आने की सलाह दी जाती है।

12. ऑनलाइन ईओआई के लिए बोली लगाने की प्रक्रिया-:

अ) पंजीकरण

- 1. बोलीदाताओं को निःशुल्क सीपीपी पोर्टल की केंद्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल) यूआरएल : https://eprocure.gov.in/eprocure/app) की ई-प्रोक्योरमेंट वेबसाइट पर 'ऑनलाइन बिडर एनरोलमेंट' लिंक पर क्लिक करके नामांकन करना होगा।
- 2. नामांकन प्रक्रिया के भाग के रूप में, बोलीदाताओं को अपने खातों के लिए एक अद्वितीय उपयोगकर्ता नाम चुनने और एक पासवर्ड निर्दिष्ट करने की आवश्यकता होगी।
- 3. बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे पंजीकरण प्रक्रिया के भाग के रूप में अपना वैध ईमेल पता और मोबाइल नंबर पंजीकृत करें। इनका उपयोग सीपीपी पोर्टल से भविष्य में संचार के लिए किया जाएगा।
- 4. नामांकन के बाद, बोलीदाताओं को किसी भी प्रमाणन प्राधिकरण CCA India प्रोफाइल के साथ) उदा. के लिए Sify / nCode / eMudhra आदि (, द्वारा मान्यता प्राप्त द्वारा जारी अपने वैध डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र) DSC) (श्रेणी–॥ या वर्ग–॥ प्रमाणपत्र हस्ताक्षर कुंजी के प्रयोग के साथ (पंजीकृत करने की आवश्यकता होगी।

- 5. एक बोलीदाता द्वारा केवल एक वैध डीएससी पंजीकृत होना चाहिए। कृपया ध्यान दें कि बोलीदाताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे अपना डीएससी दूसरों को उधार न दें जिससे दुरुपयोग हो सकता है।
- 6. बोलीदाता तब सुरक्षित लॉगिन यूजर आईडी /पासवर्ड और डीएससी /ई टोकन के पासवर्ड के माध्यम से साइट पर लॉगिन करें।
- 7. ईओआई दस्तावेज और ईओआई के अन्य नियम और शर्तें निफ्टेम की वेबसाइट www.niftem.ac.in और www.eprocure.gov.in से डाउनलोड की जा सकती हैं।

ब. ईओआई दस्तावेजों के लिए खोज।

- 1. सीपीपी पोर्टल में कई मापदंडों के आधार पर सक्रिय ईओआई खोजने के लिए बोली लगाने वालों की सुविधा के लिए विभिन्न खोज विकल्प बनाए गए हैं। इन मापदंडों में ईओआई आईडी, संगठन का नाम, स्थान, दिनांक, मूल्य आदि शामिल हो सकते हैं। ईओआई के लिए उन्नत खोज का एक विकल्प भी है, जिसमें बोली लगाने वाले सीपीपी पोर्टल पर प्रकाशित ईओआई की खोज के लिए कई खोज मापदंडों जैसे संगठन का नाम, अनुबंध का रूप, स्थान, दिनांक, अन्य कीवर्ड आदि को जोड़ सकते है।
- 2. एक बार बोलीदाताओं ने ईओआई का चयन कर लिया है, जिसमें वे रुचि रखते हैं, आवश्यक दस्तावेज /ईओआई कार्यक्रम डाउनलोड कर सकते हैं। इन ईओआई को संबंधित 'माई ईओआई' फोल्डर में ले जाया जा सकता है। ईओआई दस्तावेज में कोई शुद्धिपत्र जारी होने की स्थिति में यह सीपीपी पोर्टल को बोलीदाताओं को एसएमएस/ई-मेल के माध्यम से सूचित करने में सक्षम करेगा।
- 3. यदि बोलीदाता हेल्पडेस्क से कोई स्पष्टीकरण/सहायता प्राप्त करना चाहता है, तो उसे प्रत्येक लाइसेंसधारी को सौंपे गए विशिष्ट ईओआई आईडी को नोट करना चाहिए।

ग (बोलियों की तैयारी

- 1. बोली लगाने वालों को अपनी बोली जमा करने से पहले ईओआई दस्तावेज़ में प्रकाशित किसी भी शुद्धिपत्र को ध्यान में रखना चाहिए।
- 2. बोली के भाग के रूप में प्रस्तुत किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेजों को समझने के लिए कृपया ईओआई विज्ञापन और ईओआई दस्तावेज़ को ध्यान से देखें। कृपया ध्यान दें कि कवर की संख्या जिसमें बोली दस्तावेज जमा किए जाने हैं, दस्तावेजों की संख्या प्रत्येक दस्तावेज के नाम और सामग्री सहित, जिसे जमा करने की आवश्यकता है। इनमें से कोई भी विचलन बोली को अस्वीकार कर सकता है।
- 3. बोलीदाता को ईओआई दस्तावेज/अनुसूची में दिए गए संकेत के अनुसार प्रस्तुत किए जाने वाले बोली दस्तावेजों को अग्रिम रूप से तैयार रखना चाहिए और सामान्यत : वे पीडीएफ /एक्सएलएस /आरएआर /डीडब्ल्यूएफ /जेपीजी प्रारूपों में हो सकते हैं। बोली दस्तावेजों को 100डीपीआई के साथ काले और सफेद विकल्प में स्कैन किया जा सकता है जो स्कैन किए गए दस्तावेज के आकार को कम करने में मदद करता है।
- 4. मानक दस्तावेजों के एक ही सेट को अपलोड करने में आवश्यक समय और प्रयास से बचने के लिए, जिसे प्रत्येक वोली के एक भाग के रूप में प्रस्तुत करना आवश्यक है, ऐसे मानक दस्तावेजों) जैसे पैन कार्ड की प्रति, वार्षिक रिपोर्ट, लेखा परीक्षक प्रमाण पत्र आदि (को अपलोड करने का प्रावधान। (बोली लगाने वालों को उपलब्ध करा दी गई है। बोलीदाता ऐसे दस्तावेजों को अपलोड करने के लिए उपलब्ध "माई स्पेस "या "अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज "क्षेत्र का उपयोग कर सकते हैं। ये दस्तावेज सीधे "माई स्पेस "क्षेत्र से प्रस्तुत किए जा सकते हैं, और इन्हें बार-बार अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। इससे बोली प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में लगने वाले समय की बचत होगी।

घ (बोलियां जमा करना

- 1. बोलीदाता को बोली प्रस्तुत करने के लिए काफी पहले ही साइट पर लॉगिन कर लेना चाहिए ताकि वे बोली प्रस्तुत करने के समय पर या उससे पहले बोली अपलोड कर सकें।
- 2. बोलीदाता को ईओआई दस्तावेज में दर्शाए अनुसार एक-एक करके आवश्यक बोली दस्तावेजों पर डिजिटल हस्ताक्षर अपलोड करना होगा।
- 3. बोलीदाता को ईओआई शुल्क /ईएमडी, जो भी लागू हो, का भुगतान करने के लिए "ऑफ़लाइन "के रूप में भुगतान विकल्प का चयन करना होगा और उपकरण का विवरण दर्ज करना होगा।
- 4. डिमांड ड्राफ्ट का विवरण स्कैन की गई प्रति में उपलब्ध विवरण और समय पर बोली प्रस्तुत करने के दौरान दर्ज किए गए डेटा से मिलना चाहिए। अन्यथा अपलोड की गई बोली को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

- 5. सर्वर समय) जो बोलीदाताओं के डैशबोर्ड द्वारा प्रदर्शित किया जाता है (को बोलीदाताओं द्वारा बोली प्रस्तुत करने, बोलियों को खोलने आदि के लिए समय सीमा को संदर्भित करने के लिए मानक समय के रूप में माना जाएगा। बोलीदाताओं को बोली प्रस्तुत करने के दौरान इस समय का पालन करना चाहिए।
- 6. डेटा की गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे सभी दस्तावेजों को पीकेआई एन्क्रिप्शन तकनीकों का उपयोग करके एन्क्रिप्ट किया जाएगा। दर्ज किए गए डेटा को अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा बोली खोलने के समय तक नहीं देखा जा सकता है। सुरक्षित सॉकेट लेयर 128बिट एन्क्रिप्शन तकनीक का उपयोग करके बोलियों की गोपनीयता बनाए रखी जाती है। संवेदनशील क्षेत्रों का डेटा संग्रहण एन्क्रिप्शन किया जाता है। कोई भी बोली दस्तावेज जो सर्वर पर अपलोड किया जाता है, सिस्टम जिनत सम्मित कुंजी का उपयोग करके असम्मित एन्क्रिप्शन के अधीन होता है। इसके अलावा यह कुंजी खरीददारों/बोली खोलने वाली सार्वजिनक कुंजियों का उपयोग करते हुए असम्मित एन्क्रिप्शन के अधीन है। कुल मिलाकर, अपलोड किए गए ईओआई दस्तावेज अधिकृत बोली खोलने वालों द्वारा ईओआई खोलने के बाद ही पढ़ने योग्य होते हैं।
- 7. अपलोड किए गए ईओआई दस्तावेज अधिकृत बोली खोलने वालों द्वारा ईओआई खोलने के बाद ही पढ़ने योग्य होते हैं।
- 8. बोलियों के सफल और समय पर प्रस्तुत करने के बाद) अर्थात् पोर्टल में "फ्रीज बिड सबमिशन "पर क्लिक करने के बाद (, पोर्टल एक सफल बोली प्रस्तुत करने का संदेश देगा और बोली सभी प्रासंगिक विवरणों के साथ बोली संख्या और बोली जमा करने की तिथि और समय के साथ एक बोली सारांश प्रदर्शित किया जाएगा।
- 9. बोली सारांश मुद्रित किया जाना चाहिए और बोली जमा करने की पावती के रूप में रखा जाना चाहिए। इस पावती का उपयोग किसी भी बोली खोलने वाली बैठक के लिए प्रवेश पास के रूप में किया जा सकता है।

ङ (बोलीदाताओं को सहायता

- 1. ईओआई दस्तावेज़ और उसमें निहित नियमों और शर्तों से संबंधित किसी भी प्रश्न को ईओआई के लिए ईओआई आमंत्रित करने वाले प्राधिकरण या ईओआई में निर्दिष्ट संबंधित संपर्क व्यक्ति को संबोधित किया जाना चाहिए।
- 2. ऑनलाइन बोली प्रस्तुत करने की प्रक्रिया से संबंधित कोई भी प्रश्न या सामान्य रूप से सीपीपी पोर्टल से संबंधित प्रश्नों को 24x 7सीपीपी पोर्टल हेल्पडेस्क पर निर्देशित किया जा सकता है।

च (बोली लगाने वाले आवेदन के साथ निम्नलिखित होना चाहिए-:

अनुलग्नक -। में प्रदर्शित ईओआई दस्तावेज पर तकनीकी बोली विधिवत भरी हुई है, निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ हस्ताक्षरित और मुहर लगी होनी चाहिए- :

- i. निफ्टेम एसबीआई कुंडली, सोनीपत) बैंक IFSC SBIN0015479) में को बैंक डिमांड ड्राफ्ट) चेक स्वीकार्य नहीं (के रूप में निर्दिष्ट बयाना राशि जमा) EMD) और EOI दस्तावेज़ शुल्क) अप्रतिदेय (देय होगी।
- ii. आईडी प्रफ
- iii. स्थायी पते का प्रमाण।
- iv. बैंक खाते का विवरण यानी खाता संख्या, IFSC कोड, MICR नंबर, बैंक का नाम और पता।
- v. पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड की प्रति
- vi. 31 मार्च, 2021को समाप्त होने वाले तत्काल पिछले 3िवत्तीय वर्षों की बैलेंस शीट, लाभ और हानि और वार्षिक आयकर रिटर्न की प्रतियां) केवल उनके लिए जिनके पास ऐसे दस्तावेज हैं (। अन्य छह महीने के लेनदेन के साथ पासबुक की प्रति के साथ वित्तीय सुदृढ़ता के संबंध में सीए प्रमाणपत्र या बैंक प्रमाण पत्र संलग्न कर सकते हैं।
- vii. फर्म/पैन/सेवा कर पंजीकरण संख्या/जीएसटी/ईएसआई और ईपीएफ संख्या, जो भी लागू हो, के पंजीकरण का विवरण।
- viii. ईओआई दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति के पक्ष में एक प्राधिकरण पत्र, स्वामित्वधारी/पार्टनर/निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए।)अनुबंध -III)
- ix. बोलीदाता के पिछले अनुभव/व्यवसाय का विवरण।
- x. बोली लगाने वाले की कानूनी स्थिति से संबंधित पंजीकरण /िनगमन) एमओए /एओए के साथ (के प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति।
- хі. नियम और शर्तों की स्वीकृति के रूप में सभी अनुलग्नकों के साथ ईओआई दस्तावेज़ को प्रत्येक पृष्ठ पर विधिवत हस्ताक्षरित और स्टाम्प किया जाना चाहिए।
- xii. ई–ईओआई के अलावा, ईओआई शुल्क, ईएमडी और विधिवत हस्ताक्षरित और स्टाम्प संलग्नक के साथ ईओआई दस्तावेजों की एक हार्ड कॉपी भी रजिस्टर्ड पोस्ट या ईओआई बॉक्स में छोडी जा सकती है या अंतिम तिथि और समय से पहले निफ्टेम,

रिसेप्शन पर जमा की जा सकती है। एक कवर में केवल एक ही ईओआई शामिल होना चाहिए। अपूर्ण ईओआई पर विचार नहीं किया जाएगा और सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।

- xiii . एजेंसी को अनुबंध-IV में लाइसेंस शुल्क के अपने वित्तीय उद्धरण प्रदान करने होंगे।
- xiv. किसी भी मामले में, यदि किसी कारण से ईओआई नहीं खोला जाता है, तो सभी बोलीदाताओं को ईओआई दस्तावेज और ईएमडी वापस कर दी जाएगी।
- xv. ईओआई इसके प्रकाशन की तारीख से 180दिनों तक वैध रहेगा।

13. मूल्यांकन प्रक्रिया:

1) पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले सभी व्यक्तियों / एजेंसियों को ऊपर निर्दिष्ट तारीख और समय पर निविदा मूल्यांकन समिति) टीईसी (के समक्ष तकनीकी प्रस्तुति के लिए आमंत्रित किया जाता है। तकनीकी प्रस्तुति का मूल्यांकन निम्नलिखित मापदंडों पर किया जाएगा:

उचित कानूनी इकाई) पंजीकरण/ एमओए/ एमएसएमई पंजीकरण () दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न करें (समान क्षेत्र में गत अनुभव) प्रत्येक वर्ष के लिए 2अंक (वित्तीय स्थिति 10लाख तक 5अंक, 11- 20लाख, 10अंक, 21- 50 लाख-15 अंक, 51- 50 लाख और अधिक-20 अंक) बैलेंस शीट/सीए प्रमाणपत्र/बैंक प्रमाणपत्र (पैन, टैन, जीएसटी, पीएफ, श्रम, एफएसएसएआई, आधार कार्ड आदि) प्रत्येक के लिए 2 अंक लेकिन अधिकृतम 10अंक (उत्पाद विचार /अनुसंघान / प्रौद्योगिकी	उत्पादन, विपणन और स्थिरता के लिए रणनीति
कृपया अपने दावे के सम	पर्थन में तकनीकी बोली	के साथ दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न क	ξί	ये अंक प्रस्तुति के किए जाएंगे।	आधार पर आवंटित
10	20	20	10	20	20

- 2) तकनीकी प्रस्तुति में व्यक्तिगत/एजेंसी बायोडाटा/क्रेडेंशियल, व्यक्ति/टीम की पेशेवर योग्यता, वित्तीय सामर्थ्य, उत्पाद विचार, जनशक्ति की तैनाती और उत्पादन और विपणन आदि के लिए रणनीति शामिल होनी चाहिए।
- 3) वित्तीय बोली केवल उन्हीं एजेंसियों के लिए खोली जाएगी, जो तकनीकी रूप से योग्य हैं और उपरोक्त मूल्यांकन में 100से अधिक अंकों में से न्यूनतम 50% अंक प्राप्त किए हैं। यदि मूल्यांकन के दौरान पर्याप्त एजेंसियों ने न्यूनतम 50% अंक प्राप्त नहीं किए हैं, तो मानदंड में छूट दी जा सकती है और 40% तक प्राप्त अंकों को भी वित्तीय बोली खोलने के लिए योग्य माना जाएगा। इस संबंध में समिति या संस्थान का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।
- 4) प्रायोगिक संयंत्र/सुविधा का आवंटन :प्रायोगिक संयंत्र/उपकरण/मशीन/सुविधा केवल उन व्यक्तियों/एजेंसियों को आवंटित की जाएगी, जो प्रायोगिक संयंत्र/उपकरण में उच्चतम लाइसेंस शुल्क उद्धृत करेंगे और प्रायोगिक संयंत्र को चलाने के लिए सक्षम मूल्यांकन किया जाएगा जो की एक वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, जैसा भी मामला हो या समिति द्वारा उत्पाद की उनकी अवधारणा और उत्पादन और विपणन की रणनीति के आधार पर तय किया गया हो। एक ही एजेंसी/व्यक्ति को सम्पूर्ण प्रायोगिक संयंत्र शॉप फ्लोर आवंटित करने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन उपयुक्त एकल एजेंसी की अनुपलब्धता की स्थिति में, प्रोसेस लाइन सहित स्टैंडअलोन उपकरण आवंटित किया जाएगा, लेकिन इस संबंध में, संस्थान का निर्णय अंतिम होगा। आवंटित अविध या छह महीने की न्यूनतम अविध से पहले छोड़ने के मामले में, उनकी प्रदर्शन सुरक्षा जब्त कर ली जाएगी या संस्थान द्वारा परिस्थिति में उचित समझी जाने वाली कोई अन्य कार्रवाई की जाएगी।
- 5) संबंधित प्रायोगिक संयंत्र/उपकरण/सुविधा के लिए समान लाइसेंस शुल्क उद्धृत करने वाली योग्य एजेंसियों के बीच बराबरी के मामले में, काम उस एजेंसी को आवंटित किया जाएगा, जिसने) i) तकनीकी मूल्यांकन या) ii) समान व्यवसाय चलाने का अधिक अनुभव होने के दौरान उच्चतम अंक प्राप्त किए हैं या उच्चतम कारोबार किया है। यहां तक कि किसी तरह की दिक्कत होने पर लाइसेंस उसी एजेंसी को दिया जाएगा, जिसका वित्तीय टर्नओवर ज्यादा होगा। तथापि, इस संबंध में संस्थान का निर्णय सभी एजेंसियों के लिए बाध्यकारी होगा।
- 6) यदि मौजूदा एजेंसी ने भी आवेदन किया है और उसकी बोली नए आवेदक/बोलीदाता से कम है तो मौजूदा एजेंसी को "राइट टू फर्स्ट रिफयूज़ "खंड के अनुसार बोली को संशोधित करने की पेशकश की जाएगी और यदि मौजूदा और नई एजेंसी के बीच टाई है, मौजूदा एजेंसी को वरीयता दी जाएगी।
- 14. सामान्य नियम एवं शर्तें-:

- 1. ईओआई की स्वीकृति संस्थान के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित आशय पत्र) एलओआई/ (कार्य आदेश के माध्यम से सफल एजेंसी को सुचित की जाएगी।
- 2. किसी भी एजेंसी को बोली खोलने के बाद और ईओआई की वैधता के दौरान बोली को बदलने या रद्द करने की अनुमित नहीं दी जाएगी। अगर एजेंसी किसी भी मामले में ईओआई से वापस लेती है या संशोधित करती है या विचलित होती है तो एजेंसी की ईएमडी को जब्त किया जा सकता है।
- 3. रबर स्टैम्प के साथ लाइसेंसधारी का नाम और पता बताए गए स्थान में स्पष्ट रूप से लिखा जाना चाहिए और ईओआई के किसी भी हिस्से में कोई ओवरराइटिंग, सुधार, प्रविष्टि की अनुमित नहीं दी जाएगी जब तक कि लाइसेंसधारी द्वारा विधिवत प्रतिहस्ताक्षरित न हो। ईओआई को यहां निर्धारित निर्देशों के अनुसार सख्ती से भरा और प्रस्तुत किया जाना चाहिए अन्यथा ईओआई को अस्वीकार कर दिया जा सकता है।
- 4. बोली या ईओआई से जुड़े अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति को अपना नाम स्पष्ट रूप से लिखना चाहिए और हस्ताक्षर करने की क्षमता निर्दिष्ट करनी चाहिए।
- 5. ईओआई या ईओआई से जुड़े अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति को यह निर्दिष्ट करना होगा कि क्या कोई) अ (मामले का एकमात्र मालिक या ऐसे एकमात्र मालिक का गठित अधिवक्ता) ब (फर्म का भागीदार, यदि यह एक साझेदारी फर्म है, ऐसे मामले में उसके पास साझेदारी समझौते के आधार पर या फर्मों के भागीदारों द्वारा विधिवत निष्पादित पावर ऑफ अटॉर्नी द्वारा फर्म की ओर से अनुबंध को निष्पादित करने का अधिकार होना चाहिए।
- 6. टेलीग्राफिक /फैक्स या सशर्त ईओआई पर विचार नहीं किया जाएगा। ईओआई को केवल ऑनलाइन जमा करना होगा।
- 7. एजेंसी को ऊपर बताए अनुसार ईएमडी संलग्न करना होगा, ऐसा न करने पर ईओआई स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- 8. संस्थान बिना कोई कारण बताए किसी या सभी ईओआई को अस्वीकार करने का अधिकार रखता है। इसके अलावा, इन प्रायोगिक संयंत्रों के बारे में सभी प्रकार के अधिकार भी निफ्टेम प्राधिकारियों के पास निहित हैं।
- 9. यदि अनुबंध की अविध के दौरान किसी भी समय, निफ्टेम के संज्ञान में यह आता है कि बोली लगाने वाले ने गलत/झूठी जानकारी देने के तरीके से निफ्टेम को गुमराह किया है, जो उसे अनुबंध प्रदान करने में महत्वपूर्ण रहा है, अनुबंध अन्य कानूनी कार्रवाई के अलावा समाप्ति के लिए उत्तरदायी होगा जो एजेंसी या मालिक/भागीदार/निदेशक या कानून के तहत एजेंसी के मामलों के लिए जिम्मेदार किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध शुरू किया जा सकता है।
- 10. लाइसेंसधारी को प्रायोगिक सयंत्र में काम करने वाले श्रमिकों की सूची तथा उनका पूरा विवरण उपलब्ध कराना होगा। लाइसेंसधारी अपने सभी कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन भी कराएगा।
- 11. ईओआई प्रस्तुत करने वाली फर्मों को सभी नियमों और शर्तों को पढ़ने और स्वीकार करने के लिए माना जाएगा। ईओआई की स्वीकृति या अस्वीकृति के संबंध में कोई मौखिक या लिखित पूछताछ पर विचार नहीं किया जाएगा। बोलीदाता एक अलग शीट में भागीदारों/निदेशकों आदि के विवरण का खुलासा करेगा, जो तकनीकी बोली के साथ संलग्न किया जाएगा।
- 12. निफ्टेम ठेकेदार के बिलों से आयकर अधिनियम, 1961की धारा 194-C के तहत स्रोत/टीडीएस पर कर की कटौती करेगा।
- 13. एजेंसी को देय करों को समय पर सरकार को जमा करना सुनिश्चित करना होगा।
- 14. स्वीकृति :यह समझा जाता है कि लाइसेंसधारी ईओआई फॉर्म में संलग्न नियमों और शर्तों को स्वीकार करता है।
- 15. अनुबंध की अविध : प्रारंभिक अनुबंध पुरस्कार की तारीख से एक वर्ष की अविध के लिए होगा, लेकिन जैसा भी मामला हो, संतोषजनक प्रदर्शन के आधार पर आपसी सहमित द्वारा इसे वार्षिक आधार पर अधिकतम 04और वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। एक बार दिए गए अनुबंध को किसी भी पक्ष द्वारा 30दिन का नोटिस देकर समाप्त किया जा सकता है। फिर भी, निफ्टेम बिना किसी सूचना के लाइसेंसधारी के अनुबंध को समाप्त कर सकता है यदि लाइसेंसधारी संतोषजनक सेवाएं प्रदान करने में विफल रहता है या लगातार और बार-बार शिकायत करता है या उचित अविध के भीतर प्रदर्शन सुरक्षा जमा करने में विफल रहता है या लाइसेंस शुल्क और बिजली शुल्क का समय पर भुगतान करने में विफल रहता है या अनुबंध की किसी भी शर्त का उल्लंघन करता है। उल्लंघन के मामले में, निफ्टेम का निर्णय अंतिम होगा और ठेकेदार द्वारा आपित्त के बिना स्वीकार किया जाएगा। ऐसे मामलों में जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी। यदि लाइसेंसधारी को प्रदान की गई अविध या एक वर्ष की न्यूनतम लॉकिंग अविध से काफी पहले, संस्थान द्वारा उचित समझी जाने वाली किसी भी अन्य कार्रवाई के अलावा उनकी सुरक्षा को जब्त किया जा सकता है।
- **16.** प्रायोगिक सयंत्र/मशीन के लिए लाइसेंस शुल्क :सफल एजेंसी/बोली लगाने वाले को प्रत्येक मास की 10वीं से पहले वित्तीय बोली और ई एंड डब्ल्यू शुल्क में उद्धृत मासिक लाइसेंस शुल्क जमा करना होगा, लेकिन यह %8की दर से कम नहीं होना चाहिए।
- 17. प्रथम 3माह का लाइसेंस शुल्क जीएसटी सहित अग्रिम रूप से जमा करना होगा, जो अनुबंध की समाप्ति पर बिना ब्याज के वापस कर दिया जायेगा। यदि लाइसेंस शुल्क निर्धारित समय के भीतर जमा नहीं किया जाता है, तो टीओआर में निर्दिष्ट दंड, देय

- राशि /बकाया राशि पर निकासी तक वसूल किया जाएगा या इसे उनकी सुरक्षा से काट लिया जाएगा। लाइसेंस शुल्क या तो चेक /डीडी /एनईएफटी के माध्यम से जमा किया जाएगा।
- 18. यदि प्रसंस्करण लाइन में उपलब्ध कोई उपकरण/उपयोगिता/सुविधाएं, जिन्हें सूची में शामिल नहीं किया गया है, लेकिन प्रसंस्करण के लिए आवश्यक है और एजेंसी को दिया गया है, तो भी लाइसेंस शुल्क की समान दरों पर शुल्क लिया जाएगा।
- 19. लाइसेंस शुल्क और अन्य पर जीएसटी उल्लिखित राशि पर और ऊपर लागू होगा।
- 20. ऐड-ऑन :वर्तमान संयंत्र और मशीनरी के साथ अनुकूलता के लिए आवश्यक ऐड-ऑन उपकरणों या किसी अन्य संशोधन की खरीद के साथ-साथ स्थापना के लिए कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा।
- 21. लीड टाइम : प्रायोगिक संयंत्र को चलाने के लिए समय-सीमा एलओए जारी होने से 45दिन है या जैसा कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा तय किया गया है। एजेंसी को एलओए जारी होने के 07दिनों में अपनी स्वीकृति प्रदान करनी होगी। समय-सीमा के दौरान, बिजली आदि सहित सभी प्रकार के रखरखाव शुल्क एजेंसी/लाइसेंसधारी द्वारा वहन किए जाएंगे। समय-सीमा केवल नई एजेंसी को प्रदान किया जाएगा न कि मौजूदा या जारी एजेंसी के लिए।
- 22. संयंत्र को सौंपना : निफ्टेम को तीन महीने के लाइसेंस शुल्क और 03महीने के अग्रिम के बराबर प्रदर्शन सुरक्षा की स्वीकृति और जमा करने के बाद, संयंत्र को 07दिनों में एजेंसी/लाइसेंसधारक को सौंप दिया जाएगा। एजेंसी को परिक्षण, ट्रायल रन, अनुरूपता आदि के लिए 30दिन का अतिरिक्त समय भी अपने खर्चे पर दिया जाएगा और इस अविध के दौरान कोई लाइसेंस शुल्क नहीं लिया जाएगा। हालांकि, बैक आउट के मामले में, 3महीने के लिए लाइसेंस शुल्क और प्रदर्शन सुरक्षा को जब्त कर लिया जाएगा या संस्थान द्वारा तय किया गया कोई अन्य निर्णय होगा। यदि संयंत्र वर्तमान एजेंसी को चला जाता है, तो सौंपने की कवायद नहीं की जाएगी क्योंकि संयंत्र पहले से ही उनकी हिरासत में है।
- 23. लाइसेंस शुल्क में संशोधनः 01वर्ष से अधिक विस्तार की स्थित में प्रत्येक विस्तार पर प्रचलित लाइसेंस शुल्क के 10प्रतिशत तक लाइसेंस शुल्क में वृद्धि की जायेगी।
- 24. बिजली शुल्क : सफल एजेंसी/बोली लगाने वाले को प्रत्येक महीने की 10तारीख तक बिजली मीटर की वास्तविक खपत के लिए जीएसटी के साथ वास्तविक बिजली शुल्क का भुगतान करना होगा, ऐसा न करने पर देय राशि पर टीओआर के अनुसार उचित जुर्माना निकासी तक वसल किया जाएगा। बिल में वास्तविक फिक्स्ड लोड और अन्य शुल्क शामिल होंगे यानी
 - क (टैरिफ/एसओपी =रु .6.30/केडब्ल्यूएच
 - ख (फिक्स्ड लोड चार्ज =रु .160/किलोवाट
 - ग (विद्युत शुल्क = रु. 0.10/केडब्ल्यूएच
 - घ) एफएसए =0.00
 - ड (नगरपालिका कर) = एसओपी + एफएसए + फिक्स्ड लोड शुल्क (का 2%
 - और दर को किसी भी समय संशोधित किया जा सकता है जब यूएचबीवीएन द्वारा दर में परिवर्तन किया जाता है और डीजी बैक अप के लिए 24/- र .जिसे ईंधन बाजार मूल्य के आधार पर समय-समय पर बदला जा सकता है।
- 25. निफ्टेम के छात्रों/प्रशिक्षुओं/प्रतिभागियों के लिए प्रशिक्षण/व्यावहारिक कार्य : एजेंसी को छात्रों, प्रशिक्षुओं, प्रतिभागियों को आपसी समझौते के अनुसार और दोनों के लिए सुविधाजनक प्रशिक्षण/व्यावहारिक एक्सपोज़र देना होगा। आपसी सहमति से सप्ताह में निर्धारित एक दिन विद्यार्थियों को प्रशिक्षण/व्यावहारिक अनुभव दिया जायेगा। साथ ही एजेंसी को नए उद्यमी/स्टार्ट अप के लिए किसी अनुरोध पर बुनियादी प्रशिक्षण प्रदान करना होगा। एजेंसी अपनी रेसिपी या कंपनी की अन्य गोपनीयता साझा नहीं करने के लिए स्वतंत्र है। एजेंसी को छात्रों और फैकल्टी को उनकी आवश्यकता के अनुसार प्रसंस्करण सुविधा का उपयोग करने की अनुमति देनी होगी जैसे अनुसंधान एवं विकास कार्य आदि। एजेंसी को इसकी आवश्यकता के बारे में पहले ही सूचित कर दिया जाएगा।
- 26. ठेकेदार द्वारा गुणवत्ता और स्वच्छता बनाए रखा जाना -:
 - एजेंसी आवश्यकता के अनुसार प्रत्येक उत्पाद के लिए उचित FSSAI लाइसेंस प्राप्त करेगी।
 - o लाइसेंसधारी FSSAI द्वारा निर्दिष्ट मानक के अनुसार अच्छी गुणवत्ता के खाद्य पदार्थ और कच्चे माल की खरीद करेगा।
 - लाइसेंसधारी प्रतिदिन परिसर से निर्धारित क्षेत्र के अपिशष्ट को हटाना सुनिश्चित करेगा। हालांकि, कचरे को निपटान के लिए बाहर ले जाने से पहले, सुरक्षा पर्यवेक्षक को यह सुनिश्चित करने के लिए भौतिक रूप से जांच करनी होगी कि निपटान की जा रही सामग्री में कोई उपयोगी वस्तु तो नहीं है।

- लाइसेंसधारी के लिए निम्नलिखित स्वच्छता और सफाई के उपाय करना अनिवार्य होगा) :अ (प्रायोगिक सयंत्र सिंहत स्टोर-रूम को दिन में दो बार साफ करना, (बी (अंत में बर्तनों को गर्म पानी में भिगोना, (स) पॉट और वर्तन) द) सप्ताह में एक बार रेफ्रिजरेटर, वाटर कूलर की पूरी तरह से सफाई, (य) कीटनाशकों का समय-समय पर छिड़काव, (य) अच्छी भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और स्वास्थ्य और स्वच्छता के नवीनतम मानकों को बनाए रखने के लिए) जैसा कि FSSAI द्वारा निर्दिष्ट किया गया है) (h))दिन के अंत में वाशबेसिन को डिटर्जेंट से अच्छी तरह से साफ करना। विफलता के मामले में, लाइसेंसधारक इस संबंध में लागु विभिन्न अधिनियमों के अनुसार काननी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा।
- 27. लाइसेंसधारी किसी भी उप-अनुज्ञप्ति की सेवाएं नहीं लेगा या किसी अन्य व्यक्ति को अनुबंध हस्तांतरित नहीं करेगा। यदि, यह किसी भी समय पाया जाता है, तो निफ्टेम को अनुबंध को समाप्त करने और सभी सुरक्षा जमा राशि को जब्त करने का अधिकार है।
- 28. निफ्टेम 24 घंटे के नोटिस की समाप्ति के बाद बिना किसी पत्राचार के परिसर का अधिकार लेने का हकदार होगा। हालांकि, चूक के किसी भी मामले को लाइसेंसधारी को लिखित रूप में इंगित किया जाएगा, जब लाइसेंसधारी को अपनी गलती को सही और सुधारने के लिए सक्षम करने की बात आती है।
- 29. लाइसेंसधारी संस्थान में निर्धारित क्षेत्र पर ही कब्जा करेगा।
- 30. संस्थान की किसी भी संपत्ति के लिए ठेकेदार, उसके एजेंट या नौकर या श्रमिक के किसी भी कार्य या चूक के कारण होने वाली सभी क्षति /हानि के लिए लाइसेंसधारी संपत्ति को ठीक कर देगा। निफ्टेम के पास यह अधिकार है कि वह लाइसेंसधारी से सभी खर्च को खर्चों के साथ वसुल कर संपत्ति को नुकसान या हानि होने के पहले ठीक कर दे।
- 31. कर्मचारियों को फोटो वाले पहचान पत्र जारी किए जाने चाहिए। लाइसेंसधारी अपने कर्मचारियों को वर्दी और जूते भी प्रदान करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि वे उन्हें हर समय पहनें और उनका उचित रखरखाव करें। संयंत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को सुरक्षा मानकों को बनाए रखने के लिए काम करते समय अलग जूते पहनने होंगे।
- **32.** लाइसेंसधारी आवंटित स्थान /परिसर का उपयोग उस उद्देश्य के अलावा किसी अन्य गतिविधि के लिए नहीं करेगा जिसके लिए यह प्रदान किया गया है।
- 33. संस्थान बिजली की विफलता, प्राकृतिक आपदा, आग, भूकंप, बाढ़, भारी बारिश या प्रकृति के किसी अन्य कार्य सहित किसी भी कारण से एजेंसियों को होने वाले किसी भी नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। एजेंसी को नुकसान की वसूली या कम करने के लिए स्वयं व्यवस्था करनी होगी।
- 34. संयंत्र एवं मशीनरी आदि का बीमा लाइसेंसधारी के खर्चे पर होगा।
- 35. निफ्टेम उत्पाद विकास के उद्देश्य से प्रायोगिक संयंत्र में कच्चे माल सहित कोई उपभोज्य या गैर उपभोज्य वस्तु उपलब्ध नहीं कराएगा।
- 36. लाइसेंसधारी निफ्टेम द्वारा प्रदान किए गए सभी उपकरणों को अच्छी कार्यशील स्थिति में बनाए रखेगा और होने वाली क्षित के लिए जिम्मेदार होगा। वह सेवाओं में व्यवधान से बचने के लिए बिना किसी देरी के पुर्जों की मरम्मत और रखरखाव करेगा और मरम्मत की लागत पूरी तरह से लाइसेंसधारी द्वारा वहन की जाएगी। संचालन के दौरान, यदि कोई अतिरिक्त पुर्जा क्षितिग्रस्त हो जाता है, तो उसे एजेंसी द्वारा लागत पर समान विनिर्देशों के साथ बदल दिया जाएगा। अनुबंध की समाप्ति पर, लाइसेंसधारी ऐसे सभी उपकरणों/वस्तुओं को अच्छी कार्यशील स्थिति में निफ्टेम को सौंप देगा।
- 37. एएमसी/सीएएमसी का प्रभार एजेंसी द्वारा ही वहन किया जाएगा। यदि निफ्टेम ने एएमसी किया है, तो उसके लिए मासिक आधार पर शुल्क का भुगतान एजेंसी को लाइसेंस शुल्क के साथ हर महीने करना होगा। यदि एजेंसी ऐसा करने में विफल रहती है तो लाइसेंस शुल्क के लिए लागू जुर्माना लगाया जाएगा।
- 38. प्रायोगिक सयंत्र और निफ्टेम परिसर में सिगरेट, बीड़ी, पान, शराब आदि का उपयोग प्रतिबंधित है, अगर कोई इन गतिविधियों में संलिप्त पाया जाता है, तो व्यक्ति को तुरंत परिसर छोड़ने के लिए कहा जाएगा और लाइसेंसधारी इस शर्त के उल्लंघन के लिए अनुबंध खोना हेतु उत्तरदायी होगा। लाइसेंसधारी यह वचन देगा कि उसके कर्मचारियों द्वारा चोरी सहित किसी भी चूक या दलाली का एकमात्र उत्तरदायित्व उसका होगा और इसके अलावा वह संस्थान को उसके कर्मचारी व्यक्तिगत या सामूहिक रूप द्वारा किसी भी नुकसान या क्षति या चोरी के लिए तुरंत क्षतिपूर्ति करेगा/करेगी।

- 39. लाइसेंसधारी प्रायोगिक संयंत्र में सभी सुरक्षा उपाय) अग्नि सहित (करना सुनिश्चित करेगा। वह संयंत्र में तैनात व्यक्तियों के लिए एक प्राथमिक चिकित्सा पेटी भी रखेंगे।
- 40. यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि बिजली, पानी या अन्य संसाधनों का दुरुपयोग किया गया है, तो एजेंसी पर उचित जुर्माना लगाया जाएगा।
- 41. संस्थान के पास ऐसी कोई सुविधा नहीं होने के कारण एजेंसी को अपने आसपास के क्षेत्र में कार्यबल के रहने की व्यवस्था करनी होगी।
- 42. बोली लगाने वालों को अपनी इमरजेंसी लाइट, लोडर, रैट ट्रैपर, गैस सिलेंडर, ईंधन और अन्य आवर्ती वस्तुओं की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।
- 43. निफ्टेम के पास निफ्टेम में काम करने वाले किसी भी व्यक्ति को हटाने के लिए एजेंसी को कॉल करने का अधिकार सुरक्षित है, यदि स्वच्छता या स्वास्थ्य या आचरण या किसी अन्य प्रशासनिक कारणों से सेवाओं के लिए अनुपयुक्त पाया जाता है। निफ्टेम पहचान पत्र नहीं रखने वाले व्यक्ति को अनुमति नहीं देने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- 44. नियमों और शर्तों के संबंध में व्याख्या, संशोधन और किसी भी परिवर्तन के मामले में, लाइसेंसधारी और निफ्टेम संयुक्त रूप से इस पहलू पर विचार करेंगे और निफ्टेम का निर्णय अंतिम और लाइसेंसधारी के लिए बाध्यकारी होगा।
- 45. एजेंसी, अनुबंध के संचालन के शुरू होने से पहले, निफ्टेम को उन सभी कर्मचारियों का विवरण उपलब्ध कराएगी जिन्हें संयंत्र चलाने के लिए संस्थान के परिसर में तैनात किया जाएगा। इस तरह के विवरण में अन्य वातों के साथ-साथ आयु/जन्म तिथि, फोटो, फिंगरप्रिंट, स्थायी पता, पुलिस सत्यापन रिपोर्ट और कर्मचारियों की स्वास्थ्य स्थिति की प्रोफ़ाइल शामिल होनी चाहिए।
- 46. एजेंसी अपने कर्मचारियों के बीच उचित अनुशासन सुनिश्चित करेगी और यह भी सुनिश्चित करेगी कि वे किसी भी गैरकानूनी गतिविधि में शामिल न हों।
- 47. कानन के तहत बाल श्रम का नियोजन सख्त वर्जित है। इसलिए एजेंसी प्लांट में किसी भी बच्चे को काम पर नहीं रखेगी।
- 48. लाइसेंसधारक अपने कर्मचारियों के आचरण और व्यवहार के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगा और एजेंसी के कर्मचारियों के आचरण के कारण संस्थान की चल या अचल संपत्ति को होने वाले किसी भी नुकसान या क्षति की भरपाई लाइसेंसधारी द्वारा की जाएगी।
- 49. निफ्टेम प्रबंधन के पास सफाई और स्वच्छता की स्थिति सुनिश्चित करने के लिए किसी भी समय परिसर का निरीक्षण करने के लिए 24घंटे की सुविधा होगी। ऐसे अधिकारियों द्वारा उनके दौरों के दौरान बताए गए किसी भी दोष को लाइसेंसधारी द्वारा उचित रूप से दूर किया जाएगा।
- 50. संस्थान के परिसर में नशीली दवाओं, मादक पेय, सिगरेट या किसी भी अन्य नशे की वस्तुओं का भंडारण/आपूर्ति/बिक्री और उपभोग सख्त वर्जित है। उनके द्वारा इस तरह के प्रतिबंधों का कोई उल्लंघन वैधानिक मानदंडों के अनुसार लाइसेंसधारी के खिलाफ निवारक कार्रवाई करेगा।
- 51. एजेंसी द्वारा नियोजित कर्मचारी सीधे लाइसेंसधारी की देखरेख, नियंत्रण और रोजगार के अधीन होंगे और उनका निफ्टेम के साथ कोई संबंध नहीं होगा। निफ्टेम ऐसे श्रमिकों को नियंत्रित या पर्यवेक्षण करने या कानून के तहत अनुमत के अलावा उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने के लिए बाध्य नहीं होगा। ऐसे कर्मचारियों का निफ्टेम में किसी भी अस्थायी या स्थायी पदों के विपरीत लाइसेंसधारी द्वारा नियोजित होने के आधार पर रोजगार या उनकी सेवाओं के नियमितीकरण के लिए निफ्टेम के खिलाफ कोई दावा नहीं होगा।

- 52. शॉप फ्लोर एरिया के बाहर, स्टोर, स्टाफ टॉयलेट, प्रायोगिक संयंत्र कक्षों की सफाई की जिम्मेदारी लाइसेंसधारी की होगी। साथ ही लाइसेंसधारी यह सुनिश्चित करेगा कि खाद्य अपिशृष्ट का समुचित निस्तारण हो तथा किसी भी प्रकार से परिसर या आस-पास के क्षेत्र में न फेंका जाए। यदि लाइसेंसधारी परिसर के चारों ओर आवश्यक सफाई बनाए रखने में विफल रहता है, तो यह सुनिश्चित करने के लिए एक समर्पित हाउसकीपिंग स्टाफ निफ्टेम को उनकी लागत पर तैनात किया जाएगा और इसके लिए रु .13290/- प्रति माह) एकमुश्त (प्रभार/वसूली की जाएगी। आंशिक के मामले में, आंशिक शुल्क लिया जाएगा। ये दरें वही होंगी, जो केंद्रीय श्रम आयुक्त द्वारा निर्धारित की जा रही हैं।
- 53. किसी भी रूप में पक्ष-प्रचार को गंभीरता से देखा जाएगा और यदि कोई एजेंसी ऐसी प्रथाओं का सहारा लेती हुई पाई जाती है, तो ऐसी फर्म का ईओआई खारिज कर दिया जाएगा।

15. निष्पादन सुरक्षा-:

- i) सफल एजेंसी को डीडी के रूप में 3महीने की लाइसेंस फीस के बराबर एक प्रदर्शन सुरक्षा और बैंक गारंटी के रूप में 03महीने की लाइसेंस फीस अलग से जमा करनी होगी। प्रदर्शन सुरक्षा जमा करने तक, ईएमडी राशि को बरकरार रखा जाएगा, लेकिन एक महीने से अधिक देरी के मामले में, ईएमडी राशि को जब्त कर लिया जाएगा या प्रदर्शन सुरक्षा के खिलाफ समायोजित किया जाएगा, जैसा भी मामला हो। हालांकि, इस संबंध में, सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।
- ii) एलओए प्राप्ति के 15िदनों में, लाइसेंसधारक बोली दस्तावेज में निर्दिष्ट प्रदर्शन सुरक्षा प्रस्तुत करेगा। अनुबंध के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने में लाइसेंसधारी की विफलता के परिणामस्वरूप किसी भी नुकसान के मुआवजे के रूप में प्रदर्शन सुरक्षा की आय संस्थान को देय होगी। प्रदर्शन सुरक्षा भारत में स्थित एक राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक द्वारा जारी बैंक गारंटी के निम्नलिखित रूपों में से एक या एक खाता प्राप्तकर्ता डिमांड ड्राफ्ट निफ्टेम कुंडली, सोनीपत को देय होगी।
- iii) प्रदर्शन सुरक्षा /सुरक्षा जमा की रिहाई -डीडी और बीजी के रूप में तीन महीने के लाइसेंस शुल्क के बराबर प्रदर्शन सुरक्षा /सुरक्षा जमा एलओए जारी होने के 30दिनों के भीतर लिया जाएगा या ईएमडी से घटाया जाएगा। पीएनजी सुरक्षा अलग से ली जाएगी। सभी अनुबंध दायित्वों को पूरा करने और सभी उपकरणों और संयंत्रों को अच्छी और काम करने की स्थिति में सौंपने पर 60दिनों के बाद प्रदर्शन सुरक्षा /सुरक्षा जमा बिना ब्याज के वापस कर दी जाएगी।
- iv) अनुबंध पूरा होने के बाद संयंत्रों को सौंपना: लाइसेंसधारक को संबंधित प्रायोगिक संयंत्र/उपकरण को उपयोगिताओं के साथ अनुबंध अविध की समाप्ति पर नामित अधिकारी/संकाय या टीम को सौंपना होगा। किसी भी क्षति के मामले में, प्रदर्शन सुरक्षा से तय की गई उचित राशि काट ली जाएगी। स्टोर, कार्यालय आदि सहित अन्य स्थान को संयंत्र सौंपे जाने के 07दिनों के भीतर खाली करना होगा।

16. दंड खंड-:

- 1) यदि एजेंसी या उनका कर्मचारी किसी अधिकारी, कर्मचारी, छात्रों, आगंतुकों के साथ झगड़ा, दुर्व्यवहार करते हुए या किसी असामाजिक गतिविधि में शामिल पाया जाता है, तो दंड के अलावा एजेंसी के खिलाफ उचित कार्रवाई भी की जाएगी।
- 2) एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि उनके कर्मचारी मोबाइल या टेप या रेडियो या एफएम पर चिल्लाना /गाली देना /जोर से संगीत बजाना नहीं करे जो कि दंड प्रावधान के अधीन होगा।
- 3) किसी भी कार्य दुराचार की पुनरावृत्ति के मामले में, भारी जुर्माना और एजेंसी या दोषी के खिलाफ उचित समझी जाने वाली कोई भी कार्रवाई की जाएगी।
- 4) निर्धारित समय से अधिक देरी से लाइसेंस शुल्क जमा करने के मामले में, शेष राशि पर 2.0% प्रति माह की दर से जुर्माना लगाया जाएगा और अगले महीने की बिलिंग में जोड़ा जाएगा। किसी भी स्थिति में 03माह से अधिक का बकाया नहीं होना चाहिए और यदि ऐसा होता है तो लंबित बकाया राशि पर 10% अतिरिक्त जुर्माना लगाया जाएगा और बिजली और उपयोगिता सेवाओं को बंद कर दिया

जाएगा और यदि अभी भी बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो अनुबंध समापन नोटिस दिया जाएगा और प्रदर्शन सुरक्षा और अग्रिम लाइसेंस शुल्क से राशि काट ली जाएगी।

17. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम/बीमा अधिनियम/ईपीएफ अधिनियम आदि का अनुपालन-:

- 1) लाइसेंसधारी संबंधित प्राधिकारी को ईएसआई, ईपीएफ आदि अंशदानों की समय पर कटौती/जमा करने के अलावा अपने कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।
- 2) लाइसेंसधारी ठेकेदार द्वारा नियोजित और तैनात किए गए पात्र कर्मियों को सभी लाभ जैसे पीएफ, ईएसआई, बोनस, ग्रेच्युटी, अवकाश आदि प्रदान करने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा।
- 3) विभिन्न लागू श्रम कानूनों जैसे न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, श्रम अधिनियम, ईएसआई अधिनियम, ईपीएफ अधिनियम, मजदूरी भुगतान अधिनियम, कर्मकार मुआवजा अधिनियम, अनुबंध श्रम) विनियमन और उन्मूलन (अधिनियम 1970या किसी अन्य आवेदन अधिनियमों /िनयमों का कड़ाई से पालन और समय-समय पर संशोधित अन्य सभी वैधानिक आवश्यकताएं समय-समय पर केंद्र/राज्य सरकार प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए लाइसेंसधारक की जिम्मेदारी होगी और उसे एजेंसी द्वारा इस संबंध में चूक के कारण निफ्टेम को होने वाली हानि, यदि कोई हो, का वहन करना होगा। ईपीएफ/ईएसआई अंशदान एजेंसी द्वारा अपने ईपीएफ/ईएसआई कोड संख्या में श्रमिकों के संबंधित खाते में जमा किया जाएगा।
- 4) लाइसेंसधारक द्वारा किसी संविदात्मक या वैधानिक दायित्वों के उल्लंघन की स्थिति में, वह इसके लिए जिम्मेदार होगा। इसके अलावा, लाइसेंसधारक के कृत्यों के कारण किसी भी व्यक्ति या सरकारी प्राधिकरण द्वारा संस्थान के खिलाफ किसी भी कार्रवाई, दावे, क्षति, मुकदमे की शुरुआत की स्थिति में, वह किसी भी व्यक्ति को नुकसान के लिए ऐसे दावों को पूरा करने /क्षतिपूर्ति करने के लिए एजेंसी या सरकारी प्राधिकरण को उत्तरदायी होगा।
- 5) लाइसेंसधारी श्रम कानूनों) ईएसआई, पीएफ, बोनस, आयकर, सेवा कर या सरकार द्वारा लगाए गए किसी भी अन्य अतिरिक्त कर (कंपनी अधिनियम, कर कटौती देनदारियों, अपने कर्मचारियों के कल्याण उपायों सहित भूमि के सभी कानूनों का पालन करेगा और इस क्षेत्र के अन्य सभी दायित्वों और उन कानूनों को जो अनिवार्य रूप से यहां सूचीबद्ध और परिभाषित नहीं हैं। बाद के स्तर पर इस तरह के किसी भी दावे की एकमात्र जिम्मेदारी लाइसेंसधारी की होगी और इसमें किसी भी तरह से निफ्टेम शामिल नहीं होगा।

18. कामगारों का बीमा-:

लाइसेंसधारक किसी भी दुर्घटना, चोट के कारण और फर्म की तैनाती के दौरान अपने जनशक्ति के लिए किसी भी दायित्व के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा। कामगार मुआवजा अधिनियम के तहत पूर्वोक्त दायित्व को पूरा करने के लिए, एजेंसी कार्य कराने के लिए उसके द्वारा नियोजित व्यक्ति के लिए बीमा कंपनी से W.C.पॉलिसी प्राप्त कर सकती है। पूर्वोक्त बीमा पॉलिसी के लिए देय प्रीमियम लाइसेंसधारी द्वारा वहन किया जाएगा।

19. सुरक्षा नियम -:

- अ. लाइसेंसधारी को सुरक्षा नियमों के सभी प्रावधानों का पालन करना होगा। यदि कोई कर्मचारी असुरक्षित स्थिति में उचित सुरक्षात्मक उपकरण के बिना लापरवाही से काम करता पाया जाता है तो संस्थान उस पर जुर्माना लगा सकता है। किसी भी अन्य खंड के उल्लंघन में, प्रति उल्लंघन जुर्माना लगाया जाएगा। गंभीर प्रकृति के बार-बार उल्लंघन के परिणामस्वरूप गंभीर दुर्घटना या निफ्टेम को प्रत्यक्ष हानि/गंभीर परिणाम होने की धमकी के मामले में, भारी जुर्माना लगाया जाएगा, जिसमें अनुबंध की समाप्ति भी शामिल है।
- ब. लाइसेंसधारी यह सुनिश्चित करेगा कि किसी भी विद्युत या यांत्रिक उपकरण को चलाते समय सभी सुरक्षा उपाय सावधानी बरती जाए। लापरवाही के कारण किसी भी नुकसान या क्षति के लिए लाइसेंसधारी जिम्मेदार होगा।
- स. लाइसेंसधारक काम के दौरान अपने कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होगा और संस्थान काम के दौरान होने वाली किसी भी दुर्घटना के मुआवजे के भुगतान के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। लाइसेंसधारी को अपने कामगार को सभी आवश्यक सुरक्षा उपकरणों आदि

से सज्जित करना आवश्यक है। संस्थान किसी भी आंशिक या स्थायी चोट, या दुर्घटना या उपकरण की खराबी या लापरवाही के कारण साइट पर कर्मचारी की किसी भी दुर्घटना या मृत्यु के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

- द. लाइसेंसधारी को कार्य के निष्पादन के दौरान प्राकृतिक आपदा (वर्षा, तूफान, भूकम्प एवं अन्य आपदा) से हुई किसी भी क्षति के लिए कोई मुआवजा देय नहीं होगा।
- य. लाइसेंसधारी सभी एनओसी जैसे बिजली, आग और अन्य लागू होने के लिए जिम्मेदार होगा।
- 20. कोई सशर्त बोली स्वीकार नहीं की जाएगी।
- 21. बोलीदाताओं/एजेंसियों द्वारा कोई विपरीत शर्त स्वीकार्य नहीं होगी।
- 22. प्रस्ताव की स्वीकृति का अधिकार:-

निफ्टेम बिना कोई कारण बताए आंशिक रूप से स्वीकार करने या किसी भी प्रस्ताव को अस्वीकार करने का अधिकार रखता है। निफ्टेम सबसे कम या किसी अन्य ईओंआई को स्वीकार करने की प्रतिज्ञा नहीं करता है और ईओआई के पूरे या किसी हिस्से या प्रस्तावित मात्रा के हिस्से को स्वीकार करने का अधिकार रखता है और लाइसेंसधारी उद्धृत दर पर इसकी आपूर्ति करेगा।

23. अनुबंध का निरस्तीकरण/समाप्ति:-

- क) अनुबंध को 30 दिनों के नोटिस पर सेवा देकर किसी भी पक्ष से समाप्त किया जा सकता है।
- ख) संस्थान के पास निम्नलिखित में से किसी भी परिस्थिति में इस ईओआई को अंतिम रूप से होने वाले अनुबंध को आंशिक या पूर्ण रूप से समाप्त करने का अधिकार होगा: –
- i) लाइसेंसधारी दिवालिया घोषित या दिवालिया हो जाता है।
- ii) मध्यस्थता / न्यायाधिकरण के निर्णय के अनुसार।
- iii) जब दोनों पक्ष पारस्परिक रूप से अनुबंध को समाप्त करने के लिए सहमत होते हैं।
- iv) यदि लाइसेंसधारी 30 दिनों के भीतर बकाया राशि का भुगतान करने में विफल रहता है।
- v) असंतोषजनक प्रदर्शन के मामले में, कोई कारण बताए बिना, संस्थान किसी भी समय नोटिस देकर अनुबंध को रद्द करने / समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

24. अप्रत्याशित घटना:-

यदि किसी अप्रत्याशित घटना की स्थिति उत्पन्न होती है, तो अनुबंधित पक्ष में से प्रत्येक को गैर–पूर्ति के लिए या अपने किसी भी संविदात्मक दायित्वों की देरी से पूर्ति के लिए क्षमा किया जाएगा, यदि प्रभावित पक्ष इसकी घटना के 30दिनों के भीतर दूसरे पक्ष को लिखित रूप में सूचित करे। अप्रत्याशित घटना का अर्थ आग, बाढ़, प्राकृतिक आपदा या युद्ध, उथल-पुथल, हड़ताल, तोड़-फोड़, विस्फोट, और संगरोध प्रतिबंध जैसे अन्य कार्य जो किसी भी पक्ष के नियंत्रण से बाहर हों।

25. सांविधिक कटौतियां-:

अधिभार सहित आयकर, कार्य कर, जीएसटी, टीडीएस इत्यादि के कारण वैधानिक कटौती एजेंसी के बिलों से प्रचलित दरों पर स्रोत पर की जाएगी।

26. जोखिम और लागत-:

यदि लाइसेंसधारी संविदात्मक दायित्वों को पूरी तरह से संपूर्ण करने में विफल रहता है, तो यह निफ्टेम के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना आगे की राशि या किसी परिसमापन या अन्य नुकसान की वसूली के लिए होगा।

27. मध्यस्थता खंड-:

ए (एजेंसी और निफ्टेम के बीच किसी भी विवाद के मामले में, उत्पन्न होने वाले अनुबंध और समझौता के संबंध में, सबसे पहले दोनों पक्ष सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटाने की कोशिश करेंगे, जिसमें विफल होने पर, इसे कुलपित, निफ्टेम द्वारा नियुक्त एकमात्र आर्बिट्रेटर के पास मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा। उक्त मध्यस्थ का निर्णय दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगा। मध्यस्थता की सीट हरियाणा क्षेत्र में होगी। अनुबंध के किसी भी अन्य खंड के तहत अधिकार के बिना, निफ्टेम, लाइसेंसधारी की ओर से शर्तों के किसी भी उल्लंघन की स्थिति में, अनुबंध को रद्द कर देगा और इस तरह के रद्दीकरण से उत्पन्न किसी भी नुकसान के लिए लाइसेंसधारी पर प्रभार लगाएगा।

ख (यदि कोई विवाद अनुबंध से उत्पन्न होता है, तो भारतीय मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार नियुक्त किए गए एकमात्र मध्यस्थ द्वारा आपसी चर्चा या मध्यस्थता से सुलझाया जाएगा।

ग (सभी कानूनी विवाद केवल सोनीपत/चंडीगढ़ न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अधीन होंगे।

28. उपरोक्त खंडों के अतिरिक्त-: अन्य नियम और शर्तें, जिनका ईओआई में उल्लेख नहीं किया गया है, को जोड़ा जा सकता है और एलओए और समझौते में इसका उल्लेख किया जाएगा। यदि लाइसेंसधारी किसी भी शर्त से सहमत नहीं है, जिसे बाद की तारीख में शामिल किया गया है, तो वे प्रस्ताव को स्वीकार करने से पहले लिखित में सूचित कर सकते हैं। स्वीकृति के पश्चात किसी प्रकार के विरोध पर विचार नहीं किया जायेगा।

) कुलसचिव, निफ्टेम (

ईओआई फॉर्म) तकनीकी बोली (

(एजेंसी द्वारा अपने लेटर-हेड पर प्रस्तुत किया जाए (सभी जानकारी भरी और पृष्ठ संख्या द्वारा निर्दिष्ट प्रमाण संलग्न किया जाना है

एजेंसी का नाम	And the first art one go the first state and the first	
पता		

क्र.सं.	विविरण	स्थिति) हाँ संलग्न (पेज सं.
1.	निगमन का वर्ष (प्रतिलिपि संलग्न करें) :-		
2.	पंजीकृत कार्यालय का पता (प्रतिलिपि संलग्न करें) :-		
3.	मालिक/प्राधिकृत व्यक्ति का नाम: -		
4.	मोबाइल नं:		
5.	ईमेल आईडी: -		
6.	प्रायोगिक संयंत्र का प्रकार जिसके लिए आवेदन किया गया है:		
7.	कार्य पंजीकरण संख्या: - (प्रतिलिपि संलग्न करें)		
8.	कार्यों की संख्या:		
9.	पिछला अनुभव (वर्षों में)		
10.	पिछले 03 वर्षों के दौरान बोलीदाताओं द्वारा किए गए कार्यों का विवरण		
11.	पैन नं (प्रतिलिपि संलग्न की जाए)		
12.	टैन नं. (प्रतिलिपि संलग्न करें)		
13.	जीएसटी पंजीकरण संख्या (प्रतिलिपि संलग्न की जाए)		
14.	रोल पर कर्मचारियों की संख्या		
15.	शाखा कार्यालयों की संख्या		
16.	ईएसआई पंजीकरण संख्या : -		
	(प्रतिलिपि संलग्न की जाए)		
17.	ईपीएफ पंजीकरण संख्या: – (प्रतिलिपि संलग्न करें)		
18.	अनुबंध श्रम (आर एंड ए) अधिनियम के तहत लाइसेंस संख्याप्रतिलिपि संलग्न की जाए)		
19.	वित्तीय वर्ष के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) : 2019-20		
	2020-21		
	2021-22		
20.	वित्तीय वर्ष के लिए बैलेंस शीट और लाभ और हानि ए / सी। 2019-20, 2020-21		
	और 2021-22:- (प्रति संलग्न करें)		
21.	एफएसएसएआई प्रमाणपत्र संख्या : - (प्रतिलिपि संलग्न की जाए)		
22.	पायलट प्लाट/उपकरण और अन्य सामान/उपयोगिता का उपयोग करने का प्रस्ताव और	-	
22.	तैयार किए जाने वाले उत्पादों का विवरण। प्रमुख कच्चे माल /फिनिश माल का नाम।		
	अनुमानित मात्रा और अन्य विवरण।		
	(कृपया अलग शीट का उपयोग करें)		
23.	बैंक विवरण: खाते का नाम:		
	खाताधारक का नाम (जैसा कि बैंक में छपा है) :		
	बैंक खाता नम्बराः		
	बैंक का नाम :		
	बैंक शाखा का पता :		
	एमआईसीआर संख्या : आईएफएससी कोड :		
24.	आधार कार्ड संख्या		
Je maneže	फोटोकॉपी संलग्न करें		
25.	वोटर कार्ड		
	(फोटोकॉपी संलग्न करें)		

ईओआई शुल्क	: डिमांड ड्राफ्ट सं.	दिनांक	रुपये की राशि।
र्भागार् सुरम	. १७ नाउ जू १२८ त.	(यः।। नः	्यन का सारा

ईएमडी :	डिमांड ड्राफ्ट सं	दिनांक	रुपये	को लिए गये तकनीकी बोली के साथ स	ांलग्न हैं।
दिनांक - : हस्ताक्षर					
बडे अक्षर में नाम					
एजेंसी का नाम				*	
स्टाम्प के साथ पता :					

अनुलग्नक- ॥

घोषणापत्र

सेवा,

कुलसचिव, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान प्लॉट नंबर 97, सेक्टर -56, एचएसआईआईडीसी इंडस्ट्रियल एस्टेट, कुंडली-131028, जिला-सोनीपत)हरियाणा(

श्रीमान,

1मैं/हम अधोहस्ताक्षरी प्रमाणित करते हैं कि मैंने/हमने ईओआई दस्तावेजों में उल्लिखित नियमों और शर्तों को पढ़ लिया है और उनका पालन करने का वचन देते हैं।

2. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि हमारे फर्म को भारत या विदेश में किसी भी एजेंसी द्वारा ब्लैक लिस्ट में नहीं डाला गया है।

दिनांक:

बोली लगाने वाले के हस्ताक्षर

सील के साथ

बोली लगाने वाले का नाम पते के साथ

नोट: उपरोक्त के अनुसार प्रमाण पत्र 100/- (एक सौ रुपये मात्र (रुपये के सिर्फ गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

उपकरणों और उपयोगिताओं की सूची

अ. मीट और पोल्ट्री प्रसंस्करण संयंत्र

क्र.सं.	उपकरण का विवरण	इकाई	मात्रा	कुल लागत)रु.में(
1.	आटोमेटिक मिक्सर ग्राइंडर/ मिक्सर	सं.	1	2878451
2.	हाइड्रोलिक फिलर, स्टफर (वैक्यूम)	सं.	. 1	3196769
3.	लिंक कटर	सं.	1	289213
4.	फोर्मिंग लाइन, पोर्शनिंग मशीन	सं.	1	1316281
5.	हैवी ड्यूटी ऑटोमैटिक स्लाइसर (फूड स्लाइसर मॉडल G330 A)	सं.	1	509501
6.	इंजेक्टर (क्यूरिंग मशीन पीआर 8)	सं.	1	1429798
7.	टम्बलर (MPR 300 हाई टेक टम्बलर 400v-50 Hz)	सं.	1	4840643
8.	हैम कुकर	सं.	1	351308
9.	आइस मेकर	सं.	1	1092952
10.	गैस फ्लशिंग मशीन	सं.	1	2971446
11.	स्टूइंग, कुकिंग रेंज, ब्रोइलिंग, फ्राइंग, रोस्टिंग मशीन	सं.	1	1078550
12.	मेटल डिटेक्टर	सं.	1	588300
13.	ट्रॉली स्टेनलेस स्टील (2)	सं.	1	59856
14.	ट्रॉली स्टेनलेस स्टील (2)	सं.	1	196854
15.	लैंडिंग टेबल स्टेंनलेस स्टील	सं.	1	33992
16.	बोइंग टेबल (2)	सं.	2	67983
17.	पैकिंग टेबल (2)	सं.	2	67983
18.	बैंड सॉ ST320 (विथ टेबल)	सं.	1	340466
19.	डिजिटल थर्मामीटर प्रोब फॉर टेम्परेचर	सं.	1	1517
20.	ब्रॉनिंग नाइफ, सीरेटेड नाइफ, शार्पनिंग स्टील्स	सं.	1	14882
21.	चिलर 2 एमटी कैपेसिटी फॉर मीट	सं.	1	1388063
	2 101 101 101		A 200	(A)
22.	कोल्ड स्टोर (फॉर 8 एमटी कैपेसिटी)	सं.	1	1388063
23.	ब्लास्ट फ्रीजर (कैपेसिटी 500 केजी)	सं.	1	1832243
24.	बाउल कटर	सं.	1	2831955
25.	मीट स्केवेर मशीन	सं.	1	226100

26.	कंप्रेस्ड एयर सप्लाई सिस्टम ऑफ़ सूटेबल साइज़	सं.	1	44418
27.	रॉ एंड सॉफ्ट वाटर सप्लाई सूटेबल साइज़ एंड कैपेसिटी एज रिक्वायर्ड	सं.	1	99941
28.	बाटर ड्रेनेज सिस्टम इन्क्लुडिंग फ्लोर ट्रैप्स एंड पाइपिंग अप ट्र एक्सिस्टिंग ईटीपी पीआईटी	सं.	1	373660
29.	इलेक्ट्रिकल सेक्शन में 0.95 तक बिजली सुधार के लिए कैपेसिटर पैनल सहित मोटर कंट्रोल सेंटर, एमएमसी पैनल से मोटरों तक इंटरकनेक्टिंग केबल, केबल ट्रे शामिल होंगे।	सं.	1.0	1351183
30.	आरओ सॉफ्ट वाटर वेल्व एंड फिटिंग	सं.	1	37396
31.	कंप्रेस्ड एयर पाइप, वेल्व एंड फिटिंग	सं.	1	14958.20
	कुल			30914725

वित्तीय बोली

एजेंसी का नाम
чп

क्र.सं.	प्रायोगिक संयंत्र का नाम	उपकरण का नाम या पूरा पायलट प्लांट	लाइन के प्रायोगिक संयंत्र/उपकरण की लागत के लाइसेंस शुल्क की न्यूनतम आरक्षित दर	पायलट प्लांट/उपकरण के लिए INR में वार्षिक लाइसेंस शुल्क (12 समान मासिक किश्तों का भुगतान किया जाना है) (बोलीदाता द्वारा % में उद्धृत किया जाना है)
01	मीट एवं पोल्ट्री प्रायोगिक संयंत्र	5	8% प्रति वर्ष	

टिप्पणी:

- 1. निविदा दस्तावेज के साथ .xls प्रारूप में उपलब्ध कराया गया है। बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे उस प्रारूप में बोली मूल्य डाउनलोड करें, प्रायोगिक संयंत्र/उपकरण के लिए अपनी दरें %में उद्धृत करें और इसे बोली के साथ पोर्टल पर अपलोड करें।
- 2. उपरोक्त लाइसेंस शुल्क पर लागू जीएसटी दर के अनुसार अतिरिक्त देय होगा। सुरक्षा राशि और अग्रिम लाइसेंस शुल्क पर भी जीएसटी देय होगा।
- 3. उपकरणों की लागत अंदाज़न है और किसी अनजाने में हुई गलती के मामले में, लाइसेंस शुल्क की गणना के लिए वास्तविक लागत ली जाएगी।
- 4. एजेंसी को संबंधित प्रोसेसिंग लाइन के सभी उपकरण लेने होंगे।

मोहर के साथ बोली लगाने वाले के हस्ताक्षर

लाइसेंस समझौता

यह लाइसेंस समझौता, 2023के दिन राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता और प्रबंधन संस्थान) निफ्टेम) के लिए और भारतीय समाज अधिनियम के तहत पंजीकृत सोसायटी और यूजीसी अधिनियम, 1956की धारा 3के तहत एक मानित विश्वविद्यालय और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त संस्थान) इसके बाद संस्थान कहा गया (पहले भाग पर कुलसचिव के माध्यम से;
और
इसके बाद दूसरे भाग पर लाइसेंसधारी कहा जाता है,
जबिक संस्थान ने छात्रों और उद्यमियों को प्रशिक्षण देने के लिए प्रायोगिक संयंत्र स्थापित किए हैं और ये उपयोग के लिए तैयार हैं।
और जबिक संस्थान ने प्रायोगिक संयंत्रों के संचालन के लिए संभावित लाइसेंसधारियों से बोली आमंत्रित की है।
और जबिक लाइसेंसधारी को सफल बोलीदाता पाया गया है और संस्थान द्वारा उसे "उपकरण "कहे जाने वाले कार्यक्रम के अनुसार प्रायोगिक संयंत्रों के संचालन और रखरखाव के लिए लाइसेंस देने का निर्णय लिया गया है।
और जबिक लाइसेंसधारी इस लाइसेंस समझौते की शर्तों के अधीन संस्थान से लाइसेंस लेने के लिए सहमत है,
अब, इसलिए, यह लाइसेंस अनुबंध निम्नानुसार साक्षी है- :

- 1. कार्य का दायरा -:
- 1) संस्थान विशेष प्रायोगिक संयंत्र या विशिष्ट उपकरण/मशीन की आवश्यकता पर मासिक लाइसेंस शुल्क पर यहां निर्दिष्ट अनुसार शॉप फ्लोर प्रदान करने के लिए सहमत हो गया है।
- 2) उपरोक्त प्रायोगिक संयंत्र सुविधाओं के अलावा, संस्थान में गोदाम, कार्यालय स्थान, पानी की उपलब्धता, पावर बैकअप के साथ बिजली, भाप, प्रशीतन, सड़क, पार्किंग आदि सुविधाएं प्रभार्य आधार पर हैं।
- 3) संस्थान परामर्श या संकाय और छात्रों की भागीदारी के माध्यम से ऊष्मायन सुविधा, तकनीकी सहायता, विश्वसनीय परीक्षण, उत्पाद अध्ययन, अनुसंधान, प्रक्रिया-तकनीक विकास और मानकीकरण भी प्रदान कर सकता है।
- 4) संस्थान की हाउसकीपिंग, सुरक्षा आदि आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से होती है।
- 5) संस्थान में ईटीपी, आरओ वाटर और एसटीपी सुविधा भी है, जो प्रभार्य आधार पर प्रदान की जाएगी।
- 6) संस्थान छात्रों को औद्योगिक प्रशिक्षण कार्यक्रम या उनके पाठ्यक्रम के हिस्से के तहत समर्थन देने के लिए भी प्रदान कर सकता है।
- 7) संस्थान के पास वाणिज्यिक पीएनजी गैस कनेक्शन/आपूर्ति है।
 - 2. **अवधिः** संस्थान अपने उपयोग के लिए उपकरण लेगा। लाइसेंस शुरुआत में एक साल के लिए दिया जाएगा। लाइसेंस की अवधि को अतिरिक्त एक वर्ष के लिए इस तरह के नियमों और शर्तों पर नवीनीकृत किया जा सकता है, जैसा कि पार्टियों द्वारा और उनके बीच सहमित हो।

3. **लाइसेंस शुल्क:** उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, लाइसेंसधारी "जो एक सफल बोलीदाता/प्रोसेसर है, को "संस्थान "द्वारा -----रुपये के मासिक लाइसेंस शुल्क पर एक खाद्य व्यवसाय ऑपरेटर के रूप में लाइसेंस प्रदान किया जाता है।

लाइसेंसधारी तीन माह के लिए निर्धारित दर पर अग्रिम लाइसेंस शुल्क जमा करेगा तथा उपकरण की सुरक्षा के लिए बैंक गारंटी/डीडी के रूप में तीन माह के लाइसेंस शुल्क के समतुल्य सुरक्षा राशि भी जमा करेगा। प्रायोगिक संयंत्रों के संचालन के लिए कब्जा लेने से पहले ऐसी राशि संस्थान के पास जमा की जाएगी। इस प्रयोजन के लिए किसी विस्तार की अनुमति नहीं दी जाएगी।

सुरक्षा जमा राशि लाइसेंस अनुबंध की समाप्ति के बाद वापस कर दी जाएगी लेकिन लाइसेंस की समाप्ति के समय कोई बकाया होने की स्थिति में उसे समायोजित किया जाएगा।

मासिक लाइसेंस शुल्क का भुगतान लाइसेंसधारी द्वारा लागू करों के साथ महीने की 10 तारीख से पहले किया जाएगा। संस्थान द्वारा कोई आंशिक भुगतान स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि 10तारीख के बाद लेकिन महीने की 20तारीख से पहले भुगतान किया जाता है तो लाइसेंसधारी शेष राशि पर 2.0% प्रति माह की दर से जुर्माना देने के लिए उत्तरदायी होगा और किसी भी परिस्थिति में इसे महीने की 20तारीख के बाद विलंबित नहीं किया जा सकता है। इसे लाइसेंस समझौते का उल्लंघन माना जाएगा और लाइसेंस समझौते को समाप्त किया जा सकता है।

जीएसटी या सरकार के किसी अन्य लेवी सहित लाइसेंस शुल्क या तो चेक/डीडी/एनईएफटी के माध्यम से जमा किया जाएगा।

1वर्ष से अधिक के विस्तार के मामले में आपसी सहमित से लाइसेंस शुल्क में उचित वृद्धि की जा सकती है। इस संबंध में संस्थान का निर्णय अंतिम होगा।

1) बिजली, पानी और पीएनजी शुल्क लाइसेंस शुल्क की राशि के अतिरिक्त लागू होंगे। बिजली, पावर बैक अप और पानी के लिए शुल्क वही होगा जो संस्थान द्वारा अन्य विक्रेताओं पर लगाया जा रहा है। वर्तमान में, सरकार दर के अनुसार बिजली शुल्क24 . 00रु . प्रति यूनिट डीजी बैकअप के लिए होंगे। जल शुल्क HSIIDC द्वारा लिए जाने वाले शुल्क के समान होंगे। GST भी लागू के रूप में शुल्क लिया जाएगा।

लाइसेंसधारी उत्पादों के उत्पादन के लिए आवश्यक वस्तुओं जैसे ईंधन, रेफ्रिजरेंट, पैकेजिंग सामग्री और अन्य आवश्यक जरूरतों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा। हालांकि, संस्थान वास्तविक लागत और लागू करों के आधार पर विजली, पानी और सीएनजी की आपूर्ति की व्यवस्था करेगा। हालांकि, अगर बिजली, पानी और गैस की आपूर्ति में कोई विफलता है जो संस्थान के नियंत्रण से बाहर है, तो लाइसेंसधारी ऐसी विफलता के लिए संस्थान से किसी भी नुकसान का दावा नहीं करेगा।

पार्टियों द्वारा यह स्पष्ट रूप से समझा जाता है कि समय इस समझौते का सार होगा, जहाँ तक यह लाइसेंसधारी के दायित्वों या प्रतिबद्धताओं से संबंधित है।

- 4. **वारंटी:** संस्थान उपकरण या उसके संचालन में किसी भी मरम्मत, सेवा या दोष के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। हालांकि, संस्थान इस बात से सहमत है कि लाइसेंसधारी उपकरण के संबंध में निर्माता की वारंटी) यदि हो तो (के लाभों का हकदार होगा।
- 5. उपकरण का शीर्षक, पहचान, और संस्थान :इन उपहारों के आधार पर उपकरण में कोई अधिकार, शीर्षक या हित लाइसेंसधारी को नहीं दिया जाएगा। लाइसेंसधारी द्वारा इस समझौते की शर्तों के अनुपालन और शर्तों की पूर्ति पर, लाइसेंसधारी को लाइसेंस की पूरी अविध के लिए उपकरण पर अधिकार और उपयोग को बनाए रखने का अधिकार होगा, जिसमें विस्तारित अविध भी शामिल है, यिद सहमत हो। संस्थान को लाइसेंसधारी के हितों को बतलाते हुए प्लेट या मेकिंग को उपकरण पर चिपकाने या रखने की आवश्यकता हो सकती है। संस्थान और लाइसेंसधारी इस बात की पृष्टि करते हैं कि उनका इरादा यह है कि उपकरण हर समय संस्थान की संपत्ति बने रहें।

लाइसेंसधारी इस अनुबंध या उपकरण में किसी हित में बेचने, सौपने, किराये पर देने, गिरवी रखने, गिरवी न रखने पर भी सहमति और वचन देता है या संस्थान को पूर्व सूचना में मरम्मत उद्देश्यों के अलावा कारखाने या कार्यालय क्षेत्र से उपकरण जहां मूलतः संस्थान की पूर्व लिखित सहमति के बिना किसी तीसरे व्यक्ति को प्रयोग करने या उपयोग लाने की अनुमति दी जाती है ।

6. क्षतिपूर्ति: लाइसेंसधारी उपकरण पर अधिकार, संचालन और उपयोग से संबंधित सभी कानूनों, विनियमों और आदेशों का पालन करने के लिए सहमत है और उपकरण पर अधिकार, संचालन या उपयोग से उत्पन्न या उससे संबंधित सभी जोखिमों और देनदारियों को मानता है। लाइसेंसधारी संस्थान को क्षतिपूर्ति करने और क्षतिपूर्ति होने से सुरक्षित और हानि से बचाए रखने के लिए सहमत है और संस्थान को किसी अन्य और सभी दाव, लागत, खर्च से होने वाले नुकसान और देनदारी से सुरक्षित रखने का वचन देता है, चाहे सिविल या आपराधिक, उपकरण के उपयोग से उत्पन्न या संबंधित प्रयोग, अधिकार, संचालन या परिवहन से संबंधित किसी भी प्रकृति का हो। इस तरह के भुगतान में लाइसेंसधारी की विफलता पर संस्थान द्वारा भुगतान किया गया कोई भी शुल्क, कर या अन्य वैध शुल्क, तुरंत लाइसेंसधारी द्वारा इस तरह के भुगतान करने के लिए देय हो जाएगा, लाइसेंसधारी से संस्थान के लिए तुरंत देय हो जाएगा। संस्थान के अलावा लाइसेंसधारी किसी भी कारण से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जब्दी, उपकरण के नुकसान के खिलाफ संस्थान को क्षतिपूर्ति कम और क्षतिपूर्ति करने का वचन देता है, या संस्थान के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा शुरू की गई कानूनी प्रक्रिया के किसी भी रूप के फलस्वरूप, वशर्ते कि ऐसी क्षतिपूर्ति संस्थान को किसी भी उपेक्षा या डिफ्रॉल्ट से उत्पन्न होने वाले नुकसान से न हो। चाहे वह सिविल या आपराधिक, उपकरण के अधिकार, उपयोग, संचालन या भंडारण से उत्पन्न और व्यक्तियों की चोटों या मृत्यु या उपरोक्त से उत्पन्न होने वाली संपत्ति को नुकसान को लाइसेंसधारी आगे सभी जोखिमों और देनदारियों से संस्थान को क्षतिपूर्ण रखने और क्षतिपूर्ति करने के लिए सहमत है।

7. उपयोग, निरीक्षण: लाइसेंसधारी उपकरण को निर्माताओं के मैनुअल या निर्देशों के अनुसार, यदि कोई हो, और जहां तक लागू हो, केवल सक्षम और विधिवत योग्य कर्मियों द्वारा और लागू सरकारी नियमों के अनुसार, यदि कोई हो, और केवल व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए संचालित करेगा। उपकरण के अस्तित्व, स्थिति और उचित रखरखाव की पृष्टि के उद्देश्य से संस्थान को समय-समय पर किन्ही भी कार्यकारी दिनों में सामान्य व्यावसायिक घंटों के दौरान लाइसेंसधारी के परिसर या अन्य जगहों पर पूर्व सूचना के बाद प्रवेश करने का अधिकार होगा। लाइसेंस छात्रों और शिक्षकों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार प्रसंस्करण सुविधाओं का उपयोग करने की अनुमित देगा। संस्थान को अपनी आवश्यकता के अनुसार लाइसेंस के तहत उपकरणों पर कौशल विकास प्रशिक्षण आयोजित करने का अधिकार होगा। लाइसेंस अविध के दौरान भी संस्थान के आधिकारिक आगंतुकों के परिसर में आने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।

- 8. मरम्मत, हानि और क्षिति : लाइसेंस की अवधि और उसके किसी भी नवीनीकरण के दौरान, लाइसेंसधारी, अपनी लागत और व्यय पर सभी उपकरणों को अच्छी मरम्मत, स्थिति और कार्य क्रम में रखेगा और सभी भागों, तंत्रों, उपकरणों और सेवाओं को प्रस्तुत करेगा। इसकी आवश्यकता है। ऐसे सभी भागों, तंत्र और उपकरणों को इसके सभी उद्देश्यों के लिए तुरंत उपकरण का हिस्सा माना जाएगा और संस्थान की संपत्ति बन जाएगी। घटना में, उपकरण का कोई भी सामान गुम जाता है, चोरी हो जाता है या नष्ट हो जाता है या किसी भी कारण से मरम्मत से परे क्षतिग्रस्त हो जाता है, लाइसेंसधारी तुरंत उपकरण की लागत का भुगतान संस्थान को करेगा, जिसके बाद संस्थान लाइसेंसधारी बिना किसी वारंटी के स्थानांतरित करेगा, संस्थान के सभी अधिकारों, ऐसी मदों में शीर्षक और हित, यदि कोई हो।
- 9. बीमा: लाइसेंसधारी इस अनुबंध की सम्पूर्ण अविध के दौरान उपकरण के नुकसान या विनाश या क्षित की सम्पूर्ण राशि अपने खर्च को वहन करेगा और प्रबंध करेगा, किसी लाइसेंस प्राप्त उपकरण में लगने वाली आग, चोरी और इस तरह के अन्य जोखिमों या नुकसान के अलावा विनाश या नुकसान सिहत जिनका प्रथानुसार बीमा किया गया है और व्यवसाय जिसमें लाइसेंसधारी सिम्मिलित ऐसी राशि जो संस्थान के लिए संतोषप्रद हों, बशर्ते कि उपकरण के नुकसान या विनाश या क्षित के खिलाफ बीमा राशि, उपकरण के पूर्ण प्रतिस्थापन मूल्य या लाइसेंस शुल्क की अधिक किश्तों से कम ही न हो, जिसे इसके तहन भुगतान नहीं किया गया है, साथ ही यह अनुबंध किसी भी नवीनीकरण विकल्प के अनुसार प्रविष्ट किया गया हो।

संस्थान के नाम पर संयंत्र और मशीनरी के बीमा के लिए स्थापित मशीनरी की लागत के बराबर राशि के लिए लाइसेंसधारक बीमा पॉलिसी प्राप्त करने के लिए बीमा प्रीमियम राशि संस्थान को जमा करेगा। प्रत्येक बीमा पॉलिसी में लाइसेंसधारी को बीमाकृत के रूप में नामित किया जाएगा और संस्थान (और उसके बैंकर (के हितों को हानि प्रदाता के रूप में नोट किया जाएगा। लाइसेंसधारी संस्थान को बीमा का प्रमाणपत्र या अन्य संतोषजनक साक्ष्य प्रस्तुत करेगा जो कि ऐसी बीमाकृत राशि लागु है।

- 10. लाइसेंसधारी द्वारा गुणवत्ता एवं स्वच्छता का रखरखाव-:
- लाइसेंसधारी उचित एफएसएसएआई लाइसेंस या एफएसएसएआई पंजीकरण प्राप्त करेगा, जो भी आवश्यकता के अनुसार प्रत्येक त्पाद के लिए लागू हो।

- लाइसेंसधारी एफएसएसएआई द्वारा निर्दिष्ट मानक के अनुसार अच्छी गुणवत्ता की खाद्य सामग्री कच्चे माल और प्रिंट पैकेजिंग सामग्री की खरीद करेगा।
- लाइसेंसधारी प्रतिदिन परिसर से निर्धारित क्षेत्र में कचरा हटाना सुनिश्चित करेगा। हालांकि, कचरे को निपटान के लिए बाहर ले जाने से पहले, संस्थान के सुरक्षा पर्यवेक्षक को यह सुनिश्चित करने के लिए भौतिक रूप से जांच करनी होगी कि निपटान की जा रही सामग्री में कोई उपयोगी वस्तु तो नहीं है।
- लाइसेंसधारी के लिए निम्नलिखित स्वच्छता और सफाई उपाय करना अनिवार्य होगा:
- (अ (दिन में दो बार स्टोर-रूम सहित पायलट प्लांट की सफाई,
- (ब (दिन के अंत में जहाजों को गर्म पानी में भिगोना,
- (स (पॉट और बर्तन
- (द (सप्ताह में एक बार रेफ्रिजरेटर, वाटर कूलर की पूरी तरह से सफाई,
- (य (कीटनाशकों का समय-समय पर छिड़काव
- (र (अच्छी भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और स्वास्थ्य और स्वच्छता के नवीनतम मानकों को बनाए रखने के लिए) जैसा कि एफएसएसएआई द्वारा अनुसूची Ⅳ के तहत निर्दिष्ट किया गया है (
- (ल (दिन के अंत में वाश बेसिन को डिटर्जेंट से पूरी तरह से साफ करना। विफलता के मामले में, लाइसेंसधारक इस संबंध में लागू विभिन्न अधिनियमों के अनुसार कानूनी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा।

11. आगे आश्वासन:

- i. लाइसेंसधारी को संस्थान के प्रायोगिक संयंत्रों के परिसर में अपने संगठन का नाम प्रदर्शित करने की अनुमति नहीं होगी। लाइसेंसधारी को प्रायोगिक संयंत्रों की किसी भी सुविधा का उप–लाइसेंस देने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- ii. लाइसेंसधारी किसी भी उप–लाइसेंसधारी की सेवाएं नहीं लेगा या किसी अन्य व्यक्ति को समझौते को स्थानांतरित नहीं करेगा। यदि, यह किसी भी समय पाया जाता है, तो संस्थान को समझौते को समाप्त करने और सभी सुरक्षा जमा राशि को जब्त करने का अधिकार है।
- iii. संस्थान _____ की समाप्ति के बाद बिना किसी पत्राचार नोटिस के परिसर का कब्जा लेने का हकदार होगा। हालांकि, चूक के किसी भी मामले को लाइसेंसधारी को लिखित रूप में इंगित किया जाएगा, ताकि लाइसेंसधारी गलती को ठीक करने और सुधारने में सक्षम हो सके।
- iv. लाइसेंसधारी संस्थान में केवल चिन्हित क्षेत्र पर ही कब्जा करेगा।
- v. लाइसेंसधारी संस्थान की किसी भी संपत्ति का किसी कृत्य या डिफ़ॉल्ट के कारण होने वाली क्षति के लिए लाइसेंसधारी, उसके एजेंट या नौकर या श्रमिक समग्र क्षति /हानि की प्रतिपूर्ति करेगा। संस्थान के पास यह अधिकार है कि वह सभी खर्चों को लाइसेंसधारी से खर्च साथ वसूल कर संपत्ति को नुकसान या हानि की प्रतिपूर्ति करे।
- vi. कर्मचारियों को फोटो वाले पहचान पत्र जारी किए जाने चाहिए। लाइसेंसधारी अपने कर्मचारियों को वर्दी और जूते भी प्रदान करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि वे उन्हें हर समय पहनें और उनका उचित रखरखाव करें। संयंत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को सुरक्षा मानकों को बनाए रखने के लिए काम करते समय अलग जूते पहनने होंगे।
- vii. लाइसेंसधारी आवंटित स्थान ⁄ परिसर का उफ्योग उस उद्देश्य को छोड़कर जिसके लिए यह प्रदान किया गया है, किसी अन्य गतिविधि के लिए नहीं करेगा।
- viii. संस्थान उत्पाद विकास के उद्देश्य से प्रायोगिक संयंत्र में कच्चे माल सहित कोई भी उपभोज्य या गैर-उपभोज्य वस्तु उपलब्ध नहीं कराएगा।
- ix. लाइसेंसधारी संस्थान द्वारा प्रदान किए गए उपकरणों को अच्छी कार्यशील स्थिति में बनाए रखेगा और होने वाली क्षति के लिए जिम्मेदार होगा। सेवाओं में व्यवधान से बचने के लिए वह बिना किसी देरी के मरम्मत करेगा और मरम्मत की लागत पूरी तरह से लाइसेंसधारी द्वारा वहन की जाएगी। अनुबंध की समाप्ति पर, लाइसेंसधारी ऐसे सभी उपकरणों /वस्तुओं को अच्छी कार्यशील स्थिति में संस्थान को सौंप देगा।
- x. प्रायोगिक संयंत्र और संस्थान परिसर में सिगरेट, बीड़ी, पान, शराब आदि का उपयोग प्रतिबंधित है, अगर कोई इन गतिविधियों में संलिप्त पाया जाता है, तो उस व्यक्ति को तुरंत परिसर छोड़ने के लिए कहा जाएगा और लाइसेंसधारी इस शर्त के उल्लंघन के लिए अनुबंध समाप्त होने के लिए जिम्मेदार होगा। लाइसेंसधारी यह वचन देगा कि उसके कर्मचारियों द्वारा चोरी सहित किसी भी चूक या दलाली की पूरी जिम्मेदारी उसकी होगी और इसके अलावा वह उसके नुकसान की भरपाई करेगा / करेगी।

xi. व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से अपने कर्मचारियों के कारण होने वाली किसी भी हानि या क्षति या चोरी के लिए तुरंत संस्थान को सूचित करें।

xii. लाइसेंसधारी प्रायोगिक संयंत्र में सभी सुरक्षा उपाय) आग सहित (सुनिश्चित करेगा। वह संयंत्र में तैनात व्यक्तियों के लिए एक प्राथमिक चिकित्सा पेटी भी रखेंगे।

xiii. यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि बिजली, पानी या अन्य संसाधनों का दुरूपयोग किया गया है तो लाइसेंसधारी पर यथोचित जुर्माना लगाया जायेगा।

xiv. लाइसेंसधारी को पास के क्षेत्र में कार्यबल के ठहरने की व्यवस्था स्वयं करनी होगी क्योंकि संस्थान के पास ऐसी कोई सुविधा नहीं है।

xv. बोली लगाने वालों को अपनी इमरजेंसी लाइट, लोडर, रेट ट्रैपर, गैस सिलेंडर, ईंधन और किसी भी अन्य आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।

xvi. स्वच्छता या स्वास्थ्य या आचरण या किसी अन्य प्रशासनिक कारणों से सेवाओं के लिए अनुपयुक्त पाए जाने पर संस्थान में कार्यरत किसी भी व्यक्ति को हटाने के लिए लाइसेंसधारी को कॉल करने का अधिकार संस्थान के पास सुरक्षित है। संस्थान पहचान पत्र नहीं रखने वाले व्यक्ति को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

xvii. नियमों और शर्तों के संबंध में व्याख्या, संशोधन और किसी भी परिवर्तन के मामले में, लाइसेंसधारी और संस्थान संयुक्त रूप से इस पहलू को देखेंगे और संस्थान का निर्णय अंतिम और लाइसेंसधारी के लिए बाध्यकारी होगा।

xviii. लाइसेंसधारी, अनुबंध के संचालन के प्रारंभ होने से पहले, संस्थान में संयंत्र चलाने के लिए संस्थान के परिसर में तैनात किए जाने वाले सभी कर्मचारियों का विवरण उपलब्ध कराएगा। ऐसे विवरणों में अन्य बातों के साथ–साथ आयु/जन्म तिथि, फोटो, फिंगरप्रिंट, स्थायी पता, पुलिस सत्यापन रिपोर्ट और कर्मचारियों की स्वास्थ्य स्थिति का प्रोफाइल शामिल होना चाहिए।

xix. लाइसेंसधारी अपने कर्मचारियों के बीच उचित अनुशासन सुनिश्चित करेगा और यह भी सुनिश्चित करेगा कि वे किसी भी गैरकानूनी गतिविधि में शामिल न हों।

xx. कानून के तहत बाल श्रम का रोजगार सख्त वर्जित है। इसलिए लाइसेंसधारी किसी भी बच्चे को मेस में नियोजित नहीं करेगा।

xxi. लाइसेंसधारी अपने कर्मचारियों के आचरण और व्यवहार के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगा और लाइसेंसधारी के कर्मचारियों के आचरण के कारण संस्थान की चल या अचल संपत्ति को होने वाले किसी भी नुकसान या क्षति की भरपाई लाइसेंसधारी द्वारा की जाएगी।

xxii. संस्थान प्रबंधन के पास सफाई और स्वच्छता की स्थिति सुनिश्चित करने के लिए किसी भी समय परिसर का निरीक्षण करने के लिए 24 घंटे की सुविधा होगी। अधिकारियों द्वारा दौरों के दौरान बताए गए किसी भी दोष को लाइसेंसधारी द्वारा उचित रूप से दूर किया जाएगा।

xxiii. संस्थान के परिसर में नशीली दवाओं, मादक पेय, सिगरेट या किसी भी अन्य नशे की वस्तुओं का भंडारण/आपूर्ति/बिक्री और उपभोग सख्त वर्जित है। उनके द्वारा इस तरह के प्रतिबंधों का कोई उल्लंघन वैधानिक मानदंडों के अनुसार लाइसेंसधारी के खिलाफ निवारक कार्रवाई करेगा।

xxiv. लाइसेंसधारी द्वारा नियोजित कर्मचारी सीधे लाइसेंसधारी के पर्यवेक्षण, नियंत्रण और रोजगार के अधीन होंगे और उनका संस्थान के साथ कोई संबंध नहीं होगा। संस्थान ऐसे कर्मचारियों को नियंत्रित या पर्यवेक्षण करने या कानून के तहत अनुमत के अलावा उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने के लिए बाध्य नहीं होगा। ऐसे कर्मचारियों का संस्थान में किसी भी अस्थायी या स्थायी पदों के विरुद्ध लाइसेंसधारी द्वारा नियोजित होने के आधार पर रोजगार या उनकी सेवाओं के नियमितीकरण के लिए संस्थान में कोई दावा नहीं होगा।

xxv. स्टोर, स्टाफ टॉयलेट, प्रायोगिक संयंत्र कक्ष की सफाई की जिम्मेदारी लाइसेंसधारी की होगी। साथ ही, लाइसेंसधारी खाद्य अपशिष्ट का उचित निपटान सुनिश्चित करेगा और किसी भी प्रकार से परिसर या आस-पास के क्षेत्र में नहीं फेंका जाए। यदि लाइसेंसधारी ने एक समर्पित हाउसकीपिंग स्टाफ तैनात नहीं किया है, तो यह संस्थान के हाउसकीपिंग स्टाफ द्वारा किया जाएगा और इसके लिए प्रतिमाह न्युनतम 13290/- रु. लाइसेंसधारी से लिए/वसूले जाएंगे। इसे समय-समय पर संशोधित किया जाएगा।

xxvi. इस अनुबंध की अविध के दौरान, लाइसेंसधारी संस्थान द्वारा मांगे जाने पर लाइसेंसधारी के वार्षिक लेखापरीक्षित खातों को प्रदान करेगा। xxvii. लाइसेंसधारी आगे अपरिवर्तनीय रूप से यह निर्धारित करता है कि इस लाइसेंस अनुबंध की अविध के दौरान किसी भी समय लाइसेंसधारी लाइसेंसधारी की वैलेंस शीट और लाइसेंसधारी और संस्थान पर लाइसेंस प्राप्त संपत्ति को पूंजीकृत करने का प्रयास नहीं करेगा और लाइसेंस के कार्यकाल के दौरान उपकरण के स्वामित्व के लिए यहां निर्दिष्ट और समावेशी रूप से सहमत होगा। किसी भी नवीनीकरण विकल्प के लिए जो पार्टियां निर्विवाद रूप से संस्थान के

साथ निहित हो सकती हैं।

12. पेनल्टी क्लॉज-:

- 1) यदि लाइसेंसधारी या उनका कर्मचारी किसी अधिकारी, कर्मचारी, छात्रों, आगन्तुकों के साथ झगड़ा, दुर्व्यवहार करता हुआ या किसी असामाजिक गतिविधि में संलिप्त पाया जाता है तो जुर्माने के अतिरिक्त लाइसेंसधारी के विरूद्ध उचित कार्यवाही भी की जायेगी।
- 2) लाइसेंसधारी यह सुनिश्चित करेगा कि उनके कर्मचारी चिल्लाए/गाली न दें/मोबाइल या रेडियो के टेप या एफएम पर जोर से संगीत न बजाएं, ऐसा करने पर दंड का प्रावधान है।
- 3) किसी भी कृत्य की पुनरावृत्ति के मामले में, दुराचार, भारी जुर्माना और दोषी के लिए लाइसेंसधारी के खिलाफ उचित समझी जाने वाली अन्य कार्रवाई की जाएगी।
- 4) निर्धारित समय से अधिक देर से लाइसेंस शुल्क जमा करने के मामले में, निकासी तक शेष राशि पर 2.0% प्रति माह की दर से जुर्माना लगाया जाएगा।
- 13. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम/बीमा अधिनियम/ईपीएफ अधिनियम आदि का अनुपालन-:
- लाइसेंसधारी संबंधित प्राधिकारी को ईएसआई, ईपीएफ आदि अंशदानों की समय पर कटौती/जमा करने के अलावा अपने कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।
- 2. लाइसेंसधारी करारकर्ता द्वारा नियोजित और तैनात किए गए पात्र कर्मियों को पीएफ, ईएसआई, बोनस, ग्रेच्युटी, छुट्टी आदि जैसे सभी लाभ प्रदान करने के लिए पुरी तरह से जिम्मेदार होगा।
- 3. विभिन्न लागू श्रम कानूनों जैसे न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, श्रम अधिनियम, ईएसआई अधिनियम, ईपीएफ अधिनियम, मजदूरी का भुगतान अधिनियम, कर्मकार मुआवजा अधिनियम, समझौता श्रम) विनियमन और उन्मूलन (अधिनियम 1970 या किसी अन्य आवेदन अधिनियमों /िनयमों का कड़ाई से पालन और केंद्र/राज्य सरकारी प्राधिकारियों की संपूर्ण संतुष्टि के लिए समय-समय पर संशोधित अन्य सभी वैधानिक आवश्यकताएं लाइसेंसधारी की जिम्मेदारी होगी और उसे एजेंसी द्वारा इस संबंध में चूक के कारण संस्थान को होने वाली हानि, यदि कोई हो, उठानी होगी। लाइसेंसधारी द्वारा ईपीएफ/ईएसआई कोड संख्या में श्रमिकों के संबंधित खाते में ईपीएफ/ईएसआई अंशदान जमा किया जाएगा।
- 4. लाइसेंसधारी द्वारा किसी अनुबंध या वैधानिक दायित्वों के उल्लंघन की स्थिति में, वह उसके लिए जिम्मेदार होगा/होगी। इसके अलावा, लाइसेंसधारी के कृत्यों के कारण किसी भी व्यक्ति या सरकारी प्राधिकरण द्वारा संस्थान में किसी भी कार्रवाई, दावे, क्षति, मुकदमे की शुरुआत की स्थिति में, वह किसी व्यक्ति, लाइसेंसधारी या सरकारी प्राधिकरण को नुकसान के लिए ऐसे दावों को पूरा करने / क्षतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी होगा।

14. श्रमिकों का बीमा-:

लाइसेंसधारी किसी भी दुर्घटना, चोट के कारण और फर्म की तैनाती के दौरान अपने जनशक्ति के लिए किसी भी दायित्व के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा। कामगार मुआवजा अधिनियम के तहत पूर्वोक्त दायित्व को पूरा करने के लिए, लाइसेंसधारी डब्ल्यू.सी . पॉलिसी बीमा कंपनी से काम करने के लिए उसके द्वारा नियोजित व्यक्ति के लिए ग्रहण कर सकता है। पूर्वोक्त बीमा पॉलिसी के लिए देय प्रीमियम लाइसेंसधारी द्वारा वहन किया जाएगा।

15. सुरक्षा नियम-:

- 1. लाइसेंसधारी को सुरक्षा नियमों के सभी प्रावधानों का पालन करना होगा। यदि कोई कर्मचारी असुरक्षित स्थिति में उचित सुरक्षात्मक उपकरण के बिना लापरवाही से काम करता पाया जाता है तो संस्थान उस पर जुर्माना लगा सकता है। किसी भी अन्य खंड के उल्लंघन के खिलाफ, प्रति उल्लंघन जुर्माना लगाया जाएगा। गंभीर प्रकृति के बार-बार उल्लंघन के परिणामस्वरूप गंभीर दुर्घटना या संस्थान को प्रत्यक्ष नुकसान /गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी के मामले में, समझौते की समाप्ति सहित भारी जुर्माना लगाया जाएगा।
- ब .लाइसेंसधारी यह सुनिश्चित करेगा कि किसी भी विद्युत या यांत्रिक उपकरण को चलाते समय सभी सुरक्षा उपाय सावधानी बरती जाए। लापरवाही के कारण किसी भी नुकसान या क्षति के लिए लाइसेंसधारी जिम्मेदार होगा।
- स .लाइसेंसधारी काम के दौरान अपने कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होगा और संस्थान काम के दौरान होने वाली किसी भी दुर्घटना के मुआवजे के भुगतान के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। लाइसेंसधारी को अपने कामगार को सभी आवश्यक सुरक्षा उपकरणों आदि प्रदान करना आवश्यक है। संस्थान कर्मचारी की किसी भी आंशिक या स्थायी चोट, या दुर्घटना या उपकरण की खराबी या लापरवाही के कारण साइट पर किसी भी दुर्घटना या मृत्यु के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
- द . लाइसेंसधारी को कार्य के निष्पादन के दौरान प्राकृतिक आपदा) वर्षा, तूफान, भूकम्प एवं अन्य आपदा (से हुई किसी भी क्षति के लिए कोई मुआवजा देय नहीं होगा।

16. करार का निरस्तीकरण /समाप्ति ::

- क (अनुबंध को ____ दिन का नोटिस देकर किसी भी पक्ष द्वारा समाप्त किया जा सकता है।
- ख (संस्थान के पास इस ईओआई को अंतिम रूप देने से उत्पन्न होने वाले समझौते को निम्नलिखित में से किसी भी परिस्थिति में आंशिक या पूर्ण रूप से समाप्त करने का अधिकार होगा− :
- i) लाइसेंसधारी दिवालिया घोषित हो जाता है या दिवालिया हो जाता है।
- ii) मध्यस्थता / ट्रिब्यूनल के निर्णय के अनुसार।
- iii) जब दोनों पक्ष पारस्परिक रूप से समझौते को समाप्त करने के लिए सहमत होते हैं।
- iv) यदि लाइसेंसधारी 30 दिनों के भीतर बकाया राशि का भुगतान करने में विफल रहता है।
- v) लाइसेंसधारी की ओर से शर्तों के किसी भी उल्लंघन की स्थिति में, संस्थान समझौते को
- रद्द कर सकता है और इस तरह के रद्दीकरण से उत्पन्न किसी भी नुकसान के लिए लाइसेंसधारी को चार्ज कर सकता है।
- vi) असंतोषजनक प्रदर्शन के मामले में, कोई कारण बताए बिना, संस्थान किसी भी समय नोटिस देकर समझौते को रद्द करने /समाप्त करने का अधिकार रखता है।

17. अप्रत्याशित घटना-:

यदि किसी अप्रत्याशित घटना की स्थिति उत्पन्न होती है, तो प्रत्येक अनुबंध करने वाली पार्टी को गैर-पूर्ति के लिए या समझौते के किसी भी दायित्वों की देरी से पूर्ति के लिए क्षमा किया जाएगा, यदि प्रभावित पक्ष इसकी घटना के 30 दिनों के भीतर दूसरे को लिखित रूप में सूचित करता है। अप्रत्याशित घटना का अर्थ होगा आग, बाढ़, प्राकृतिक आपदा या युद्ध, उथल-पुथल, हड़ताल, तोड़-फोड़, विस्फोट, और संगरोध प्रतिबंध जैसे अन्य कार्य जो किसी भी पक्ष के नियंत्रण से बाहर हों।

18. सांविधिक कटौतियां-:

अधिभार सहित आयकर, कार्य कर, वस्तु एवं सेवा कर, टीडीएस आदि के कारण वैधानिक कटौती लाइसेंसधारी के बिलों से प्रचलित दरों के स्रोत पर की जाएगी।

19. जोखिम और लागत-:

यदि लाइसेंसधारी समझौते के दायित्वों को पूरी तरह से पूरा करने में विफल रहता है, तो संस्थान के अधिकार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा कि वह आगे की राशि या किसी भी परिसमापन या अन्य नुकसान की वसूली कर सकता है।

20. विवाचन-:

- क ्लाइसेंसधारी और संस्थान के बीच समझौते के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद के मामले में, पार्टियों द्वारा विवाद को आपसी चर्चा से निपटाने का प्रयास किया जाएगा, जिसमें विफल होने पर विवाद को नियुक्त किए जाने वाले एकमात्र निर्णायक संस्थान के कुलपित के पास भेजा जाएगा। उक्त मध्यस्थ का निर्णय अंतिम और दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगा। मध्यस्थता की सीट हरियाणा क्षेत्र में होगी।
- ख (पार्टियों के बीच विवाद, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, भारतीय मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के अनुसार अग्यतन संशोधित और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार तय किया जाएगा।
- ग) सभी कानूनी विवाद केवल सोनीपत/चंडीगढ़ अदालतों के अधिकार क्षेत्र के अधीन होंगे।
- 21. समर्पण: लाइसेंस की समाप्ति या पहले समाप्त होने पर, लाइसेंसधारी संस्थान की सभी संपत्तियों और सामानों को अच्छी कामकाजी स्थिति में सौंप देगा और संस्थान को प्रायोगिक संयंत्रों के उपकरण के किसी भी नुकसान या हानि के लिए क्षतिपूर्ति करेगा।
- 22. चुक की घटनाएँ : इसके तहत किसी डिफ़ॉल्ट की वाकया में यदि लाइसेंसधारी:
 - अ . लाइसेंस शुल्क या उसके हिस्से या देय होने पर आवश्यक अन्य भुगतान की किसी भी किस्त का भुगतान करने में विफल रहता है और ऐसी विफलता संस्थान से लिखित नोटिस भेजे जाने के बाद 10 दिनों की अविध तक जारी रहती है; या
 - ब .िकसी भी अन्य अनुबंध की शर्त या समझौते को निष्पादित या पालन करने में विफल रहता है या इसमें निहित किसी भी प्रतिनिधित्व या प्रावधान का उल्लंघन करता है या इसके संबंध में संस्थान को प्रस्तुत किसी भी अन्य दस्तावेज में और इंस तरह की विफलता या उल्लंघन की अविध के लिए बिना उपाय के जारी रहता है संस्थान से लिखित नोटिस भेजे जाने के दस दिन बाद) यदि इस तरह के उल्लंघन को दस दिनों में दूर किया जा सकता है (; या
 - स. संस्थान की सहमति के बिना, उपकरण के किसी भी आइटम को हटाने) मरम्मत को छोड़कर (, बेचने, स्थानांतरित करने, भारित करने, अधिकार लेने या किराये पर उठाने का प्रयास; या

- द .हॉल दिवालिएपन का कार्य करता है या दिवाला या दिवालिया हो सकता या लेनदारों के लाभ के लिए एक कार्य कर सकता है, या एक विश्वासी या प्राप्तिकर्ता की नियुक्ति के लिए सहमित दे सकता है या तो लाइसेंसधारी के लिए या उसकी संपत्ति के पर्याप्त हिस्से के लिए उसकी सहमित के बिना नियुक्त किया जाएगा, या दिवालियापन, पुनर्गठन या दिवालियापन कार्यवाही लाइसेंसधारी द्वारा या उसके खिलाफ स्थापित की जाएगी; या
- य. इसकी तारीख से वित्तीय स्थिति में एक प्रतिकूल भौतिक परिवर्तन का सामना करना पड़ेगा, और इसके परिणामस्वरूप संस्थान स्वयं को या उसके किसी भी उपकरण को असुरक्षित मानता है; या
- र. संस्थान के निष्पादित किसी भी समय किसी अन्य अनुबंध के तहत डिफ़ॉल्ट रूप में होगा।
- 23. छूट: किसी डिफाल्ट में संस्थान द्वारा व्यक्त या निहित छूट लाइसेंसधारी द्वारा किसी भी अन्य डिफाल्ट की छूट या संस्थान के किसी अधिकार में छूट नहीं होगी। इस अनुबंध के तहत संस्थान के सभी मूल अधिकार और शक्तियाँ पूरी तरह से लागू रहेंगी, इस अनुबंध के लाइसेंसधारी द्वारा किसी भी उपेक्षा, सहनशीलता या प्रवर्तन में देरी के बावजूद, लाइसेंसधारी द्वारा इस अनुबंध के किसी भी निरंतर या आवर्ती उल्लंघन को छूट के रूप में नहीं समझा जाएगा।
- 24. नोटिस: यहां दिए जाने वाले किसी भी नोटिस या मांगों को लिखित रूप में या पंजीकृत /स्पीड पोस्ट द्वारा या हाथ से वितरण यहां पार्टियों को दिया जाएगा और दिए गए पते पर या ऐसे अन्य पते पर किया जाएगा, जो पार्टि यहां ऊपर निर्धारित तरीके से दिए गए लिखित नोटिस द्वारा इसे प्रतिस्थापित कर सकती हैं।
- 25. इस अनुबंध को पार्टियों के बीच निष्पादित यह अनुबंध और अन्य अनुबंध के अनुसरण में यहां स्पष्ट रूप से प्रदान किए जाने के अलावा रद्द या समाप्त नहीं किए जा सकते हैं। लाइसेंसधारी इस बात से सहमत है कि सभी लाइसेंस शुल्क और इसके तहत देय किसी भी अन्य राशि का भुगतान करने के लिए लाइसेंसधारी का दायित्व पूर्ण और अप्रतिबन्ध होगा।
- 26. इस समझौते को आपसी सहमित से लिखित के अलावा संशोधित नहीं किया जा सकता है और पार्टियों के लिए और उनके अनुमत उत्तराधिकारियों और सौपे गए लोगों के लाभ के लिए बाध्यकारी होगा। ईओआई बोली दस्तावेज, काम का पुरस्कार और पार्टियों के बीच किसी भी अन्य संचार को आमंत्रित करने वाला नोटिस इस अनुबंध का भाग माना जाएगा।
- 27. यह समझौता से प्रभावी होगा।
- 28. इस अनुबंध में दिए गए शीर्षक केवल सुविधा के लिए हैं और इनमें से किसी भी शर्त को परिभाषित या सीमित नहीं किया जाएगा।
- 29. इसके निष्पादन से, हस्ताक्षरकर्ता प्रमाणित करता है कि उसने इस अनुबंध को पढ़ा है, जिसमें अनुसूची भी शामिल है और वह लाइसेंसधारी /संस्थान की ओर से इस समझौते को निष्पादित करने के लिए विधिवत अधिकृत है, जैसा भी मामला हो। इसके साक्ष्य में प्रत्येक पक्ष ने इस समझौते को अपने विधिवत अधिकृत अधिकारियों द्वारा ऊपर उल्लिखित तिथि पर दो प्रतियों में निष्पादित किया है।

के लिए और की ओर से हस्ताक्षर किए :	
न सिंदु आर मा आर स हस्साबार मिन्दुः	के लिए
की उपस्थिति मे:	
गवाह नंबर 1	
गवाह नंबर 2	
के लिए और की ओर से हस्ताक्षर किए:	
	के लिए
की उपस्थिति मेः	
गवाह नंबर 1	
गवाह नंबर 2	